# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५ ] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ७५वां दिवस [ संख्या ४५



गुरुवार, १ मई, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर ९ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

---

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

---

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न ।

श्री रामधन ।

### भण्डारी बन्ध में डोली ग्राम का डूबना

**१३१९.श्री रामधन** ( दौसा ) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि भण्डारी बन्ध में डोली का ग्राम डूब में आ गया है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि इसका मुआवज़ा सरकार ने अभी तक नहीं दिया है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि इसका बिल तक बन गया मगर फिर भी रुपये नहीं दिये गये हैं ?

(घ) बिल बन जाने के बाद में भी रुपये लैप्स होने का क्या कारण है ?

(ङ) क्या यह भी सही है कि पहले करीब ४७ हजार रुपये का मुआवज़ा तय हुआ था ? मगर मन्जूर शुदा रकम में से भी कुछ कम कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

**उप-मन्त्री, सिंचाई विभाग** ( श्री भीखाभाई ) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : यह बन्ध कब बनाया गया था ।

**श्री भिखाभाई** : इसकी स्वीकृति भूत-पूर्व जयपुर सरकार ने दी थी। इसके बाद कम्पेन्सेशन देने की बात सरकार के ध्यान में नहीं आई। आने पर पे करने की कोशिश कर रहे हैं ।

Page No 2



**डॉ० बहादुरसिंह** ( धौलपुर ) : कब तक यह तै कर लेंगे ?

**श्री भीखाभाई** : पेमेन्ट का सवाल जहां तक है, किये जाने की कार्यवाही चल रही है।

**श्री रामकरण सिंह** : जिस समय यह बन्ध बना उससे कुछ साल के बाद में कालाखो-नामक बन्ध बना और उसका कम्पेन्सेशन दे दिया गया है क्या यह सही है ?

**सिंचाई मंत्री** (श्री रामकिशोर व्यास) : वाकई यह केस ऐसा है जिसमें देर हुई है और अब जल्दी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कारण देर के ये भी हुए कि जमीन जिसकी डूब में आई उनसे पट्टे वगैरह लिखाने का और क्लेमेन्ट का भी झगड़ा है। अब हम जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं।

**श्री रामकरणसिंह** : यह पट्टा वट्टा लिखाने करने की कार्यवाही सभी जगह होती है। फिर इसमें देर होने के खास कारण क्या है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह वाकई केस ऐसा है जिसमें डिले हुई है।

**श्री रामकरणसिंह** : अब सीमा निर्धारित करने को सरकार तैयार है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह तो पोसिबल नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : अब करीब करीब तै ही है, बिलकुल।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुआवजा तै कर लिया गया है कि इतनी रकम देनी है।

**श्री भीखाभाई** : जी हां।

**श्री दलपतसिंह** (आबू) : ग्रामीण लोग कहां पर रिहैबिलिटेट हुए हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : वे तो पहले ही हो गये।

**श्री लक्ष्मीचन्द** : मुआवज़ा अब तक नहीं दिया तो क्या उसका इन्टरेस्ट भी सरकार देगी ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : वह तो लॉ जैसा कहता है वैसा किया जावेगा।

**प्रश्न संख्या १३२०**

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट

**सीगटोली बान्ध (लालसोट) की टूट फूट**

१३२१. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील लालसोट का बिनोरी सागर जिसे सींगटोली बान्ध भी कहते हैं हनुमानजी के मन्दिर के पीछे फूटा पड़ा है ?

(२) क्या सिंचाई विभाग इस बान्ध की मरम्मत करवाकर काफी जमीन की सिंचाई कराकर उस पानी का सदुपयोग करेगा ?

# Page No 3



( प्रभुलाल पुरोहित )

(३) क्या इस बान्ध के पास एक नाला बहता है और उसका पानी व्यर्थ जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां बान्ध बांधकर काफी जमीन की पिलाई का इन्तजाम करेगी ?

**उप-मंत्री सिंचाई विभाग** (श्री भीखाभाई) : (१) यह बान्ध उत्तर सागर है जिसको सिंग-टोली भी कहते हैं यह काफी अर्से से फूटा पड़ा है ।

(२) इस बान्ध के नीचे सिंचाई योग्य जमीन न होने के कारण बान्ध की मरम्मत लाभप्रद नहीं होगी ।

(३) इस विषय में सर्वे जारी है ।

**श्री प्रभुलाल पुरोहित** : पहले लाभप्रद थी । अब जो नाला १२ मास नीचे बहता है उसको बान्ध में डाल दिया जावे तो काफी लाभप्रद हो सकता है ।

**श्री भीखाभाई** : The Question is quite inaudidle sir.

**श्री अध्यक्ष** : उसके पास एक नाला है जो १२ मास बहता है उसको बान्ध में डाला जावे तो काफी लाभप्रद होगा ।

**श्री भीखाभाई** : जी हां । इसका सर्वे जारी है । अगर इकोनॉमिकल साबित हुआ तो उसे ले लेंगे ।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाज़ार, जयपुर ) : इसका कोई उपयोग नहीं होने वाला है यह क्या कहा ?

**सिंचाई मंत्री** (श्री रामकिशोर व्यास) : वह चीज़ दूसरी है और यह चीज दूसरी है ।

**डॉ० चन्द्रकला** : कब से प्रारम्भ है यह सर्वे ?

**श्री भीखाभाई** : दूसरा जो नाला है पहले वाला तो काम में नहीं आ सकता जमीन ऊपर है । पर नीचे का नाला ऐसा लगता है कि इसको अगर टेप किया जावे तो उपयोगी सिद्ध हो सकता है ।

## फैली के पुरा से कोटडी, हिन्डौन की खराब सड़क

१३२२. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली-सु) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार को विदित है कि फैली के पुरा से कोटड़ी रोड तहसील हिन्डौन इतनी खराब है कि उस पर यातायात में बड़ी कठिनता होती है ? क्या सरकार इस सड़क को दुबारा डामर रोड़ बनाना चाहती है ? अगर हां, तो कब तक ?

**सार्वजनिक निर्माण मन्त्री** ( श्री नाथूराम मिर्धा ) : केवल अन्तिम ३ मील खराब है जिनकी मरम्मत का विचार है । डामर रोड बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**श्री उम्मेदीलाल** : इसकी मरम्मत कब-तक हो जावेगी ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इस साल में करने की कोशिश करेंगे ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट

Page No 4



## गवर्नमेन्ट सचिवालय में आर्गेनाइजेशन एन्ड मेथड विभाग

१३२३. श्री पी० के० चौधरी(फुलेरा): Will the Chief Minister be pleased to state—

(1) Is it correct that the State Administration has set up an organisation called "Organisation and Methods Deparment" in the Secretariat? If so, since when this new department has been functioning and who is the officer-in-charge of this new Department?

(2) Has the Organisation and Methods Department submitted any report to the Government suggesting any changes in the existing set up of the administration?

(3) What are the specific suggestions of the Organistion and Methods Department, to eliminate delay in the disposal of papers and in expediting financial sanctions to various plan schemes?

(4) What are the specific improvments made in the administration since the setting up of this new department?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (1) It is correct that the State Administration has set up an 'Organisation & Methods Section' in the Secretariat. The section has been functioning since May, 1955 and the Special Secretary to Government is the Secretary-in-charge.

(2) Yes, the section has submitted a report on 28.5.56 for the revision of the Organisation set up of the Secretariat. The Section has been making suggestings in respect of the Organisational and procedural matters from time to time. Besides, the Section has also submitted two reports one on 20.3.57 and the other on 21.11.58 regarding its working which have been placed on the table of the House.

(3) To eliminate delay in the disposal of papers in the Secretariat the Organisation and Methods Section has devised a control mechanism to watch speed of disposal at all levels. It has also introduced a round the year programme of annual, half yearly, and fortnightly inspection of every section by the Superintendent, Assistant Secretary and the Deputy Secretary concerned and the Assistant Secretary (O. &.M) in the Secretariat. This helps in removing the defects noticedin increasing the speed of disposal and in sustainig the awakened interest and ensuring that the performance was on the right direction. To improve the efficiency of staff, it has started Refresher Course classes since December, 1955 and has trained so far 650 clreks in Secretariat in 14 batchs. Besides, the Organisation and Methods Section has also introduced the process of level jumping from October, 1956 according to which a case, after it has been handled by the dealing clerk instead of passing through all the hierarchy, is not to be

# Page No 5



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

detained at more than two stages whether the disposing authority be the Officer or the Minister.

A Squad has recently been formed under the charge of Organisation and Methods Section to clear of the pending cases in the department/Sections of the Secretariat. As regards the expediting of financial sanctions to various plan schemse, the Government have appointed a Progress Officer in the Planning and Development Department of the Secretariat whose duty it is to watch and expedite the execution of all plan schemes at all levels.

(4) Since the setting up of this new Section, there has been an improvement in the speed of disposalt of work in the Secretariat as a resut of enforcement of compliance with the provisons contained in the Secretariat Manual and orderly disposal of work and by removal of the defects and difficiencies both procedural and organisational, which were considered to have been hindering so far the smooth and speedier disposal of work.

**श्री पी० के० चौधरी** : Report dated 21.11.58 has not been received.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : You must have received these reports.

**श्री पी० के० चौधरी** : I have received only two reports for 57 and 56.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : That report, I think has not been published But I will try to send it to you. If you want any information, I will give you.

**श्री पी० के० चौधरी** : What action the department is taking regarding the recommendation for the shortening and rounding up the papers? Whether these recommendations have been implemented or not ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं निवेदन करूं कि इनमें से बहुत से इम्प्लीमेंट किये गये हैं जो सजेशन दिये गये हैं उनको, और उसी लिए जैसा कि मैंने रिप्लाई में कहा है कि अलग अलग जगह पार्टीज़ मुकर्रर की गई हैं जो जाती हैं और चैक करके रेकार्ड्स वगैरह को भी जो बहुत से डिसपोज्ड ऑफ करना चाहिए उसको करवाते हैं और उसकी जानकारी के लिए मैं कुछ आपके सामने और बता दूं तो मैं समझता हूं कि उससे विशेष जानकारी भी हो पायेगी। जैसा कि उदाहरण के तौर पर यहां राजस्थान के सेक्रेटेरियेट के अन्दर ही काफी ऐसा रेकॉर्ड इकट्ठा हो गया था जिसको कि सेन्ट्रल रेकार्ड्स में जो कनसाइड कर देना चाहिए फाइल्स वगैरह वह नहीं हो पाई थी उसकी वज़ह से काफी डिले होती थी उनको सितम्बर सन् ५७ से लगाकर मार्च ५८ तक ५ हजार और ५ अप्रेल से फरवरी १६५६ तक २४,५१६ फाइल्स को इस सेक्शन में भेजा अलग अलग सेक्शनों में जाकर डिस्पोज़ ऑफ किया और एरियर्स के मामले थे उनके लिए एकआध डिपार्टमेंट को खास तौर से लिया

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

और उसके कारण जानने की कोशिश की तो २.२.५६ से लेकर १७.२.५६ यानी १५ रोज़ के लिए क्लीरेन्स के लिए स्क्वाइड भेजा गया तो २४७६ पेपर्स उस स्क्वाड् ने डील किये और जिसमें से १२६४ पेपर्स को रेकार्ड सेक्शन में भेजा गया और ११०८ पेपर्स के बारे में रिमाइन्डर्स वगैरह इश्यु किये गये और इन्स्ट्रक्शन्स इसमें यह इश्यु किये गये हैं कि कोई भी कागज में दो स्टेज़ से ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए अलग अलग सेक्शन में जाकर असिस्टेन्ट सेक्रेटरी और दूसरे चैक करते हैं। जैसा कि बताया गया है कि इस सिस्टम को इवाल्व किया गया है वह सब के पास में जाते हैं और देखते हैं कि जो प्रोसीजर है उसको फालो किया जाता है या नहीं। अब यह कर दिया गया है कि दो स्टेज से ज्यादा नहीं लगना चाहिए जिससे कि वह पेपर्स जल्दी से जल्दी डिस्पोज़ ऑफ हो पायें इसके लिए कई चीजें की गई हैं। सर्क्यूलर इश्यु किये गये हैं और विभागों में जाकर चैकअप किया है और उसका असर हुआ है।

**श्री पी० के० चौधरी** : Has the Organisation and Methods Deptt.made any suggestions regarding financial sanctions to be given by the department after ths budget is once passed,

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : As I have just, they had suggested so far as planning is concerened, and we hav. Progress Officers in the Planning Department. Even today also after the budget is passed when the detailed budget is sent to the Department, it is again sent to the Finance Deptt.

**श्री पी० के० चौधरी** : But Whether this department has suggested that this going to the Finance Department again for administration sanction is unnecessary ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : In only those cases in which details have not been worked out, those cases only need to go. Otherwise they need not.

**श्री श्रीभानसिंह** : Will the Goveenment supply copies of these reports to other members as well.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : We have no objection.

**श्री पी० के० चौधरी** : The department has also suggested that the recommendations made to the Secretariat should be implemented in other departments. What steps have been taken ?

**मोहनलाल सुखाड़िया**:—They had suggested that thing and we have tried to examime this we have ex-amined one Commissioners' office and the Assistant Collectors, Offices. They have put their proposals how we can go in other departments. That matter is under consideration.

**श्री जनार्दनराय नागर** (मावली): what is the dead line when a certain paper should be disposed of.

# Page No 7



मोहनलाल सुखाड़िया:–It depends upon the nature of the paper-

श्री जनार्दनराय नागर:–It is a very chronic thing. The whole scheme is very cosntructive but there must be a certain dead line when it should be disposed .

श्री अध्यक्ष : डेड लाइन अगर लम्बी फिक्स करेंगे तो जो जल्दी ही डिस्पोज आफ होते हैं उनमें भी देरी होगी।

श्री जनार्दनराय नागर:–But Sir theremust be some deadline .

श्री पी० के० चौधरी : This department has also recommended to supply reference book. Has the Government supplied reference books to all of them.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I don't remember.

श्री पी० के० चौधरी : They also suggested to send compendium of Rules to other departments. Has the Government sent them ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जनरली हम भेजते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रेफरेन्स बुक्स होती हैं तो भेजने के लिए कहा गया है वह भेज रहे हैं। यह एक प्रोसीजर की बात है।

श्री पी. के. चौधरी : Whether they have been sent or not.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसी डिपार्टमेंट में पहुँची नहीं हैं उसके लिए कहा गया है तो वह भेज रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : From their recommendations, it appears that they are not available to the departments. So they have made recommendations for these books.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर पहले नहीं होगी तो अब भेज दी गई होगी।

श्री जनार्दनराय नागर : Are the Government sure that these recommendations are being worked out ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Definitely they have to send the statistics.

श्री जनार्दनराय नागर : Statistics are always elusive. But is the Government definite ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया Yes. I am also getting fortnightly reports and the Chief Secretary is getting it and he is looking to it.

श्री जनार्दनराय नागर : Is the Governmment prepared to give the House an opportunity to discuss this problem ?

श्री अध्यक्ष : The Government is going to ractify the problem.

श्री जनार्दनराय नागर : Is the Government not prepared to give an Half hour or hour to discuss ?

Page No 8



**श्री अध्यक्ष** : We have discussed it so many times. The Hon'ble member has been good enough to raise this issue so many times.

**श्री जनार्दनराय नागर** : I wanted the House to be taken into confidence. Our discussion wil lhelp and strengthen the Government a lot Sir.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : Hands are strengthened when discussion is held on the Budget and Governors' speech.

**श्री पी० के० चौधरी** : It has said regarding the cadre, strength and staff position in each office and section. So whether the Government has admitted that position? Whether the Government has given adequte staff ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : The departments, they can put up their proposals and according to that we take action.

## पशु मेले को हटाना

**१३२४. श्री मंगलसिंह** (रानी वाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा सन् ५५ में सांचौर से पशु मेला हटाकर सेवाड़िया में क्यों लगाया गया था ? तथा उसे पुन: सांचोर में लगाने के क्या क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : ज़िलाधीश जालोर की सिफारिश के आधार पर यह मेला सांचोर में सन् १६५५ में सेवाड़िया लगाया गया था। पुन: सरकारी आदेशानुसार सन् १६५७ में सांचोर लगाया जा रहा है।

## सैन्ट्रल चम्बल प्रोजेक्ट कन्ट्रोल बोर्ड की सिफारिशों की अभिपूर्ति

**१३२५. श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister-in-charge of Irrigation be pleased to state :—

1. What suggestions and recommendations the Central Chambal Project Control Board made to the various State Government regarding the execution of the various stages of the Project ? copy of the same may be placed on the table of the House.

2- Is it correct that quite a number of recommendations of the Board have not yet been implemented by the Government ? If so, what are those recommendations ? Is it correct that the non-implementation of these recommendations have resulted in delaying execution of the scheme ?

**सिंचाई मंत्री** (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, सवाल बड़ा जनरल है। इसमें यह पूछा गया है कि चंबल कंट्रोल बोर्ड ने प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के बारे में क्या क्या रिकमन्डेशन्स की हैं। चार साल से चंबल प्रोजेक्ट कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है और हर साल इसकी मीटिंग्ज होती हैं और सजेशन्स दिये जाते हैं। मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया था कि यदि आप कोई स्पेसिफिक बात की जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको जानकारी दे सकता हूं वर्ना चार साल की जानकारी देना मुश्किल है।

**श्री पी० के० चौधरी** : What are their recommendations of the last stage of the projects ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : लास्ट स्टेज का सवाल है नहीं। इसकी तीन स्टेजेज़ हैं। फर्स्ट स्टेज़ चल रही है गांधीसागर और कोटा बेरेज़ बन रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह शुरू स्कीम शुरू हुई थी और सेकन्ड पंच वर्षीय योंजना के अंत तक समाप्त होगी। राना प्रतापसागर डेम की योजना सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में शुरू हुई थी और थर्ड फाइव प्लान में समाप्त होगी और इसकी थर्ड स्टेज़ थर्ड फाइव ईयर प्लान में शुरु होगी।

**श्री पी० के० चौधरी** : कोटा बेरेज के लिये उनकी क्या योजना है, क्या सजेशन्स हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : कोटा बेरेज इज अंडर कंस्ट्रक्शन।

**श्री पी० के० चौधरी** : इसके कम्पलीशन का टार्गेट डेट कब का है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : अगले साल हो जायगा।

## अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के अध्यापकों की अनुपात रूपेण नियुक्तियां

१३२६. **श्री गोवरधनसिंह केन** (बयाना-सु) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) शिक्षा विभाग राजस्थान में सन् ५७. ५८ तथा ५८. ५९ में कितने अध्यापकों की नियुक्तियां हुई और उनमें अनुपात से कितने अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार लिये गये ?

(२) क्या पिछड़ी जातियों में से नियुक्तियां सरकार द्वारा स्वीकृत अनुपात के अनुसार हुई हैं ? यदि अनुपात में कम हैं तो क्यों ?

(३) भरतपुर ज़िले में ज़िला शिक्षा निरीक्षक के अधीन कितने अध्यापकों की गत दो वर्षों में नियुक्तियां हुई जिनमें किस किस जाति के कितने कितने उम्मीदवार चुनाव में आये ?

(४) क्या यह सच है कि ग्राम खानुवा, तहसील रूपवास, ज़िला भरतपुर में सरकार मिडिल स्कूल खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उप-मंत्री शिक्षा विभाग** (श्री पूनमचंद विश्नोई) : (१) सन् ५७. ५८ में ४,८२० अध्यापकों की नियुक्तियां हुई और सन् ५८. ५९ में ७,३२६ की हुई।

(१) अनुसूचित तथा पिछडी हुई जातियों के २७६ उम्मेदवार सन् ५७. ५८ में और ५४३ उम्मीदवार सन् ५८.५९ में लिये गये।

(२) जी नहीं। क्योंकि अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार पूरी संख्या में उपलब्ध नहीं थे।

(३) ३४१ अध्यापकों की नियुक्तियां हुई। इनकी जातिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) जी नहीं।

( कृपया परिशिष्ट १ देखिये )

# Page No 10



**डॉ० बहादुरसिंह ( धौलपुर )** : प्रश्न यह है, आपने बताया कि क्योंकि अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो क्या उनकी उपलब्धि के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : यदि उपलब्ध हों तो ला दीजिये, उनको रख लेंगे टीचर्स में।

**डॉ० बहादुरसिंह** : सवाल यह है कि उपलब्ध हो सकें, ऐसी योजना बनाई गई है या नहीं ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : एम्पलॉय-मेन्ट एक्सचेन्ज में नाम रजिस्टर कराने के बाद वे लोग एप्लाई कर सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : सारा शिक्षा विभाग इसी लक्ष्य से चलाया जा रहा है।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ( डीग )** : खानवा में मिडिल स्कूल खोलने के बारे में आपने जवाब दिया कि नहीं तो क्या इस प्रकार की योजना सरकार का शिक्षा विभाग बनाता है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : जी हां।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटी में क्या तय होता है ?

**श्री पूनमचंद विश्नोई** : उनसे सूचना मंगाई जाती है, उपलब्धि की लिस्ट मंगाई जाती है।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : खानवा के बारे में सूचना आई है क्या ?

**श्री पूनमचंद विश्नोई** : जी हां।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : उस पर क्या विचार किया ?

**श्री पूनमचंद विश्नोई** : अब तक विचार नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटीज़ की मीटिंग थोड़े दिन पहले हुई थी। मेरे पास रिपोर्ट जायगी तब बताऊंगा।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : आपने अभी उत्तर में बताया था कि सूचना आ चुकी है और अब कहते हैं कि नहीं ?

**श्री पूनमचंद विश्नोई** : मैंने उत्तर 'जी नहीं' में दिया था। मैंने अपने आपको दुरूस्त किया था सूचना मेरे पास नहीं आई।

**श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी)** : सुरक्षित स्थान अनुसूचित जातियों के लिये है लेकिन पिछड़ी जातियों के लिए हैं क्या ?

**श्री पूनम चंद विश्नोई** : पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के लिये १२॥ पर्सेंट है।

**श्री रामचन्द्र ( डग सु० )** : पिछड़ी जातियों के लिए नहीं है। अनुसूचित जातियों के लियेहै।

**श्री पूनमचंद विश्नोई** : पिछड़ी जातियों के लिये नहीं है।

**श्री सूबेदारसिंह** : क्या आपने यह संख्या पिछड़ी जातियों की बताई थी ?

**श्री पूनमचंद विश्नोई** : पिछड़ी जातियों की नहीं बताई थी।

**श्री सूबेदारसिंह** : अनुसूचित जातियों

( श्री सूबेदारसिंह )

के लोग नहीं मिलते हैं तो क्या पिछड़ी जातियों के लोगों को लिया जाता है ?

**श्री पूनमचंद विश्नोई :** अगर नहीं मिलते हैं तो सिलेक्शन सब में से किया जाता है।

## माउन्ट आबू में मकानात के वृक्षों पर सरकारी हक

१३२७. श्री **दलपतसिंह** ( आबू ) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या यह सही है कि माउन्ट आबू में मकानों के अहाते में खड़े वृक्षों पर भी मकान मालिकों का मालकाना हक न मानकर सरकारी हक माना जाता है।

(ख) क्या यह भी सही है कि मकान मालिक को अहाते के भीतर भी वृक्ष काटने के लिए ५ रू० प्रति वृक्ष फीस देनी पड़ती है ?

(ग) क्या राजस्थान के अन्य भागों में भी ऐसा कानून है ? यदि नहीं, तो फिर आबू में क्यों है ?

**मंत्री वन विभाग** (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

**श्री दलपतसिंह :** इसका उत्तर आपने जी हां, में दिया तो उनके पास से फीस क्यों ली जाती है और जो वृक्ष निजी संपत्ति के मकानों के अहाते में खड़े हैं उनके बारे में क्या होता है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** वहां पर वृक्षों को निजी संपत्ति में माना नहीं गया है। आबू जब सिरोही स्टेट में था तब अंग्रेजों को लीज कर दिया गया था लीज पर उनके साथ एग्रीमेन्ट था कि वहां के खनिज पदार्थ पेड़ वगैरा गवर्नमेन्ट के ही रहेंगे इसलिए उनको कोई नहीं काट सकता। आबू एक हिल स्टेशन है इसलिए वहां पर वृक्षों की इम्पोर्टेन्स ज्यादा है। वह हरा भरा रहे, पेड़ कटे नहीं। जिस तरह से दूसरे हिल स्टेशन्स पर होता है उसी तरह से यहां पर भी पेड़ों की रक्षा होनी चाहिये। अगर हिल स्टेशन पर रुटीन में पेड़ काटने लग जांय तो ब्यूटी कम रहेगी। लीज़ पर दिया गया उस समय भी एग्रीमेंट था। अंग्रेजों से वापिस सिरोही स्टेट में आया तब सिरोही स्टेट ने भी नोटिफिकेशन के जरिये उसी को चालू रखा और कहा कि पेड़ नहीं काटे जांय। और जो काटना चाहें वह फोरेस्ट ऑफिसर के यहां ५ रु० जमा कराकर उनकी इजाजत लेकर काटें। जब आबू सिरोही में नहीं रहा और बम्बई में गया तब बम्बई स्टेट ने भी वही बात जारी रखी और जब वापिस अपने पास आया हम भी उसी कानून के मुताबिक चल रहे हैं। इसको वाज़िब इसलिए समझते हैं कि हिल स्टेशन पर पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिये।

**श्री शोभानसिंह** (बयाना) : क्या लीज़ में यह बात है कि अपने मकान के कम्पाउन्ड में भी पेड़ नहीं काट सकते ?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** बराबर।

**श्री मूलचन्द डागा** ( पाली ) : क्या फलदार पेड़ों के फलों का उपयोग कर सकते हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : नीम के पेड़ के गुट्टे खा सकते हैं ।

(हंसी)

**श्री मूलचन्द डागा** : आम के पेड़ का उपयोग कर सकते हैं या नहीं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : केरियां खा सकते हैं ।

**श्री श्रीमानसिंह** : क्या हर कम्पाउन्ड में ट्रीज़ को मार्क किया है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : बराबर गिनती की गई है ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाज़ार, जयपुर ) : क्या लीज में यह बात है कि पेड़ काटने के लिये ५ रु० देने पड़ेंगे ।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : पेड़ काटने के लिये इजाजत लेनी पड़ेगी और ५ रू० जमा करायेंगे तभी काट सकेंगे ।

**श्री सतीशचद्र अग्रवाल** : क्या पांच रुपये लेकर मालिक मकान पेड़ अपने कम्पाउन्ड में से नहीं काट लेंगे ? जब कि सरकार यह चाहती है कि आबू पड़ों से हरा भरा रहे तो पेड़ काटने की इजाज़त क्यों दी जाती है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आखिर इन्सान को ज़रुरत हो सकती है । ५ रु० का कंसीड्रेशन नहीं है, कंसीड्रेशन यह है कि बिना जरूरत पेड़ नहीं काटे । अगर वास्तव में किसी को पेड़ की जरूरत है तो पैसा जमा करके पेड़ काट सकता है ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या यह उचित नहीं समझते कि ५ रुपये जमा कराकर तहसीलदार से इजाज़त लेली जाय ?....

**श्री जनार्दनराय नागर** ( मावली) : अध्यक्ष महोदय, नीम के गुट्टे . .

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : On a point of Order. When a supplementar question has been put by an Hon'ble member. another Hon'ble member should know the decorum of the House and he should not interrupt. My question is still pending and let a reply to it come first.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आप तहसीलदार का सुझाव दे रहे हैं । डी. एफ. ओ. तहसीलदार से रेन्क में बड़ा है उससे इजाज़त लेनी पड़ती है ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपने कहा ५ रु० का कंसीड्रेशन नहीं है तो क्यों रखा है, तहसीलदार की इजाज़त लेकर पेड़ क्यों नहीं काटने देते ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : ५ रुपये भी लोग आसानी से देने के लिए तैयार नहीं है इसलिये इजाज़त लेने के लिये नहीं जाते ।

**श्री दलपतसिंह** (आबू) : को हरा भरा रखें, वहां जगह है और काफी वृक्ष लगाये जा सकते हैं । जो टोल्स हैं, वे वैसी ही पड़ी हैं. वहां जमीन काफी है । लेकिन जो निजी सम्पत्ति है, उस पर इन्डीविजूअल का राइट है, वहां पौधे वगैरह होते हैं कुछ फ्लावर होते हैं, एक दो पेड़ होते हैं । उनके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, स्टेट ने क्या किया अब हमारी सरकार क्या करना करना चाहती

( श्री दलपतसिंह )

है। जो निजी हक माना जाता है, उसकी सरकार रक्षा करेगी या नहीं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : निजी हक नहीं है। साफ बता दिया है कि निजी हक नहीं है। एक स्वस्थ्य परम्परा हम चाहते हैं, इसलिए इसे कायम रखना है।

**डॉ० बहादुरसिंह** ( धौलपुर ) : परम्परा से लोग लगाना बन्द कर देंगे, निजी सम्पत्ति में।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : पेड़ लगाना बन्द कर देंगे, तो हम तो बैठे हैं।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : आबू की तरह राजस्थान के अन्दर जो दूसरे टूरिस्ट सेन्टर्स हैं, वहां पेड़ लगायेंगे Whether you contemplate to impose these conditions on other Tourist Centres in the State ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : दो टूरिस्ट सेन्टर्स हैं, जयपुर में हिल स्टेशन है ?

**श्री पी० के० चौधरी** : टूरिस्ट सेन्टर का मतलब हिल स्टेशन होता है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : एक्चूअली टूरिस्ट महकमा है जयपुर में।

**डॉ०बहादुर सिंह** : जयपुर में हिल स्टेशन कौनसा है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : राजस्थान की राजधानी जयपुर है।

(हंसी)

**श्री मदनसिंह** ( दांता रामगढ़ ) क्या यह कानून भूतपूर्व नरेशों की कोठियों पर लागू है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आबू में रहने वाले कई लोगों पर लागू है।

**श्री भैंवरलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा सु०) : मकान मालिक पेड़ न लगायें, तो मकान में हम पेड़ लगायेंगे, बंगले में लगायेंगे ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मकान में क्यों लगायें, हमारे पास जमीन पड़ी है।

**श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** : पांच रुपये लेने की बात पर लोग पेड़ लगाना बन्द कर देंगे, तो मकान में पेड़ लगायें या जमीन में लगायेंगे ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : हमारी जमीन में लगायेंगे। ऐसा नहीं है कि पेड़ काटने के लिए पांच रुपये लेंगे तो पेड़ नहीं लगायेंगे। उनके मकान की खूबसूरती बढ़ती है, उनको छाया मिलती है।

**श्री अध्यक्ष** । श्री प्रभुदयाल पुरोहित।

**श्री दयाकृष्ण विजय** ( छाबड़ा ) : टिनेन्सी एक्ट की धारा ८० से ८४ में प्रावधान है उसके प्रावधान इस पर लागू होते हैं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इसके लिए जो है इसको टिनेन्सी एक्ट ओवर राइट नहीं करता है।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : क्या यह सही

( श्री दयाकृष्ण विजय )

है कि जो कॉरसपोन्डिंग लॉ थे, वह रिपील हो गये, जब टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ है, उसके प्रावधान लागू होते हैं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : ऐसा नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : ऐसा नहीं है। टिनेन्सी एक्ट काश्त की जमीन पर लागू होता है।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : जो खेत के मालिक होंगे, वे जिस जमीन पर काश्त करते हैं, उसमें कुछ वृक्ष लगे हुए हैं। टिनेन्सी एक्ट उन पर लागू होगा।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह कानूनी मसला है। टिनेन्सी एक्ट को अच्छी तरह से समझें। यहां ट्रान्स्फर की बात है।

**श्री सतीशचान्द्र अग्रवाल** : जो नोटीफिकेशन स्टेट ने जारी कर दिये उनके आधार पर वर्क करते रहें, यह उचित नहीं है। आप कहते हैं कि जिनको इन्डिव्युअल ग्रीवियेन्स है वे कोर्ट में जा सकते हैं। आप इन नोटीफिकेशन्स की वेलिडीटी को लॉ डिपार्टमेंट में एग्ज़ीमेन करा लें, यह देख लें कि जिस आदमी की प्रोपर्टी में पेड़ हैं, मैं समझता हूं कि उसे फन्डामेन्टल राइट है कि उसे काट लें। आप उससे पांच रुपये वसूल नहीं कर सकते। उन एग्रीमेन्ट्स और नोटीफिकेशन्स की वेलिडिटी को आप एक्ज़ामिन करा लें। मैं निवेदन करूंगा कि लॉ डिपार्टमेंट से इसे एग्ज़ामिन करा लें और वेलिडिटी देख लें।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : लॉ डिपार्टमेंट से हमारा तो एग्ज़ामिन कराया हुआ है। हमें संसेन्टिटी है कि यह कानून सही है। विधान में भी आप देखेंगे कि एक आर्टिकल दिया हुआ है कि विधान के लागू होने से पहले जो कोई एग्रीमेंट या नोटिफिकेशन्स होंगे वे सब जायज होंगे।

**श्री सतीशचान्द्र अग्रवाल** : कौनसा आर्टिकल।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : ठीक याद नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : सारे नोटिफिकेशन नहीं Only those notificafions which are not inconsistant with the Constitution.

श्री प्रभूलाल पुरोहित।

## मोहनपुरा (सांगानेर) में खाद प्रशिक्षण शिविर

**१३२८. श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे (१) क्या सांगानेर विकास खंड के अंतर्गत मोहनपुरा में खाद प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था ?

(२) क्या उक्त कैम्प में महिला शिक्षा अधिकारिणी भी गई थी ?

(३) क्या सांगानेर विकास अधिकारी के सामने उक्त महिला–समाज शिक्षा अधि–कारिणी ने किसी व्यक्ति द्वारा उक्त कैम्प में अशिष्ट व्यवहार करने की शिकायत पेश की ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी ने क्या कार्यवाही की ?

**उप-मंत्री, सामुदायिक योजना** (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

( श्री प्रभुलाल पुरोहित )

(२) जी हां। जवानी शिकायत की जांच की गई और उसके परिणाम स्वरूप यह मालूम हुआ कि उसमें सत्यता नहीं थी।

**प्रश्न संख्या १३२६**

**श्री अध्यक्ष** : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री जयसिंह।

## श्री गांधी बहुधंधी सहकारी समिति बदनोर में गबन

१३३०. **श्री जयसिंह** (आसिन्द) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) श्री गांधी बहुधन्धी सहकारी समिति बदनोर तहसील आसिन्द में कितने हजार रुपयों का कब गबन हुआ ? और उसकी इत्तला पुलिस स्टेशन बदनोर में कब किसके द्वारा मिली ?

(२) पुलिस थाना बदनोर ने इसकी कार्यवाही में कितना समय लगाया ? क्या इतनी देरी की यह वजह है कि उक्त अपराधी ग्राम पंचायत बदनोर का सरपंच और नम्बरदार होने के कारण पुलिस अधिकारियों ने उन्हें यथा समय गिरफ्त में नहीं लिया और उन्हें रूपोश होने का अवसर दिया ?

(३) अब यह मामला किस स्टेज पर कहां है ?

**गृह मंत्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) :

(१) गांधी बहुधंधी सभा समिति में ५८००रु० का गबन कोऑपरेटिव इन्सपेक्टर श्री बी०-एस. आहुजा द्वारा उनके निरीक्षण के समय ज्ञात किया गया असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज भीलवाड़ा से थाना बदनोर में दिनांक २६. ८. ५८ को रिपोर्ट प्राप्त हुई। अनुसन्धान द्वारा पूरी गबन की हुई रकम रु० ६०२३.२५ नये पैसे ज्ञात हुई।

(२) प्रकरण अंकित करने के पश्चात पुलिस ने इसे राजकीय रकम का गबन का मामला समझ कर कागजात एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में भेजे यहां से ता० २७. १०. ५८ को वापिस प्राप्त हुई और फिर तुरन्त ही अनुसन्धान प्रारम्भ करके ता० २. २. ५६ को समाप्त की गई। अनुसन्धान इससे पूर्व समाप्त नहीं की जा सकी क्यों कि हिसाब की दुबारा जांच में ढाई महिने लगे और न कि इसलिए कि अपराधी सरपंच का नम्बरदार था। पुलिस ने अपराधी को फरार होने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया अपितु उसे दिनाकं २. २. ५६ जैसे ही अनुसन्धान समाप्ति हुई और उसके अन्तर्गत धारा ४०६ आई. पी. सी. के अन्तर्गत प्राईमाफेसी मुकदमा बना कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

(३) मुकदमा एस. डी. एम. गुलाबपुरा की अदालत में जेर तजबीज है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी-बाजार, जयपुर) : क्या सरपंच को गिरफ्तार किया गया ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जी हां।

**श्री जयसिंह** : चालान किस प्रकार किया गया ?

# Page No 16



**श्री रामकिशोर व्यास** : सी. आर. पी.-सी. के तहत किया है ।

**श्री जयसिंह** : मिनिस्टर साहब की जानकारी के लिए निवेदन करूं कि पुलिस मिली हुई है, जो चालान की तारीख आपने बताई, मेरे पास जानकारी है कि उसे हैन्ड कफ नहीं किया गया । वह एस. डी. ओ. के पास पहुंच गया और उसे वहां गिरफ्तार किया गया ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : आपकी राय से उसे हैन्ड कफ करना चाहिए था ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मूलचन्द डागा ।

**राजस्थान के बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति**

१३३१. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

राजस्थान के बाहर ऐसे कितने विद्यार्थी किन किन संस्थाओं में पढ़ते हैं जिन्हें सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मिलती है तथा उन्हें कितनी कितनी छात्रवृत्ति मिलती है ?

**उप-मंत्री शिक्षा विभाग ( श्री पूनमचन्द विश्नोई )** : सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

**श्री मूलचन्द डागा** : आपने इन्जीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेन्ट्स बताये, श्री विजय कुमार शर्मा और श्री अश्विनी कुमार, ये किस ईयर में पढ़ते हैं ?

**श्री पूनम चन्द विश्नोई** : यह जबानी याद नहीं । आपने जो पूछा है, उसकी सूची दे दी है ।

**श्री मूलचन्द डागा** : जोधपुर में इन्जीनियरिंग कॉलेज खोल रखा है, फिर कौनसी शिक्षा के लिए दूसरे इन्जीनियरिंग कॉलेज में भेजा ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : जोधपुर में सिविल और इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग है, और भी इन्जीनियरिंग हैं, टेक्निकल इन्जीनियरिंग, केमिकल इन्जीनियरिंग हैं, उनके कोर्स के लिए गये हैं । जो कोर्स अवेलेबल हैं, उसके लिए बाहर स्कॉलरशिप नहीं देते हैं ।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपने विजय कुमार और अश्विनी कुमार के नाम बताये हैं.......

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : इन्स्टिट्यूशन बतायें ।

**श्री मूलचन्द डागा** : बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के बारे में हैं, वहां कौनसे सब्जेक्ट के लिए भेजे हैं, किस ईयर के स्टूडेन्ट हैं ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : वह मैं मालूम करके बता दूंगा । लम्बी चौड़ी सूची है । आपने प्रश्न में पूछा नहीं, इसलिए बताया नहीं ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी-बाजार, जयपुर ) : जिनको छात्रवृत्ति दी गई है, वे उन कोर्सेज के लिए हैं तो राजस्थान में नहीं हैं ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : जनरली नहीं है । मैं निवेदन करता हूँ कि बहुत से स्टूडेन्ट्स हैं जिनके हाई पर्सेन्टेज के मार्क्स होते हैं और दूसरे इन्स्टिट्यूशन्स में जाना

# Page No 17



( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

पसन्द करते हैं और जो मेरिट में आते हैं उनके बारे में कन्सीडर करते हैं। ऐसे कोई नहीं हैं, जो रिजेक्ट हो गये हैं, जिनके मार्क्स कम हैं, उन्होंने एडमिशन लिया हो ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जो कोर्स राजस्थान में हैं, उनके लिए भी छात्रवृत्ति दी जा सकती है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : जी हां, कुछ केसेज में ।

**श्री जनार्दनराय नागर** ( मावली ) : हिन्दु विश्व विद्यालय में राजस्थान के विश्वविद्यालय के लिए सीट्स रिजर्व हैं ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : यह अलग प्रश्न है ।

**श्री मूलचन्द डागा** : देहरादून में सैनिक शिक्षण के लिए भेजते हैं, उसके लिए कोई काइटेरिया होते हैं, जिन्हें सैनिक स्कूल में भेजते हैं ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : सैनिक स्कूल में शिक्षण के लिए सलेक्शन सैनिक स्कूल वाले करते हैं । राजस्थान गवर्नमेंट स्कालरशिप देती है जब एडमिशन हो जाता है ।

**डॉ. चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट लिया करते हैं ?

**श्री पूनमचंद विश्नोई** : जी हां । प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखने के बाद दूसरी साल के लिए स्कॉलरशिप रिन्यू करते हैं ।

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : राजस्थान के विश्व विद्यालयों का स्तर दूसरे विश्वविद्यालयों के बराबर उठाना चाहते हैं ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : उनके बराबर का है, कम नहीं ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपने फर्माया कि बाहर वही भेजे जाते हैं जिनके ज्यादा नम्बर होते हैं तो क्या यह माना जावे कि जो विद्यार्थी बाहर भेजे गये हैं उनके नम्बरों का पर्सेन्टेज यहां के विद्यार्थियों से ज्यादा है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : उन लोगों ने अपना एडमिशन कराया और जिस समय मदद के लिये हमने एप्लीकेशन मांगी तो उन्होंने अपनी अर्जियें दी ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जो लोग जोधपुर इंजिनियरिंग कालेज में पढ़ते हैं उनके नम्बरों के पर्सेन्टेज से जो लोग बाहर गये हुये हैं और जिनको छात्रवृत्ति दी गई है क्या यह माना जावे कि हर एक विद्यार्थी के नम्बर उनसे हाई हैं ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : हमारे यहां सिद्धान्त मेरिट कम नीड है ।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर-सु०): शिड्यूल्ड कास्ट के कितने लोगों को सरकार ने बाहर भेजकर छात्रवृत्ति दी ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : हमने किसी को बाहर नहीं भेजा । वे खुद बाहर गये और अपना एडमिशन लिया ।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री**

Page No 18



( श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री )

आपकी तरफ से क्या प्रयत्न उनके लिये किये गये ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : हमारी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं होते। हम स्कॉलर शिप देते हैं।

**श्री पी० के० चौधरी** : (फुलेरा) आपने मेरिट कम नीड का क्राइटेरिया बताया। जब आपको नीड क्राइटेरिया है तो जहां पर ज्यादा खर्चा होता है वहां पर आपने उनको क्यों एडमिट कराया।

**श्री अध्यक्ष** : इन्होंने उनको एडमिशन नहीं दिलाया और न एडमिट कराये।

**मुख्य मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): मैं यह निवेदन करूं कि वे किस किस कोर्स में गये हुए हैं इसकी आपको जानकारी हो जाये तो काफी संतोष हो सकता है।

वे, सैनिक स्कूल, देहरादून में, दूसरे टेक्निकल कालेज में गये। उसके बाद माइन्स एन्ड जियोलोजी धानबाद, बिडला विश्वकर्मा महाविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, बिड़ला टेक्निकल इन्स्टिटट्यूट, रांची, कालेज ऑफ माइनिंग एन्ड मेटेलीरी, बनारस,

Deptt. of Chemical Technology Matunga, Road Bombay.

Lukhdhirji College of Engineering Morvi.

Indian Institute of Technical Kharagapur.

College of Engineering and Technical Jadavpur University, Calcutta.

M. C. M. Medical College, Indore, Indian School or Social Studies, New Delhi.

इस प्रकार टेक्निकल कालेज में भेजे गये हैं। इससे आपको मालूम होगा कि या तो वे टेक्निकल कोर्सेज में गये हैं या मेडिकल में गये। आज भी हमारे यहां टेक्निकल आदमियों की डिमान्ड है। मेडिकल में ज़रूरत है। हर तरह से जो लोग अपनी कोशिश करके एडमिशन बाहर लेते हैं तो तो हमको उनकी हेल्प करनी चाहिये। आप देखेंगे कि ज्यादातर टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही हैं जिसके लिये हमको मदद करनी चाहिये।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : इन्दौर में जो हैं उनके नाम बतावें।

**श्री अध्यक्ष** : वहां पर दो हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उनके नाम बता दें।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : श्री प्रमोद चन्द्र सोगानी और श्री प्रेमकृष्ण चांडक।

**श्री रामचन्द्र** : (डग-सु०) मैरिट्स के अनुसार लिये गये हैं और भेजे गये हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर भेजने का प्रश्न नहीं है। हम उनको वहां पर नहीं भेज सकते हैं हमको वहां पर भेजने का अधिकार नहीं है। वे खुद वहां पर सिलेक्ट हो जाते हैं।

**श्री रामचन्द्र** : मुझे आपके उत्तर से कोई एतराज नहीं है। मेरा प्रश्न और

# Page No 19



( श्री रामचन्द्र )

है आप उसको सुनतो लें। जो विद्यार्थी जाते हैं, वे मेरिट में लिये जाते हैं उसमें शिड्यूल कास्ट का कोई विद्यार्थी नहीं है और वे मेरिट के अनुसार सिलेक्शन में नहीं आ सकते हैं। क्या इसके लिए सरकार कोई स्कीम सोच रही है ताकि जो लोग नहीं आ सकें, इसमें आ सकें।

**श्री मोहन लाल सुखाड़िया** : मैं यह निवेदन करूंगा कि यह राजस्थान के बाहर की बात है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। भैरवलाल काला बादल।

**श्री रामचन्द्र** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

मेरा तो यह निवेदन है कि आया इस प्रकार की स्कीम सरकार के विचाराधीन है या नहीं विशेष सहायता देकर उनको बढ़ावा दिया जावे जिससे वे मेरिट में आ सकें।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जी हां इन्जिनियरिंग कालेज में कुछ कन्सेशन दिये हैं

**श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** : अगर हरिजनों के लिये सरकार ही कोई प्रयत्न नहीं करेगी, तो कौन करेगा।

**श्री अध्यक्ष** : बाहर क्यों जावें। अभी तो यहीं संस्थाएं हैं जिसमें उनको सहायता दी जाती है।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** : सरकार जब यह उत्तर देती है तो फिर कौन करेगा।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अभी जो कन्सेशन हैं उसमें भी बहुत गुंजायश है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कोटा के स्टुडेन्ट धारीवाल पढ़ते हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जी नहीं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : वह थर्ड डिविज़न में पास हैं। थर्ड डिविज़न में, गांधी डिविज़न में पास हैं। उनको स्कॉलरशिप दी गई हैं।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : उनको स्कॉलरशिप नहीं दी गई है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को मालूम नहीं है उनके ४८ पर्सेन्ट मार्क हैं।

**श्री पी० के० चौधरी** : One more supplementary. Whether...

**श्री अध्यक्ष** : This question has been held up for long.

**श्री पी० के चौधरी** : जिन टेक्निकल सबजेक्ट्स के लिये हमारे यहां कोर्स पर नहीं हैं उसके लिये बाहर की स्टेट कॉलेजेज में सीट रिजर्व Whether the Government is prepared to approach the institutions outside the State for the subjects which are not available in the State to reserve the scholars of this State...

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : बात यह

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

है कि इसके लिए दूसरी स्टेट कोई तैयार नहीं होती। पहले इन्दौर में स्टेट के जमाने में अलग अलग सीट्स थी मगर उसको भी ना मंजूर किया है और मैं समझता हूं कि नेक्स्ट इयर हम अपनी ओर जरूरतों को पूरा करेंगे ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि उनके ४८ पर्सेन्ट मार्क हैं। क्या उनको स्कॉलरशिप दी जाती है या नहीं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : नहीं दी जाती है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

## गोविन्ददेवजी के मन्दिर में चोरी

१३३२. **श्री भैरवलाल 'काला बादल'** (अलकेरा सु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

( क ) क्या यह सही है कि गोविन्द-देवजी के मन्दिर की चोरी के बारे में ४, ५ सौ व्यक्तियों को पकड़ा गया था और कितने ही व्यक्तियों के माल को, शक में पुलिस ने अपने अधिकार में लिया था ? यदि हां, तो उस माल में से कितना धन वापिस लौटाया गया ।

( ख ) उपरोक्त चोरी के बारे में पकड़े गये व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति चोर साबित हुए ?

( ग ) इन पकड़े हुए व्यक्तियों में कितने मीणे थे ?

**गृह मंत्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : ( क ) गोविन्ददेवजी के मन्दिर की चोरी के मुकदमें में केवल ३ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये किन्तु तफतीश के दौरान में कई स्थानीय व्यक्तियों को पूछताछ के लिये बुलाया गया एवं उनके पास कोई सम्पत्ति नहीं ली गई। अतएव सम्पत्ति लौटाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

( ख ) कोई स्थानीय व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया किन्तु वास्तविक अपराधी रामदीन काना व रामचन्द्र बावरी पकड़े गये और चालान किया गया।

( ग ) बंदी बनाये गये तीन व्यक्तियों में से कोई भी मीणा नहीं है।

**श्री भैरवलाल 'काला बादल'** : माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। मैंने नहीं पूछा कि किसको गिरफ्तार किया मैंने तो पूछा कि ३००, ४०० व्यक्तियों को बहुत दिनों तक पुलिस में रखा गया और मार पीट की गई।

**श्री अध्यक्ष** : वह तो तफतीश की गई थी।

**श्री भैरवलाल 'काला बादल'** : १५ : १५ दिन तक उनको रोके रखा गया।

**श्री रामकिशोर व्यास** : इन्ट्रोगेट नहीं करते तो चोरी नहीं निकल सकती थी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाज़ार जयपुर ) : इसमें क्या पीटना भी आता है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

# Page No 21



### सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्क चार्ज बेसिस पर रखे कर्मचारी

१३३३. श्री **सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

( क ) सार्वजनिक निर्माण विभाग में कितने कर्मचारी वर्क चार्ज बेसिस पर नौकर हैं ?

( २ ) इनमें से कितनों की नौकरी ५ वर्ष से अधिक है ?

( ३ ) क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों की नौकरी स्थायी करने का विचार रखती है।

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना अभी पूरी उपलब्ध नहीं हो पाई है।

### संस्कृत विद्यालय मचकुण्ड, धौलपुर में वस्तुओं का अभाव

१३३४. डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

संस्कृत विद्यालय मचकुण्ड धौलपुर में किन २ वस्तुओं का अभाव है तथा उनकी पूर्ति हेतु क्या २ व्यवस्था की जा रही है और कब तक पूर्ति होने की आशा हैं ?

**उप-मंत्री, शिक्षा विभाग** (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। पूर्ति करने का प्रश्न नहीं उठता।

**श्री अध्यक्ष** : श्री पृथ्वीराज पटेल।

### लालसोट सवाईमाधोपुर सड़क पर पुल

१३३५ श्री **पृथ्वीराज पटेल** (गंगापुर सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार को यह मालूम है कि लालसोट से सवाईमाधोपुर जाने वाली सड़क पर बरसात में मोरेल नदी पर आवागमन बन्द हो जाता है यदि हां तो क्या आवागमन चालू रखने के इन दिनों में सरकार वहां पर पुल बनाने का इरादा रखती है ?

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां। केवल नदी में अधिक पानी होने पर। अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामकरणसिंह।

### कोटपुतली, कन्या पाठशालाओं में अध्यापिकाओं की कमी

१३३६. श्री **रामकरणसिंह** ( कोटपुतली ) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि कन्या पाठशालाओं तहसील कोटपुतली में अध्यापिकाओं की कमी है ५८ से चली आ रही है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इसके बारे में कई दफा सूचना देने पर भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है ?

**उप-मंत्री शिक्षा विभाग** ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

**श्री रामकरणसिंह** : क्या यह सही है कि पावटा प्राइमरी स्कूल है उसमें केवल एक ही अध्यापिका सन् ५८ से काम कर रही है।.

**श्री पूनमचंद (विश्नोई)** : पावटा में दो हैं।

**श्री रामकरणसिंह** : क्या यह सही नहीं है कि कोटपुतली में पिछली दफा सदन में बताया था कि ६ अध्यापिकायें थीं और क्या उनमें से भी कम कर दी गई हैं ?

**श्री पूनमचंद विश्नोई** : अब ८ कर दी गई हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामनारायण वर्मा

**कंवलेश्वर इन्द्रगढ़ के मेले में ट्रक दुर्घटना**

१३३७. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्द सु.) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि गत कार्तिक सुदी पूर्णिमा को उप तहसील इन्द्रगढ़ में लगने वाले कंवलेश्वर के मेले में जाते हुए लोगों के साथ ट्रक दुर्घटना घटी ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त घटना में २ औरतें तत्काल मर गई तथा २ औरतों को घायल अवस्था में इन्द्रगढ़ अस्पताल में लाया गया था ?

(ग) क्या इस दुर्घटना की रिपोर्ट थाना इन्द्रगढ़ में हुई ? यदि हां, तो कब और इसके सम्बन्ध में क्या जांच हुई तथा परिणाम क्या रहा ?

**गृह मंत्री** (श्री रामकिशोर व्यास): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, पुलिस थाने पर सूचना दिनांक २६. ११. ५८ को २॥ बजे दोपहर आई जिस पर मुकदमा नं० ४३ धारा ३०४ आई. पी सी. में दर्ज किया गया और चालान किया गया।

(घ) जी नहीं।

(ङ) ट्रक श्री बद्रीलाल दलाल का है। मुकदमे को दबाया नहीं गया। परन्तु उसका चालान किया गया है।

(नोट : मूल प्रश्न में भाग है 'ग' तक ही है किन्तु प्रश्न घ, ङ का उत्तर भी मंत्री महोदय, द्वारा दिया गया। )

**श्री अध्यक्ष** : श्री रिद्धिचन्द पालीवाल।

**सितौड़ (सवाई माधोपुर) में पुलियाएं**

१३३८. **श्री रिद्धिचन्द पालीवाल** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला सवाई माधोपुर के सितौड़, कोयला तथा पिपलाई नामक स्थानों पर पुलियाएं कब तक बन जावेंगी ?

(ख) गंगापुर जयपुर रुट पर कब तक डामर रोड बन जावेगी ?

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) कोई योजना नहीं है।

(ख) द्वितीय योजना में कार्य प्रारम्भ होकर तृतीय योजना काल में।

**श्री अध्यक्ष** : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

**भरतपुर में गुड़िया घरों की समाप्ति**

१३३६. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि भरतपुर में पहिले कोई 'गुड़ियाघर' नाम की औद्योगिक संस्था कार्य करती थी ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्था में विशेषत: वहां की अनाथ और असहाय विधवा बुढ़ियाएं हल्का काम करके अपनी उदर पूर्ति करती थीं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उक्त संस्था अब सर्वथा बन्द कर दी गई है तथा उसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित विधवायें बेकार हो गई हैं ?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त विधवाओं के जीवकोपार्जनार्थ उक्त संस्था को पुनर्जीवित करने का विचार है ?

**उप-मंत्री उद्योग विभाग** (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) हां, एक संस्था 'विडो इन्डस्ट्रियल होम' के नाम से काम करती थी ।

(ख) हां ।

(ग) जी हां । यह संस्था मत्स्य राज्य ने बन्द कर दी थी ।

(घ) ऐसा कोई विचार नहीं है ।

**श्री जुगलकिशोर चर्वेतुदी** : क्या यह सही है कि इस संस्था के बन्द हो जाने से जितनी जितनी अनाथ बुढ़ियाएं बेकार हो गई हैं उनको फिर से कोई काम देने के लिए सोचा गया है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : वह मत्स्य सरकार ने बन्द कर दी थी और ऐसा फिर से कोई सवाल नहीं आया कि आया वे विधवायें दूसरे काम पर लग गई हैं या बेकार बैठी हैं ।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : यदि यह सवाल उठाया जाय तो क्या सरकार विचार करने के लिये तैयार है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : ऐसा कोई विचार नहीं है । केवल भरतपुर के लिए ही नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई पार्टिकुलर स्कीम हो तो यह सारे राजस्थान के लिये किया जाना चाहिये ।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** एक संस्था चलती रही है और किसी कारण से बन्द हो गई जिससे सैकड़ों अनाथ विधवायें बेकर हो गई तो क्या सरकार फिर से उस संस्था को पुनर्जीवित नहीं कर सकती ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : अम्बर चर्खा चलाना चाहिये ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाज़ार जयपुर) बूढ़ी विधवायें काम कर रही हैं तो उसका नाम 'बुढ़िया घर' रख दें ।

**प्रश्न संख्या १३४०**

**श्री अध्यक्ष** : श्री धर्मपाल पंवार

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३१४

श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

डॉ० चन्द्रकला।

## जयपुर शहर की सड़कों की मरम्मत

१३४२. **डा० चन्द्रकला** (किशनपोल बाज़ार, जयपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नप्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि जयपुर शहर की कई सड़कों की हालत खराब व काबिले मरम्मत है ? यदि हां, तो कौन कौन सी ? कृपया सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

(२) क्या सरकार शीघ्र ही उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ?

**सार्वजनिक निर्माण मन्त्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जितनी सड़के हैं उनकी हालत सन्तोषजनक है। सड़कों की सूची संलग्न है,

(प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

**डॉ० चन्द्रकला** : उत्तर से मालूम पड़ता है कि कुछ सड़के सार्वजनिक निर्माण विभाग की हैं और कुछ अन्य विभागों की। जो सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने अन्तर्गत ली हैं वे किस आधार पर ली हैं?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जिस आधार पर लेनी चाहिये लें ली ।

(हंसी)

**डॉ० चन्द्रकला** : जिस आधार पर लेना चाहिये थी लें ली तो क्या दूसरी सड़कें भी पी. डब्ल्यू. डी अपने अन्तर्गत लेने का विचार रखती है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जी नहीं। जितनी लेनी थी ले ली। बहुत सी सड़कें हाई वे से कन्टेक्टेड थीं इसलिए उनको ले ली, यही आधार था। शहर की सड़कें या तो म्युनिसिपैलिटी की हैं या अन्य विभागों की।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाज़ार जयपुर ) : आदर्शनगर की किसकी है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : सूची सदन की मेज पर रख दी है।

**श्री सतीशचंद्र अग्रवाल** : सूची तो उनके पास है। आप ही बता दीजिये। सिटी इम्प्रूवमेन्ट कहता है उनकी है, पी० डब्ल्यू० डी० कहता है उनकी है। सड़कों की हालत बड़ी खराब है। किसकी जिम्मेदारी है ?

**श्री अध्यक्ष** : इसमें आदर्शनगर का नाम नहीं है।

प्रश्न संख्या १३४३

श्री किशनलाल शर्मा

( अनुपस्थित )

श्री पृथ्वीराज पटेल।

## पीपल्दा ( चोंली ) में मिडिल स्कूल का प्रारम्भ

१३४४. **श्री पृथ्वीराज पटेल** (गंगापुर-सु० ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

( श्री पृथ्वीराज पटेल )

( क ) गांव पीपल्दा में तहसील बौली के लोगों द्वारा वहां मिडिल स्कूल के लिए कमरे बनवाये जाने पर भी वहां अभी तक मिडिल स्कूल नहीं खोला गया है ?

( ख ) क्या सरकार !को यह विदित है कि वहां ३०० लड़के पढ़ते हैं तथा आबादी ४ हज़ार के आस पास है ?

**उप-मंत्री शिक्षा विभाग** ( श्री पूनमचंद विश्नोई ) :

( क ) जी हां ।

( ख ) जी नहीं ।

**डॉ० चंद्रकला** : इतनी संख्या होते हुए भी स्कूल क्यों नहीं खोला गया ?

**श्री पूनमचंद विश्नोई** : अपने उत्तर में मैंने जी नही कहा है ।

**डॉ० चंद्रकला** : क्यो नहीं खोला गया, क्या कारण है ?

**श्री पूनमचंद विश्नोई** : इसमें प्रश्न यह है कि वहां ३०० लड़के पढ़ते हैं तथा आबादी चार हजार के आस पास है । ३०० लड़के पढ़ने की संख्या दी है वहां १३८ लड़के हैं, पांच कमरे हैं । जन संख्या ४ हजार दी है जब कि वहां की जनसंख्या केवल दो हजार है ।

**डॉ० चंद्रकला** : क्या जिला समिति ने स्कूल खोलने की सिफारिश की है ?

**श्री पूनमचंद विश्नोई** : अभी हमारे पास नहीं आयी है ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सोहनलाल भटनागर :

## राजस्थान केनाल पर खर्चा

**१३४५. श्री सोहनलाल भटनागर** ( सलूम्बर ) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

( १ ) राजस्थान केनाल कच्ची बनाई जायेगी या पक्की ?

( २ ) इसको पक्की बनाने से कितना खर्चा बढ़ेगा और इससे कितना लाभ होगा ?

( ३ ) क्या राजस्थान केनाल से बिजली भी पैदा कि जायगी ?

**उप-मंत्री सिंचाई विभाग**( श्री भीखाभाई ) : ( १ ) पंजाब प्रान्त की सीमा में राजस्थान फीडर को पक्का किया जायगा जैसा कि १६५७ के स्वीकृत प्रोजेक्ट एस्टीमेट में दिया हुआ है । राजस्थान में हनुमानगढ़ के आस पास २३. ४ मील तक पक्का किया जायगा, जैसा कि डाइरेक्शन कमेटी ने मंजूर किया है । राजस्थान केनाल और उसकी शाखाओं को पक्का करने का प्रश्न अभी टेक्निकल विशेषज्ञों और सरकार के विचाराधीन है तथा यदि प्लानिंग कमीशन और सरकार ने रिवाइज्ड प्रोजेक्ट में इसकी मंजूरी दे दी तो पक्का कार्य किया जायगा ।

( २ ) राजस्थान केनाल तथा इसकी शाखाओं को पक्का कराने ।के लिए लगभग २५ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी तथा इससे १५ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी ।

# Page No 26



( श्री भीखाभाई )

( ३ ) मुख्य नहर और उसकी शाखाओं के ढ़ालों की जांच से यह विदित होता है कि २५ से ६० फीट तक का प्रभात बन सकेगा तथा योजना के एस्टीमेट स्वीकृत हो गये तो १०,००० किलोवाट बिजली पैदा की जा सकेगी।

**श्री जनार्दनराय नागर** ( मावली ) : पंजाब प्रान्त कहा गया है यह प्रान्त शब्द ठीक नहीं है। पंजाब राज्य कहा जाय।

**श्री भीखाभाई** : मेरा मतलब है प्रदेश से।

**श्री जनार्दनराय नागर** : प्रान्त के बजाय राज्य हो जाय गवर्नमेंन्ट की रिप्लाई में।

**श्री पी० के० चौधरी** ( फुलेरा ) : दस हजार किलोवाट बिजली पैदा करेंगे तो केनाल से करेंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : केनाल में फाल होगा उससे करेंगे।

श्री मोडूलाल

## बूंदी ज़िले में नए ब्लॉक

१३४६, **श्री मोडूलाल** ( हिन्डौन सु० ) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

( क ) बूंदी ज़िले में कितने ब्लॉक खुले हुए हैं ?

( ख ) क्या और भी हलके खोले जावेंगे ? अगर हां तो कब तक ?

**उप-मंत्री विकास विभाग** ( श्री सम्पतराम ) : ( क ) दो।

( ख ) सन् १९६३ तक समस्त राज्य में विकास खण्ड खोलने की योजना है।

**श्री मोडूलाल** : विकास खंड खोलने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता समझते हैं ?

**श्री सम्पतराम** : इस बात को एक से अधिक बार स्पष्ट कर दिया गया है। जितने ब्लॉक्स देने होते हैं वहां डिस्ट्रिक्ट डवेलप्मेन्ट कमेटी की भी राय ली जाती है। किसी इलाके में आयन्दा खोलने के लिए यह आधार होगा कि लोकल फन्ड से वहां कितने काम हो चुके हैं जो होने वाले थे। उस इलाके ने ग्रो मोर फूड के लिए कितनी दिलचस्पी ली है। जब तक यह आधार नहीं देख लिया जाता है तब तब नहीं खोला जाता है।

**श्री मोडूलाल** : क्या यह सही है कि तहसील किशोर पाटन में चम्बल से सिंचाई होने वाली है और विकास होने जा रहा है इसलिए इस के द्वारा वहां मदद मिल सके सो खोलने के लिए सरकार तैयार है क्या ?

**श्री सम्पतराम** : यह सही है कि किशोर पाटन में दो ब्लॉक मिलेंगे लेकिन जब नम्बर आयगा तब मिलेंगे।

**श्री मोडूलाल** : जब पानी आ रहा है. सिंचाई होगी तो बहुत जरूरी है कि वहां होना चाहिये।

**श्री सम्पतराम** : जरूरत है लेकिन यह मुख्य आधार नहीं है।

### आमेर स्थित भारमल जी की छतरी मे सफेदी करने के कारण उसमें चित्रकारी का लुप्त हो जाना

१३२०. **श्री भैरोंसिंह** ( श्रीमाधोपुर श्री शिवचरणदास द्वारा पूछा गया ) : क्या मन्त्री पुरातत्व विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि आमेर स्थित भारमलजी की छतरी में पुरातत्व विभाग ने इस वर्ष सफेदी करवाई जिससे छतरी की चित्रकारी लोप होगई ?

(ख) क्या यह सही है कि पिछले साल केमीकल डिपार्टमेंट ऑफ सेन्ट्रल गवर्नमेंट देहरादून ने इसको केमीकल्स से साफ कराया था ?

(ग) क्या यह सही है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इस चित्रकारी की नकल करवाने के लिये राजस्थान के पुरातत्व विभाग को सूचना भेज दी थी ? यदि हां, तो फिर इस पर सफेदी क्यों करवाई ? इसके लिये कौन कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार उस व्यक्ति के विरुद्ध इस सम्बन्ध में बने नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी ? यदि हां कब ?

**उप-मन्त्री शिक्षा विभाग** ( श्री पूनमचन्द विश्नोई ) :

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां, लेकिन इस पिछले १०.१२ वर्षों में सफेदी वगैहर नहीं कराई गई इसलिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाज़ार, जयपुर ) : सफेदी नहीं हुई तो चित्रकारी कैसे लोप होगई ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : यह मैंने नहीं कहा कि चित्रकारी लोप होगई।

**श्री शिवचरणदास** ( माण्डल ) : इस प्रश्न के 'ग' भाग में जो पूछा गया क्या उसकी नकल सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजी गई ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : उन्होंने यह कहा था कि हम इसके ब्लॉक तैयार करवाना चाहते हैं लेकिन बाद में उन्होंने तैयार नहीं कराये फोटोग्राफिक डोक्युमेन्टरी है।

**श्री शिवचरणदास** : यह चित्रकारी ठीक हालत में है क्या ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : जहांगीर के वख्त की है फिर भी ठीक हालत में है बहुत बहुत ठीक हालत में है यह मैं नहीं कह सकता।

**श्री शिवचरणदास** : ठीक हालत में रखने के लिये सरकार ने कोई उपाय सोचा है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : केमिकली इसको ट्रीट किया था ताकि इसका प्रीजर्वेशन हो सके।

### भीलवाड़ा बस दुर्घटना

१३४१ **श्री भैरोंसिह** ( श्रीमाधोपुर श्री शिवचरणदास द्वारा पूछा गया ) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

( श्री भैरोंसिंह )

(क) दिनांक ८ मार्च, १६५६ को भीलवाड़ा के निकट हुई बस दुर्घटना में कितने आदमी मर गये और कितने आहत हुए ?

(ख) दुर्घटना के समय इस बस में कितनी सवारियां थीं और बस में बैठने के लिये कितनी सवारियों की जगह निर्धारित थी ?

(ग) इस बस को बून्दी से भीलवाड़ा आने जाने का पर्मिट कब से कब तक का मिला हुआ था ?

(घ) इस दुर्घटना की सूचना पुलिस को कब मिली और कौन कौन अधिकारी मौके पर कितनी देर में पहुँचे ?

(ङ) क्या यह सही है कि पुलिस वहां से मृतकों की हड्डियों की ६ बोरियां भर कर लाई है ? क्या यह सही है कि पुलिस ने मौके पर किसी व्यक्ति के बयान नहीं लिये ? यदि नहीं, तो किन किन के बयान लिये ? कृपया उनकी सूची सदन की मेज़ पर रखें ।

**गृह मन्त्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) :

(क) आठ व्यक्तियों का प्राणान्त हुआ व १७ व्यक्ति आहत हुये ।

(ख) ३० से ३५ यात्रीगण दुर्घटना के समय बस यात्रा कर रहे थे और बस में बैठने की समाई ड्राईवर व कन्डक्टर सहित २६ यात्रयों की थी ।

(ग) बस नं० आर जे जी २३४ को बून्दी व भीलवाड़ा के मध्य किराये पर चलाने का पर्मिट नहीं था ।

(घ) सूचना १. ३० बजे दिन में मिली व एस० आई उधामल दुर्घटना स्थल पर दिनांक १.४० बजे, दिन के पहुँचे और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस १. ४५ बजे पहुँचे ।

(ङ) ज़ी नहीं । हड्डियां बोरियों में नहीं लाई गई । सात व्यक्तियों के यानी सर्व श्री मागू, प्रेमा, सीताराम, फिर भूरालाल, देवीलाल तथा भगवती के बयान घटनास्थल पर लिये गये थे ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाज़ार, जयपुर ) : क्या उस बस मालिक के खिलाफ मुकदमा रजिस्टर किया गया जिसने बिना पर्मिट बस चलाई ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** - क्या इस बात का भी केस रजिस्टर किया गया कि बस ओवर लोडेड थी ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह तो ड्राईवर पर हो सकता था वह तो मर गया ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : What was the cause of tragedy ?

**एक माननीय सदस्य** : क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री महोदय ने मृत व्यक्तियों के परिवारों को निर्वाह के रूप में कुछ सहायता देने की घोषणा की थी ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मोटरवि-

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

हीकल्स रूल्स के अन्तर्गत ओवरलोडिंग के लिये कन्डक्टर को चालान किया जा सकता

**श्री रामकिशोर व्यास** : क्या पता वह जिन्दा है या मर गया ।

**श्री सतीशचंद्र अग्रवाल** : जिन नामों की सूची आपने सदन में रखी है उनमें कन्डक्टर भी शामिल है या नहीं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : आठ आदमी है उनमें कन्डक्टर भी है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता । इस पर भी यदि कोई लीगल एक्शन हो सकता है तो we will do it

**श्री सतीशचंद्र अग्रवाल** : कर लेंगे लेकिन अब तक क्यों नहीं किया ? तो सवाल तो यह है ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : बिना जांच किये कैसे केस चल सकता है उसके लिये इजाज़त लेनी होती है ।

**रावराजा श्री सरदार सिंह** ( उनियारा ) : हड्डियों को बोरियों में भर कर कौन लाये ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह किसने कहा हड्डियां भर कर लाये ।

**श्री रामेश्वरदयाल** ( कोटा ) : इस दुर्घटना का क्या कारण था ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : हजूर मैं आपको बता देता हूँ ।

**श्री जनार्दनराय नागर** ( मावली ) : अध्यक्ष महोदय, यह हजूर शब्द सामन्ती है ।

**श्री ... किशोर व्यास** : बड़ों के लिये प्रयोग होता है । दुर्घटना का कारण यह था कि टायर बर्स्ट हो गये थे । टायर बर्स्ट होने से यह दुर्घटना हुई ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या यह सही है कि बस के अन्दर पेट्रोल के टीन रखे थे और उनके फट जाने से दुर्घटना हुई ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : It was one of the reason.

**श्री सतीशचंद्र अग्रवाल** : क्या यह सही है कि जो मोटर मालिक है जिसने बिना पर्मिट बस चलाई उसके अलवा पेट्रोल के टीन बस के अन्दर रखे और ओवर लोड किया ? ऐसी हालत में क्या सरकार ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी को इस बात की हिदायत देगी कि आयन्दा उसको बस का का पर्मिट न दिया जाय ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह तो आर० टी०ए० के सोचने की बात है ।

**श्री शिवचरणदास** : एस० पी० मौके पर किस वक्त पहुंचे और कितनी देर ठहरे ?

**श्री अध्यक्ष** : १. ४५ बजे पहुंचे ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : वे ठहरे कितनी देर, यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जिलाधीश महोदय वहां पर, मौके पर क्यों नहीं गये ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : एस० पी० चले गये थे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : एस० पी० गये यह ठीक है किन्तु कलेक्टर महोदय, को जाना चाहिये था क्योंकि कलेक्टर्स को जितनी पॉवर्स हैं उतनी पॉवर्स एस० पी० को नहीं है। वह क्या इसलिये नहीं गये कि वे भारत सेवक समाज के अधिवेशन में संलग्न थे ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जाना कोई जरूरी नहीं।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : आर० टी० ए० को मोटर विहिकल्स एक्ट की तहत डायरेक्शन देने का सरकार को अधिकार है वैसी हालत में सरकार यह डायरेक्शन देगी कि आयन्दा इस बस मालिक को बस का पर्मिट न दिया जाय।

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह तो उनके सोचने की बात है।

**श्री पी० के० चौधरी** : Whether such people should be blacklisted or not. My question is whether the Government can issue directions to the R. T. A. in these matters.

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह कानून का सवाल हैं।

**श्री पी० के० चौधरी** : It is a very simple question. The Government is authorised and you are trying to avoid the answer. Why does not the Government issue directions to the R. T. A. to black-list the people who flagrantly violate the rules ? इनडिविज्युअल केस में आप डायरेक्शन न दें किन्तु जनरल डायरेक्शन तो आप दे सकते हैं।

**श्री रामकिशोर व्यास** : जनरल पॉलिसी की बात कही जा सकती है।

**श्री पी० के० चौधरी** : मेरा मतलब भी यही है इनडिविज्युअल केसेज़ में नहीं कह सकते जनरल तो कह सकते हैं ? It is not for individual but for general.

**श्री रामकिशोर व्यास** : जनरल पॉलिसी की बात कही जा सकती है।

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : जिन लोगों के आपने बयानात लिये उनमें वे लोग भी थे जो घायल हुये थे।

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैंने आपको नाम पढ़कर सुनाये आठ व्यक्तियों के बयान लिये गये।

**श्री सतीशचंद्र अग्रवाल** : ३५ सवारियां भरी हुई थी यह आप किस आधार पर कहते हैं क्या टिकट बुक देख कर कहते हैं या वहां का चार्ट आपने कब्जे में लिया उस आधार पर कहते हैं ? हमारा यह एलीगेशन है कि उसमें ६५ सवारियां थी।

**श्री रामकिशोर व्यास** : बयानात हुये उस आधार पर कह रहा हूं।

**श्री शिवचरण दास** : क्या यह सही है कि बयानात जिनके लिये गये, मौके पर नहीं लिये गये ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह सही नहीं है।

**श्री शिवचरण दास** : कितने व्यक्तियों के बयान लिये ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : आठ व्यक्तियों के लिये।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुये।

६.१६ म० पू०

## राजस्थान हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल, १६५८

( खंडशः विचार–विमर्श )

**श्री उम्मेदीलाल** : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उसका कोई निर्णय नहीं हुआ।

**श्री अध्यक्ष** : उसके बारे में कल ही माननीय सदस्य को बतला दिया था। उसकी सूचना माननीय सदस्य को भेज दी गई थी। हाउस में पढ़ कर सुनाने के बारे में भी उसकी सूचना मिलने पर निर्णय लिया जायगा।

**श्री उम्मेदीलाल** : उसके कारण तहसील में बहुत असन्तोष फैल रहा है ?

**श्री अध्यक्ष** : पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। जैसी कानूनी कार्यवाही होगी उसी तरह वे आगे कार्यवाही करेंगे, अदालत में केस चालान करना होगा तो वैसा किया जायगा।

**श्री उम्मेदीलाल** : अध्यक्ष महोदय, इसके कारण तहसील में बहुत असन्तोष फैल रहा है लोग इधर से उधर मारे मारे फिर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : यह तो आपके कहने से प्रतीत होता है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने कल क्लॉज़ २ में कुछ अमेन्डमेन्ट्स पेश किये थे। They may be taken as moved. ये शायद सर्कूलेट नहीं हुए। इसके साथ साथ कई माननीय सदस्यों ने ऐतराज किया कि हिन्दू शब्द इसमें क्यों रक्खा जावे। काफी विचार करके माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए और चूंकि मुस्लिमों के लिए वक्फ कानून बना हुआ है अलग तो उन को और क्रिश्चियन को एक्सक्लूड करके उसका नाम हिन्दू प्रन्यास विधेयक न रखकर राजस्थान रिलीजियस विधेयक रखने का मेरा अमेन्डमेन्ट है। जो इस प्रकार है : Omit 'Hindu' wherever occuring, and that it should be Rajasthan Public Trusts Bill, 1958. इसलिये यह अमेन्डमेन्ट मूव किया है। अब यह प्योरली रिलीजियस पब्लिक ट्रस्ट, १६५६ हो जावेगा।

ये सब डेफीनेशन के हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि मैं एक चैप्टर और एड करना चाहता हूं उन रिलीजियस इस्टिट्यूशन्स के लिये जिनके पास पर्टीचुअल एन्युटी मिलेगी। तो इस एन्युटी पर इसकी बिना पर चन्द डेफीनेशन्स इन्सर्ट करने का संशोधन हैं।

**श्री पी० के० चौधरी** ( फुलेरा ) : चैरिटेबल एन्डोव्मेन्ट की नई डेफीनेशन एड की है आपकी मंशा क्या है ? बाकी जो स्कूलें वगैरह रिलीजियस इस्टिट्यूशन्स हैं उनकोभी लेकर कन्ट्रोल में लाना चाहते हैं क्या ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : This Bill is not confined to religious institutions only. It is both for religious and charitable trusts. It includes religious plus charitable trusts and, therefore, it was necessary that there should have been a definition of charitable endowments.

डॉ० **चन्द्रकला** : एक स्पष्टीकरण यह चाहिये, यदि हिन्दू शब्द निकाल देते हैं और जैसा संशोधन मन्त्री महोदय ने रक्खा है तो इसकी तीसरी पंक्ति में हिन्दू कम्युनिटी लिखा है। यह भी डिलीट हो जाना चाहिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कम्युनिटी का मतलब जात पाँत से नहीं है, Public at large से है।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाज़ार, जयपुर ) : दूसरा शब्द जो रेस्ट हाउसेज़ लिखा है तो यह शब्द पहले से ही रेस्ट हाउसेज़ के लिये कहा जाता है। मेरे ख्याल से इसमें सरकार की मशा धर्मशाला से है, इसलिये रेस्ट हाउस की जगह धर्मशाला कर देना चाहिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कहीं ऐसा भी कहते हैं सराय, विश्रामालय, तो वे सभी इसमें आते हैं अब गवर्नमेन्ट के जो रेस्ट हाउसेज़ हैं उनपर कोई बिल एप्लाई नहीं होगा। माननीय सदस्य फिर एक बार बिल को पढ़ लें तो अच्छा है।

**श्री जनार्दनराय नागर** ( मावली ) : माननीय सदस्य की जगह माननीय सदस्या कहना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : (माननीय जगदीशप्रसाद से) आप अपने संशोधन पर कुछ कहेंगे।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : मैंने जवाब दे दिया।

**श्री अध्यक्ष** : जी हां, दे दिया। ( श्री दामोदरलाल से ) आप अपने उत्तर भी सारे संशोधनों का दे दीजिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं दो मिनिट में कह देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन क्लॉज़ २ पर सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है मैं उनका विरोध करता हूँ। इसका कारण कल मैंने स्पष्टीकरण चाहा था और जवाब दिया था उससे स्पष्ट हो जाता है। उनकी मंशा केवल यह है पुजारी महन्त और मठ के मठाधीश तक ही अपने संशोधन वे कम्फाइन करना चाहते हैं। वे चाहते हैं जितना रिप्रेजेन्टेशन हो चाहे एडवाइजरी कमेटी में हो चाहे सारे रीजनल कौंसिल पर हो उनको सारा रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिये वे लोग जो किसी रिलीजिस इन्स्टिट्यूशन्स में अर्चना करने जाते हैं उससे उनका मतलब नहीं है। मैं इतने तैरने इन्टरप्रिटेशन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। हर एक आदमी को जो उस धर्म का है और उसमें विश्वास रखता है उसको यह सुविधा मिलनी चाहिये।

धर्मादे के लिये कल काफी स्पष्ट मैंने किया था। धर्मादा किस प्रकार का हो और किस प्रकार के धर्मादे पर यह प्रावधान लागू होना चाहिये इसलिये यहां इसको डिलीट करने के प्रस्ताव से भी मैं सहमत नहीं हूं।

इसी प्रकार से अन्य जो प्रस्ताव हैं उनके लिये मैंने काफी कल बता दिया है। मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता।

# Page No 33



( श्री दामोदरलाल व्यास )

इसके अलावा फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ प्रस्ताव पेश किये हैं। इसके पहले मैं एक वह अमेन्डमेन्ट जो पाली से आने वालों ने पेश किया है उसमें से डिलीशन आॅफ क्लॉज़ ६ को स्वीकार करता हूं।

अन्य सुझावों को स्वीकार नहीं करता क्योंकि मैंने अमेन्डमेन्ट आॅलरेडी पेश कर दिये हैं। हिन्दू शब्द डिलीट हो जावेगा इसलिये डिलीशन सारे क्लॉज़ के की आवश्यकता नहीं रहती है।

फुलेरा से आने वालों ने जो प्रस्ताव पेश किया है पब्लिक सैक्टर को में स्वीकार करता हूँ। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है।

In sub part (b), insert the words 'in public scetor' afteor the 'companies.' I accepet that amendment.

**श्री अध्यक्ष :** लिस्ट नम्बर कौनसी आप एक्सेप्ट करते हैं। यह दुबारा बता दीजिये लिस्ट फोर सीरियल नम्बर १४।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** Yes, Sir.

**श्री अध्यक्ष :** यह सारा एक्सेप्ट करते हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** No Sir. Only that in sub-part (b) of (10) of clause. 2.

So far as deleting of sub-parts (c) and (d) is concerned, I will be preparde to accept the deletion of (c) because in our State there are no Municipal Boards or Corporation which are in a position to float loans and guarantee its repayment, but (d) must be retained. There must be powers with the Government to declare some institutions, for example Land Mortgage Banks securties. ofcourse the Government will not declare any and every company of private persons for investment of the money of public trusts. The Gsvernment will take in to cosideration only such institution as Cooperative Banks or Land Moratgage Banks. There is no need for the Hon'ble Member to get panicky.

So (c) may be deleted, but (d) will remain.

**श्री दामोदरलाल व्यास** ( जारी ) : इसके अलावा मैंने जैसा कहा कि पाली से आये माननीय सदस्य का एमेंडमेंट है उसके लिए कहा गया है जो ६ है उसके डिलीक्शन को मन्जूर किया है। बाकी सब का विरोध करता हूँ।

**श्री अध्यक्ष :** उस पर आपका खुद का संशोधन है।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** इसलिए मैंने मन्जूर कर लिया है There is no other amendment Sir. जो माननीय सदस्य सांचोर से आये हुए हैं उनके एक दो··· एमेंडमेंट क्लॉज़ दो के सब सेक्शन (६) (ए) में है। यह उन्हीं कारणों से जिन कारणों से मैंने सीकर से आने वाले माननीय सदस्यों के संशोधनों को अस्वीकार किया हैं उन्हीं कारणों से इनको अस्वीकार करता हूं।

**श्री पी. के. चौधरी** : There is no quorum Sir.

**श्री अध्यक्ष** : It is not incumbent upon the Hon'ble Members always to point this thing.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसके अलावा perhapes he is not in a mood to carry on.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : जब कि क्लॉजेज़ पास कर रहे हैं तो कोरम होना चाहिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कोरम हैं शायद।

**श्री अध्यक्ष** : कोरम लेने जा रहे है।

( हंसी )

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Let us hope the quoram will be complete.

( गणपूरक घंटी के पश्चात पुनः)

**श्री अध्यक्ष** : पूरा हो गया।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : पिछली दफा जैसा कि मैंने कहा था कि सांचोर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो सुझाव पेश किये हैं उनको मैंने अस्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि जो कुछ एमेंडमेंट्स आये हैं और जितने भी एमेंडमेंट्स को मैं एको–मोडेट कर सका हूं रीज़नेबल होने के कारण जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था कि जो रीज़नेबल सजेशन होंगे उनको स्वीकार करूंगा। मैंने काफी स्वीकार कर लिए हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सब अपने २ एमेंडमेंट्स को जिनको स्वीकार नहीं किया है विथड्रा करेंगे और असली क्लॉज़ को पास करेंगे।

**श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात की आवश्यकता रह गई है कि कई लोग ऐसे हैं जैसे जैनियों के मंदिरों में वैष्णव पुजारी पूजा करते हैं तो क्या उसका इस हिसाब से राइट है, क्योंकि वह पूजा करता है। अगर इस हिसाब से उसका इन्टरेस्ट यह माना जायगा तो वह ट्रस्टी बनने के लिए एन्टाइटल्ड हो जायगा। ऐसी कुछ शंका लगती है। इसके लिए कुछ क्लेरिफिकेशन आप कर दें।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : माननीय अध्यक्ष, मेरा इस संबंध में एमेंडमेंट ऑल-रेडी है जो कि सर्क्यूलेट हो चुका है। वह इस प्रकार का एमेंडमेंट है कि जहां पर कि जैन और वैष्णव मंदिरों के अन्दर जा सकते हैं तो वहां पर यह सवाल पेश होगा इसलिए यह कियागया है कि उसी मज़हब का जो मानने वाला है उसको उस कमेटी में लिया जायगा और वही वोट दे सकेगा, डिसकशन में शरीक हो सकेगा। इसके बाद में और कोई शंका की बात नहीं रहती है। जैनियों के मामले के अन्दर अजैनियों को अधिकार नहीं दिया गया है किसी रिलीजस ट्रस्ट के लिए। यही बात दूसरे मज़हब के लिए रिलीजस ट्रस्ट के लिए होगी। उसके लिए यही प्रावधान किया गया है। माननीय सदस्य मेरा जो लेटेस्ट एमेंडमेंट है उसको स्टडी कर लें।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो दो संशोधन पेश

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

किये थे उन दोनों संशोधनों को माननीय मंत्री महोदय ने अस्वीकार कर दिये है। मेरा जो पहला संशोधन था उसके अनुसार हम यह चाहते हैं कि जितनी भी कमेटीज़ बनती हैं, जैसे कि राज्य सरकार की भिन्न भिन्न विषयों की कमेटीज़ बनती हैं तो उनमें राज्य सरकार विशेषज्ञों को लेती है कि कौन आदमी किस स्थान में कहीं जाकर ठीक काम कर सकेगा तो मंदिर और मठ भी इसी प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स हैं वहां पर जो कमेटी बनती है तो वहां पर केवल ले मैन या ऐसे आदमी को भेज देंगे जो कि श्रद्धा नहीं रखते हैं ....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने इस बारे में साफ़ किया था कि इसमें मन्दिरों के इन्तज़ाम का प्रश्न नहीं है It is only a matter of administration of certain Trust Properties. It is not a question... मन्दिर की सेवा पूजा के वास्ते इसमें कोई प्रावधान नहीं है and the Hon'ble Member should rest assured that there is no intenation of this Bill nor there is any provision regarding this in the Bill.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : कैसे नहीं है। मन्दिरों की कमेटी होगी वह देखेगी सारे विषय को कि कहां कितना खर्चा होना चाहिये,कितना भोग में लगना चाहिये ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : That is not there I am telling you. The trustee will be absolutely in pendent to carry out the provisions of the Trust Deed and there will be absolutely no interference except that the properties should not be misappropriated. This is the intention of the Bill. कितना खर्चा कहां होगा कोई रुकावट गवर्नमेंट की तरफ से इसमें डालने का प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रोवीज़न नहीं है।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : इसमें यह डिफाइन नहीं किया गया है कि ट्रस्टी कौन बनेगा क्योंकि अभी तक एक मन्दिर था उसमें एक महन्त या पुजारी ही व्यवस्था करता था।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Trustee is always appointed under the Trusts Act by the creator of the Trust or by a court of law.

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : They are not appointed by a court of law. मंदिर है वहां कहीं भी ट्रस्ट नहीं है लेकिन अब ट्रस्टी लिए जायेंगे और इस धारा की जो भावना है उसी आधार पर ट्रस्टी बनेंगे। अभी तो एक इन्डिविज्युअल मंदिर बनाया है और महन्त या पुजारी उसकी व्यवस्था कर रहा है । उसके बाद अब ट्रस्ट बनेगा तो उसके अन्दर जो भी इस डेफिनिशन में आयेगा वह उसका मेम्बर बन जायगा। इसलिए इस डेफिनिशन को रिट्रक्ट कर दें कि इस विषय के एक्सपर्ट्स हों वही व्यक्ति उसमें रहें।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह कानून का मसला है माननीय सदस्य इसको समझ लें कि ऐसा कहीं प्रोविज़न नहीं रखा है they will be only advisory bodies at the State level and regional level. They will not be trustee, they are

# Page No 36



( श्री दामोदरलाल व्यास )

only meant for giving certain advice in case any question is referred to them इसलिए ट्रस्टी मुकर्रर करने का कोई सवाल नहीं है। ट्रस्टी जैसे हैं : They will be governed by ordinary law कि जो ट्रस्टी मुकर्रर होंगे तो वह जो ट्रस्ट का क्रियेटर है वह मुकर्रर करेगा या कोर्ट मुकर्रर करेगी। इस कानून के मातहत कोई ट्रस्टी मुकर्रर नहीं करेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : आप (श्री जगदीश प्रसाद माथुर से) प्रेस करना चाहते हैं ?

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : जी हां।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय।

( अस्वीकृत )

संशोधन गिर गए।

श्री लक्ष्मीचन्द।

**श्री लक्ष्मीचन्द** : मैं विथड्रा नहीं करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री लक्ष्मीचन्द जैन ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किये जांय।

( अस्वीकृत )

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखे हैं और जो माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि शेष संशोधन स्वीकार किये जांय।

( अस्वीकृत )

शेष संशोधन गिर गए।

प्रश्न यह है कि जो क्लॉज़ २ में यह संशोधन है उसको स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि मूलचन्द डागा के शेष संशोधन स्वीकार किये जांय।

( अस्वीकृत )

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय मंत्रीजी ने रखे हैं उनको स्वीकार किये जांय।

( स्वीकृत )

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २ को स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

संशोधित धारा २ विधेयक का अंग बना।

( श्री अध्यक्ष )

प्रश्न यह है कि धाराएं ३,४,५ और ६ को स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

क्लॉजेज़ ३,४,५ और ६ विधेयक का अंग बनीं।

धारा ७।

श्री लक्ष्मीचन्द।

**श्री लक्ष्मीचन्द** : मैं यह अमेंडमेंट मूव करना नहीं चाहता।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ७, ८, ६ व १० को स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

क्लॉजेज़ ७,८,६ व १० विधेयक का अंग बने।

क्लॉज़ ११।

क्लॉज ११

**डा० बहादुरसिंह (धौलपुर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ जो सबसे अधिक कंट्रोवरशियल क्लॉज़ है उस पर मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करता हूँ और ये जो मेरे संशोधन हैं उनको प्रस्तुत किया हुआ मान लिया जाय क्योंकि ये लंबे हैं।

संशोधन इस प्रकार हैं :

Substitute the following :—

"11 Establishment of the Board:- The State Govt. shall by notification in the official Gazette, establish in the prescribed manner, a board to be called the Rajasthan Hindu Public Trusts Board, for the purpose of carrying out the provisions of this Act, such Board shall be a body corporate, shall have perpetual succession and a common sea and shall in the said name, sue or be sued."

New Clause 11 A.

"11A.—Constitution of the Board:-

"11A.—The Board shall consist of eleven members including the Chairman, appointed in the following manner, namely :-

(a) The Chairman shall be nominated by the State Govt.

(b) Six members shall be elected by the members of the registered trusts from amongst themselves in the prescribed manner;

(c) the Devasthan Commissioner shall be a co-opt member; and

(d) three members shall be nominated by the State Govt.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section.

(1) all the members of the first Board established under section II shall be nominated by the State Govt.

New clause 11 B.

"11B. Nomination of members in default of election :- If any electoral body referred to in sub-section

# Page No 38



( डॉ० बहादुरसिंह धौलपुर )

(1) of section 11A. fails, by such date as may be prescribed, to elect the requisite nuember or members which it is entitled to elect, the State Govt. shall fill up the vacancy or vacancies by nomination of a person or persons qualified to be elected by the particular electoral body."

New clause 11 C.

"11C:-Disqualifications of members:-

(1) No person shall be qualified to be elected or nominated as a member or chairman of the Board-

(a) who is an undischarged insolvent,

(b) who has been adjudicated by a competent court to be insane or of unsound mind, or

(c) who has been convicted of an offence declared by Govt. to involve moral turpitude, or

(d) who is an employee of the Board or has directly or indirectly or by himself or a partner any share or interest in any contract with, by, or on behalf of the Board, unless in the later case the Govt. remove the disqualification.

(2) No person whose name has been removed from the register shall be eligible for election or nomination under section. "B",

New clause 11D.

"11 D:- Notification of election, nomination and vacancies:- Every election or nomination of a Chairman of the Board and every vacancy in the office of a member or Chairman shall be notified in the Official Gazette."

New clause 11E.

"11E -Reconstitution of Board:-

Within two years from the date on which this Act comes into force and thereafter upon the expiry of every five years, the Board shall be reconstitutued and for that purpose there shall be fresh nominations and general elections in the prescribed manner."

New Clause 11F.

"11F:-Disabilities for continuing as member:-If any member, during the period for which he has been nominated or elected-

(a) absents himself without sufficient cause from three consecutive ordinary meetings of the Board, or

(b) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in soction 11D, or

(c) being a legal practitioner, appears in any suit or proceeding, civil or criminal, against the Board, or

( डॉ० बहादुरसिंह )

(d) obtains any employment under the Board or has without the previous sanction of the State Govt. acquired directly or indirectly by himself or by a partner any share or interest in any contract with, by or on behalf of the Board, the Board may remove him from membership: Provided that before removing a member under this sub-section, the Board shall call for his explanation and record its findings thereon.

Provided further that the State Govt. shal l have the power to remove the chairman under this section."

New Clause 11G.

"11G. Resignation:— (1) Any member other than the Chairman may at any time resign his office by a letter addressed to the Chairman and such resignation shall take effect from the dateof its acceptance by the Board. (2) A Chairman wishing to resign may tender his resignation in writing to the Govt. such resignation when accepted shall be published in the Official Gazette and shall take effect from the date notified therein."

New Clause 11H.

"11H. Appeal by members removed:

Any member other than the Chairman and Devasthan Commissioner removed by the Board nder section 11G may within ninty days from the date of such removal appeal to the State Govt. and the order of the State Govt. on any such appeal shall be final."

New clause 11J.

"11J. Filling of casual vacancies:-

(1) If a member or Chairman dies or resigns or from any cause whatsoever ceases to be such member or Chairman, as the case may be, the vacancy so cauced shall be filled up by election or nomination, as the case may be, within such period as may be prescribed.

(2) The term of office of a member or Chairman, elected or nominated to fill up the vacancy mentioned in sub-section (1), shall be the remainder of the term of office of the member or chairman in whose place he has been so elected or nominated:

Provided that, in the case of an elected member, if the vacancy is for a period of six months or less, the State Govt. may direct that the vacancy be left unfilled untill the next general election."

New clause 11K.

"11K. Term of office.-Save as otherwise provided in this Act, the term of office of the chairman or a member shall be five years."

सबसे पहला मेरा संशोधन है मूल धारा का एक्सप्लेनेशन है उसको समाप्त करने के लिए है। इसको समाप्त करने का कारण मैं इस बात को लेकर चलता हूँ। एडवा-

( डॉ० बहादुरसिंह )

इजरी बोर्ड के लिये यदि यह प्रतिबन्ध लगा दें कि फलां फलां धर्म के आदमी इसमें रहेंगे तो यह बोर्ड जो सेक्यूलर स्टेट का होना चाहिये उसकी मंशा की पूर्ति नहीं करता क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड में हो सकता है इस धर्म के और उस धर्म के लोग उपलब्ध न हों जिस प्रकार का मैनेज़मेन्ट हम करना चाहते हैं आगे चलकर इस प्रकार के लोग उपलब्ध न हों तो ऐसी स्थिति में हमें बड़ी दिक्कत होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो प्रोविज़न किया है उसको न करके यह मानकर चलते हैं कि स्वभावतः जिन जिन धर्मों के ट्रस्ट होंगे उनके प्रतिनिधियों को लाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिये जो प्रोविज़न रखा गया है उस प्रकार का प्रोविज़न रखने की आवश्यकता नहीं है।

मेरा दूसरा संशोधन है बोर्ड के नियम में परिवर्तन करने का है। मेरा लिस्ट नं. ४ में २७ नंबर का संशोधन है उसके बाद २८ नंबर का संशोधन है। कांटिट्यूशन ओफ दि बोर्ड में मेरा संशोधन इस प्रकार का है—बोर्ड इस प्रकार का हो जिसका चेयरमेन नोमिनेटेड बाइ स्टेट गवर्नमेन्ट हो और उसके ६ सदस्य इलेक्टेड हों। २७ नंबर के संशोधन में यह निवेदन किया था कि ११ व्यक्तियों का बोर्ड होना चाहिये और २८ नम्बर के संशोधन मे मेरा यह प्रस्ताव है कि ११ सदस्य किस प्रकार के हों। पहला जो चेयरमेन हो वह नोमिनेटेड बाइ स्टेट गवर्नमेन्ट हो और ६ सदस्य रजि॰ स्टर्ड ट्रस्ट हैं उनके द्वारा निर्वाचित उनके ६ प्रतिनिधि होने चाहिये। उसके बाद भी देव-स्थान कमिश्नर कोपटेड हो और ३ अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नोमिनेटेड हों। इस प्रकार से डेमोक्रेटिक बेसिस पर यह बोर्ड बनेगा। जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट होंगे वे ६ आदमि-यों को चुनेंगे और ५ सरकार द्वारा नामजद सदस्य होंगे। इस प्रकार से बहुमत निर्वाचित लोगों का होगा। ३ सदस्य नामजद होंगे। बहुत से ट्रस्ट ऐसे हैं जिनके प्रतिनिधि निर्वा-चन में नहीं आ सकें, उनमें से तीन सदस्यों को सरकार नामजद कर सकती है। जैसा कि एक्सप्लेनेशन में सरकार चाहती है, बहुत से लोग नहीं आ सकेंगे इसलिये राज्य सरकार नामजद करके उनकी पूर्ति कर सकती है। चेयरमैन का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि हम पूर्व इतिहास पर जावें जहां धर्म के नाम पर दुनियाभर के झगडे हुए हैं तो इस प्रकार के ट्रस्ट भी हो सकते हैं जिनके प्रतिनिधि निर्वाचन में नहीं आ सकें तो उनमें से तीन सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होनी चाहिये। मैंने जैसा कि प्रवर समिति के प्रस्ताव के समय बताया था धर्म का मामला है इसलिये मैं चाहता हूं कि चेयरमैन नोमीनेटेड बाइ स्टेट गवर्नमेन्ट हो और किसी मंत्री या उप-मंत्री महोदय को चेयरमैन होना चाहिये।

मेरे बाकी के संशोधन भी इसी बोर्ड से सम्बंध रखते हैं। मैं इस सम्बंध में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि रजिस्टर्ड ट्रस्टों के प्रतिनिधि किस प्रकार से निर्वाचित होंगे। इसके लिये रूल्स बनाये जायेंगे उनमें स्पष्टी-करण होगा कि किस प्रकार की चुनाव पद्धति होगी, किस प्रकार के रूल्स तैयार होंगे। जैसे वैष्णव संप्रदाय के १० ट्रस्ट हैं तो १० में से उनका एक प्रतिनिधि हो यदि जैन्स के १० या १५ ट्रस्ट्स हैं तो उनमें से भी एक प्रतिनिधि हो। इस प्रकार से निर्वाचन हो सकता है और दूसरे ट्रस्ट्स रह जायं तो सरकार उनमें से

( डॉ० बहादुरसिंह )

नोमिनेट कर सकती है। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। यह ऑब्जेक्शन किया गया कि बोर्ड बनेगा उउस पर सरकार का सीधा नियंत्रण होगा। सरकार का नियंत्रण रहता है लेकिन डेमोक्रेटिक बेसिस पर रहता है। ६ निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे और ५ नामजद होंगे। इस प्रकार से बोर्ड बनता है। मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं वे काफी गम्भीरता को लिये हुए हैं। मैं समझता हूँ मंत्री महोदय इस पर गंम्भीरता से विचार करेंगे।

**श्री पी. के. चौधरी** : I move the amendment sir. At list No. 4, 5. No. 16......

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : इसमें मेरा अमेन्डमेन्ट पहले है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री जगदीशप्रसाद का लिस्ट नं ४ पर है। इससे पहले लिस्ट नं० १ में डॉ. बहादुरसिंहजी का भी है। लेकिन इसमें फर्क नही पड़ता।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** ( सीकर ) : अध्यक्ष महोदय, लिस्ट नं ४ पर जो मेरा अमेन्डमेन्ट है उसको मूव करना चाहता हूँ। वह इस प्रकार से है कि क्लॉज११के अन्दर जो उसकी उप-खन्ड ( १ ) है उसमें ये ये शब्द हैं : The State Government shall by notification in the official Gazette establish for the territories to which this Act extends for the time being...' इसके अन्दर ये सब words "for the territorie to which this Act extends for the time being" they may be deleted. आगे चल कर दूसरा संशोधन है in the fifth line ऑफ एंड मेम्बर्स के बीच में "हिन्दू शब्द और जोड़ दिया जाय और इसका जो एक्सप्लेनेशन है This should be deleted. इसमें हिन्दू, श्वेताम्बर जैन, दिगम्बर जैन, बुद्धिस्ट और सिख शब्द हैं इनको डिलीट किया जाय। मैंने और जो संशोधन दिये थे वे प्रिन्ट होकर आये नहीं हैं। वे संशोधन इस प्रकार से थे : "The State Government shall appoint one from amongest the members of the board to be its chairman." इसके बजाय मैंने यह संशोधन दिया था कि जितने मेम्बर्स हैं : "The members shall elect from amongst themselves a Chairman, excluding an official man." गवर्नमेंट के द्वारा जितने नोमिनेटेड मेम्बर्स होंगे उनमें से नॉन ऑफिशियल्स में से चेयरमैन को बोर्ड के मेम्बर्स इलेक्ट करेंगे इस प्रकार का मेरा संशोधन है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मंत्रीजो ने लिखा है this act extends for the time being to whole of Rajasthan excluding Abu area इसमें पहले ही कर दिया है : it shall apply to the whole of Rajasthan except Abu area. आबू एरिया को छोड़कर सारे राजस्थान पर लागू होगा। राजस्थान में आबू एरिया ऐसा है जहां पर ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्थिति पैदा हो सकती है इसलिये मंत्रीजी इस झगड़े को अभी नहीं लाना चाहते हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : But I had explained that matter in detail yesterday. इसमें लीगल डिफिकल्टी है I cannot include that area in this Bill. We have moved the Govt. of India and when we get their consent, we shall bring an amendment. अभी इस वक्त इनसिस्ट कर नहीं सकते। मैं नहीं समझता

( श्री दामोदरलाल व्यास )

कि आबू एरिया क्यों कंट्रोवर्शियल है। आप स्टेट रीआॅर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ लीजिये, कोई दिक्कत नहीं होगी।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : धारा १ में, चेप्टर ४,५, ६ और ७ में यह प्रोविजन रखा है कि यह सेक्शन राज्य की मर्जी होगी तभी लागू करेंगे। इसमें इतना बड़ा एग्जेम्पशन दिया है वह खाली इस ख्याल से दिया है कि आप के प्रति जहां परअनुकूल वातावरण होगा उसको देखकर लागू करेंगे। कहां एग्जेम्पशन का प्रश्न है कहां नहीं करना है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन की गुंजायश है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये। इस नाते सारा का सारा एक साथ में लागू हो जाय इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। अब जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें मंत्रीजी ने यह व्यवस्था की है, आपने हिन्दू धर्म की व्याख्या करने की व्यवस्था की है, हिन्दू धर्म में कौन कौन आयेगा। अब इसके अन्दर लिखा है (i) the Hindu religion in general together with any specified · branch or sect· thereof; यह तो यहां तक रखना चाहिए, अगर माननीय मंत्री इस बात को यहां तक सीमित रखते हैं '(i) the Hindu religion in general, together with any specified branch or sect thereof' हिन्दू धर्म के अन्दर से जैन को अलग नहीं कर देंगे कि जैन हिन्दू से अलग हैं, सिख अपने लिए नारा नहीं लगाते कि हिन्दू से अलग हैं। माननीय मंत्री जी ने एक जगह कह दिया- 'Hindu religion in general together with any specified branch or sect thereof.' यह कह कर बाद में फिर आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ कर डिफाइन करना शुरू कर दिया, दिगम्बर, श्वेताम्बर, बुद्धिस्ट और सिख। आपने जैन धर्म में दो धर्म कर दिये, बाकी के लोगों को इसी प्रकार छोड़ दिया कि स्पेशल इन्ट्रेस्ट नहीं है। अगर हम देखें तो सनातम धर्म के अन्दर कितने ही वर्ग और सम्प्रदाय हैं, वैष्णव सम्प्रदाय, शैव मत है, पुष्टि मार्ग है, वल्लभाचार्य का सम्प्रदाय है, इतने मत हैं। अगर आपको किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना था, तो यह करना था कि इन वर्गों को तथा इन सारे सम्प्रदायों को लिखते। राजस्थान में शैव मत के बहुत व्यक्ति हैं। आपने क्लॉज़ की उप-धारा (१) में लिखा है : the Digambar Jain religion, the Swetambar Jain religion, Buddhist religion and the Sikh religion. इसके अन्दर मंत्री महोदय ने केवल वैष्णव सम्प्रदाय को लिया है। आगे जाकर दिगम्बर को लेंगे, श्वेताम्बर को लेंगे, बुद्धिस्ट को लेंगे, फिर सिख लेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि सनातन सम्प्रदाय जितना फैला हुआ है, उसमें से केवल वैष्णव सम्प्रदाय के प्रतिनिधि को ले लेंगे, और कह देंगे कि हमने वैष्णव सम्प्रदाय के प्रतिनिधि को ले लिया, फिर श्वेताम्बर के दो प्रतिनिधि ले लेंगे, दिगम्बर के एक ले लेंगे। इस प्रकार इतना बड़ा विभेद उत्पन्न करने जा रहे हैं। इससे बहुत बड़ा झगड़ा सम्प्रदायों में होगा। जैसे पहले झगड़े होते थे, इन सम्प्रदायों में झगड़े होते थे। अगर एक सम्प्रदाय को प्रश्रय दे दिया। पहले राजा होते थे, उनमें से कोई माधवाचार्य सम्प्रदाय को मानने वाला होता था, तो वह उस सम्प्रदाय को तरजीह दिया करता था। उसको

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

तरजीह देने के कारण बाकी के जितने सम्प्रदाय होते थे, उनको राज्य का प्रश्रय प्राप्त होने के कारण उनको बुरा लगता था और झगड़े हुआ करते थे । इन सारे वादविवादों को मिटाने के लिए यह आवश्यक है कि सबको हमें एक लेवल पर रखना है, तो बाकी का वर्गीकरण भी करना है । अब आर्य समाज इसमें कहा है उसको छोड़ दिया, उसकी भी बहुत सम्पत्ति है ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Arya Samaj is not included in Hindu religion ?

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : It is included in Hindu religion. इसमें हिन्दू शब्द रख कर आपने इतना वर्गीकरण क्यों किया है । जैन हिन्दू रिलीज़न में नहीं आता, क्यों Hindu religion does not mean only Sanatan religion or Arya Samaj. केवल हिन्दू रिलीज़न की परिभाषा करते हैं, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा काम किया है ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : But why don't you read like this. 'Hindu religion in general together with any specified branch or sect thereof.' हिन्दू रिलीज़न जनरल में है उसकी स्पेशल ब्रान्चेज़ और सेक्ट्स को डिफाइन किया है ।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : मेरा कहना है कि इतना सा रखिये ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : हिन्दू रिलीज़न वाइज़ हो गया है, इसमें अमेंडमेंट कर देंगे । इस पार्ट को रख देंगे Let us make it more cosmopolitan. उसमें क्या झगड़ा है ।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : उसमें इतना रख लें Hindu religion in general together with any specified branch or sect thereof इतना रख लें, बाद में अलग अलग किया है । इस वजह से हमें लगता है कि हम केवल इतनी जाति में बंटे हुए हैं । यह झगड़ा पैदा करने वाली स्थिति हो सकती है । बाकी को डीलिट कर दिया जाय, 'Hindu religion in general together with any specified branch or sect thereof.' इतना रख लीजिये बहुत कुछ इसके अन्दर अच्छी स्थिति पैदा हो सकती है ।

इसके बाद उप-धारा (३) है : The State Government shall appoint one from amongst the members of the board to be its Chairman. अब इसका चेयरमैन कौन हो, बोर्ड का चेयरमैन कौन हो । सरकार नोमीनेट करेगी मेम्बर्स के अन्दर से । जहां तक बोर्ड का सम्बन्ध है, बोर्ड के अन्दर सरकारी पक्ष के लोग हो सकते हैं, गैर सरकारी पक्ष के लोग भी हो सकते हैं । यह बात नहीं कि सरकारी पक्ष के ही हों । गैर सरकारी पक्ष के भी होंगे । इसमें सम्प्रदायों के प्रतिनिधि भी होंगे । इन सारे लोगों में से बोर्ड का चेयरमैन कौन हो । इस व्यवस्था के अन्दर कोई भी व्यक्ति आ सकता है । ट्रस्टीज़ भी अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजेंगे उनमें से सरकार देखेगी कि कौन व्यक्ति योग्य है । इस स्थिति के अन्दर बोर्ड ऐसा बनना चाहिए जो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड न हो । बोर्ड ऐसा बने कि बोर्ड के प्रति समाज में श्रद्धा हो, जो रीजनल

श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

कमेटी है, उसके प्रति समाज में श्रद्धा हो। यह तभी हो सकता है जब कि अध्यक्ष इस प्रकार का व्यक्ति हो, जो सारे सम्प्रदायों के प्रति श्रद्धा रखता हो, वह व्यक्ति समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कोई प्रकांड पंडित हो। यदि मान लें कि किसी आफिसियल को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कर लें तो उसके प्रति समाज में श्रद्धा जाग्रत नहीं हो सकती। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि बोर्ड के किसी मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करने वाली है....

यदि मंत्री महोदय बात न करें, तो अच्छा हो।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आपके लिए ही बात कर रहा हूं।

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : बोर्ड के लिए सरकार चाहे कि अच्छा बोर्ड बने। तो जो पुजारी होते हैं, उनके लिए सरकार क्वालिफिकेशन तय करे। आज ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति, जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, चाहे मन्त्रोच्चारण करना जानता हो या नहीं, जिसने जनेऊ ले रखा है या नहीं ले रखा है, वह पूजा आदि करने के लिए खड़ा हो सकता है। तो हमारा बोर्ड इस प्रकार का हो जिसका अध्यक्ष सर्व-श्रेष्ठ व्यक्ति हो, वह तय करे कि कौन मन्दिर में पूजा कर सकता है, किस प्रकार के व्यक्ति को आचार्य के पद पर बैठायेंगे। जो बोर्ड का अध्यक्ष हो, वह इस प्रकार का व्यक्ति हो, जिसके हृदय में समाज के प्रति श्रद्धा हो, समाज में उसके प्रति श्रद्धा हो। जिस प्रकार ट्रस्टीज़ प्रतिनिधियों को चुन कर भेजेंगे, जिनको सरकार नॉमिनेट करती है, मैं नहीं कहूंगा कि सरकार इलेक्शन कराके लाये। मैं नहीं चाहता कि समाज के अन्दर इलेक्शन का झगड़ा हो। अगर होगा तो समाज में पार्टीबाजी पैदा हो जायगी, एक पार्टी अपने आदमी लाना चाहेगी, दूसरी पार्टी अपने आदमी लाना चाहेगी। मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन का झगड़ा पैदा हो। बोर्ड के सदस्यों को सरकार नॉमिनेट करे, और सम्प्रदायों को, टस्टीज़ को कान्फीडेन्स में लेकर के जो योग्य योग्य व्यक्ति हों, उनको बोर्ड का सदस्य नियुक्त करे और वे बोर्ड के सदस्य श्रेष्ठ व्यक्ति को इलेक्ट करके चेयरमैन बना लें। यह मेरा संशोधन है।

**श्री पी० के चौधरी (फुलेरा)** : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्लॉज़ ११ के सब-क्लॉज (२) में एक अमेंडमेंन्ट है : After the words 'official gazette' insert the words from a panel of representatives elected by the trustees from amongst themselves by proportional representation through the single transferable vote.'

[ and the same words may also be inserted in sub-clause (2) of clause 13 ]

अध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ ११ है, वह एस्टेब्लिशमेंट एन्ड कम्पोज़ीशन आफ एडवाइज़री बोर्ड का है। उसके सब-क्लॉज़ १ में कहा गया है :

"(1) The State Govenment shall, by notification in the official gazette,

( श्री पी० के० चौधरी )

establish for the territories to which this Act extends for the time being an Advisory Board to be called the Rajasthan Hindu Public Board consisting of such number of Members representing each interest as may be prescribed."

अब एक एपॉइन्टमेंट का है, वह इस तरह से सब-क्लॉज २ में हैं । सब क्लॉज़ २ है : "All the members of the board shall be appointed by the State Goverment by notification in the offical Gazette and shall hold office, save as otherwise provided, for a period of five years from the date of the publication of such notification." अब इसमें मेरा अमेंडमेंट है : 'All the members of the Board shall be appointed by the State Government by notification in the official Gazette from a panel of representatives elected by the trustees from amongst themselves through proportional representation by single transferrable vote.'

१० म० पू०

अध्यक्ष महोदय, यह जो एग्ज़िस्टिंग क्लाज है उसमें बोर्ड के रिप्रेजेन्टेटिव्ज को गवर्नमेंट एपोइन्ट करेगी । लेकिन इससे मैं यह कहूंगा कि लोगों को सेटिसफेक्शन नहीं होगा । आप किसी को एपोइन्ट करेगें तो आप कर सकते हैं । लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि कम से कम जो ट्रस्टीज़ हों या जो ट्रस्ट हो उनको एक तो यह सेटीस्फेक्शन दें कि उनके रिअल रिप्रेजेन्टेटिव होंगे उनको लिया जावेगा । पोसिबल नहीं है कि सारे के सारे व्यक्तियों को इलेक्शन से लिये जावे । अगर आप ऐसा करेंगे तो उनमें राजनैतिक अखाड़े बाजी हो सकती है । इसलिये मैंने यह रखा है कि मान लें कि किसी जगह १२० सदस्य हैं There are 100 Hindu trusts, say 20 Jain public truts and 15 Sikh public trusts.

अब यह १३५ का ट्रस्ट है उनके एक एक रिप्रेजेन्टेटिव सबको लेकर आप नोमिनेट कर दें । These 135 men, they may sit together and send a panel of 15 men from amongst them elected through proportional representation, and then from those 16 men Government may appoint a Board of 10 or 5...

अल्टीमेटली उनको एपोइन्ट तो गवर्नमेंट ही करेगी । लेकिन यह जो एपोइन्टमेंन्ट आप करें वह ट्रस्ट की तरफ से एक पेनल मंगा लें और जो नम्बर आवे उसमें से जितने व्यक्तियों को लेना हो लें । यदि आपने २५० का नम्बर रखा है या १५१ का रखा है या ७ का रखा है तो जितने सदस्य आपको लेने हैं उससे डबल या ट्रीबल ट्रस्ट से पेनल ले लें और उनमें से गवर्नमेंट जितनों को एम्पोइन्ट करना हो कर दे । अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि लोगों को काफी सेटिस्फेक्शन रहेगा और जो लोगों में आपके प्रति एपीटाइट हारमोनी रहती है वह नहीं, रहेगी और वह दूर हो सकती है । और लोगों को सही माने में रिप्रेजेन्टेशन मिल सकेगा । हो सकता है कि गवर्नमेंट बोर्ड को एपोइन्ट करेगी वह भी करेक्टर रिप्रेजेन्टेशन हो सकता हैं । मगर उसमें यह हो सकता है कि लोगों को उसमें कॉन्फीडेन्स न हो they may not be having the confidence of all the

( श्री पी० के० चौधरी )

trustees or the trusts in the State. लेकिन यह एक पेनल हम ले लें और उनमें से ५ या ७ या १० या १५ जिसका बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो लोगों को सेटिसफेक्शन रहेगा। अन्यथा लोग यह कहेंगे कि यह बोर्ड गवर्नमेंन्ट का पिट्ठू है। या यों कहेंगे कि इसमें तो सभी गवर्नमेंन्ट के नौमीनेटेड मेम्बर हैं।

It is therefore necessary to have them from a panel elected by the trustees themselves. अब इसके लिये कोई मशीनरी इवोलव करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कर सकते हैं। ट्रस्ट को रजिस्टर करने में समय लग सकता है। हो सकता है रजिस्ट्रेशन में टाइम लगे और लग सकता है so for an adhoc period of two or there years, by that time you have all the trusts registered. जब सारे ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो जावें तो सबकी मीटिंग बुला कर वे दो सौ या २५० हो आपको अलग अलग प्रपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेटिव लेने होंगे। हिन्दुओं का, जैनियों का और सिक्खों का अलग रहेगा यह प्रपोर्शनेट सिगंल ट्रान्सफरेबल वोट से होगा। आप २५ या ३० का पेनल ले लें और ५,६ या १० जितने मेम्बरों को आपको लेना हो या आप लेना चाहते हैं उनमें से ले लें। मैं समझता हूं कि इससे जो लोग सदन में आपके प्रति एप्रिहेन्सन करते हैं या गवर्नमेंट को पोलिटिकल ब्लेकमेल करते हैं वह नहीं कर सकेंगे। फिर लोग यह नहीं कर सकेंगे कि गवर्नमेंट ने अपने पिट्ठुओं को ले लिये है। यह जो मेरा सुझाव है वह काफी रिज़नेबल है and it will be in good taste also. इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसको मंजूर कर लें।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक एमेन्डमेंट है: 'Clause 11, sub-clauses (1) and (2) be substituted as under and the rest of the sub-clauses be renumbecd accordingly :-

(1) The State Government shall by notification in the official gazette establish for the territories to which this Act extends a Board to be called the Rajasthan State Board of Hindu Public Trusts to discharge in regard to the Public Trusts, other then Jain Public Trusts, the functions assigned to the Board by the Act.

(2) The State Government shall also establish Boards to be called the Rajasthan Board of Jain Swetamber Public trusts and the Board of Digambar Jain Public Trusts to discharge functions in regard to Swetambar and Digambar Jain trusts respectively.

(3) Each Board shall be a body corporate and shall have perpetual succession and common seal with power to acquire and hold property.

(4) The Rajasthen State Board of Hindu Public Trusts shall consist of 21 members and Rajasthan Board of Jain Swetambar Public Tusts and the Rajasthan Board of Jain Digamber Publich Trusts shall each consist of 11 members. अध्यक्ष महोदय, मेरा यह जो एमेन्डमेंट है इसकी मंशा यह है कि

( श्री लक्ष्मीचन्द )

हिन्दुओं का ट्रस्ट अलग होना चाहिये और उसमें २१ सदस्य होने चाहिये । क्योंकि हिन्दुओं के सदस्य ज़्यादा हैं इसलिये उनके ट्रस्ट ज्यादा होने चाहिये । और दिगम्बर जैनियों का भी अलग होना चाहिये और श्वेताम्बर का भी अलग होना चाहिये अमेर और उसमें ११, ११ सदस्य होना चाहिये । क्योंकि सब के शामिल ट्रस्ट में....

**एक माननीय सदस्य** : माननीय सदस्य ट्रस्ट के लिये कह रहे हैं या बोर्ड के लिये कह रहे हैं ?

**श्री लक्ष्मीचंद** : बोर्ड के सदस्य ११, ११ होने चाहिये । अलग अलग बोर्ड होने चाहिये और अलग अलग सदस्य होने चाहिये क्योंकि अगर शामिल सब का एक ही एडवाइजरी बोर्ड बनेगा तो सही रिप्रेजेन्टेशन जिस समाज को मिलना चाहिये नहीं मिल सकेगा और अगर अलग अलग बोर्ड होंगे तो लोग अपना अलग अलग सुझाव दे सकेंगे । जिस समाज के साथ अन्याय होगा उस समाज के मन्दिर के हित के लिये लोग सुझाव दे देंगे और इस प्रकार चलने की व्यवस्था करेंगे । जहां जैन और वैष्णवों का शामिल ट्रस्ट बनेगा जैसा कि एक माननीय सदस्य ने रखा है कि सब का शामिल ही ट्रस्ट होना चहिये, तो मैं यह कहूंगा कि उचित नहीं होगा । भीनमाल में जैनियों और वैष्णवों में ऐसे झगड़े हैं कि एक दूसरे के प्रति वे लोग गुणों की दृष्टि से देखते हैं । अगर सब शामिल होंगे तो जिस हित को लेकर सरकार चलना चाहती है और जो व्यवस्था करना चाहते हैं तो वह नहीं चल सकेगी । मैं यह कहूंगा कि इस तरह से दूसरों के धर्म पर श्रद्धा नहीं होगी । आज जो लोग जैसे जैन, दिगम्बर, बुद्ध और सिक्ख माइनोरिटी में हैं उनके कम रिप्रेजेन्टेटिव जावेंगे और दूसरे लोगों के जो मेजोरिटी में होंगे उनके ज्यादा रिप्रेजेन्टेटिव होंगे और माइनोरिटी वाले अच्छे ढंग से सुझाव नहीं दे सकेंगे और अगर वे अच्छे सुझाव देंगे तो भी वे चल नहीं सकेंगे । आज यहां पर भी हम देखते हैं कि आज हमारा बहुमत नहीं है इसलिये हमारे सुझाव जो वाजिब होते है उनको भी मंजूर करने के लिये सरकार तैयार नहीं है । तो उसी प्रकार उनका भी वही हाल होगा और उनको विश्वास नहीं होगा कि मेरा सुझाव स्वीकार होगा । चाहे उसका सुझाव वाजिब ही क्यों नहीं चाहे वह सही ही हो लेकिन जहां बहुमत दूसरों का होगा उसका सुझाव नहीं लिया जावेगा । अध्यक्ष महोदय, मेरे को यह शक है, इसको हिन्दू एडवाइज़री बोर्ड जैन, श्वेताम्बर, दिगम्बर आदि के अलग अलग बोर्ड होने चाहिये । हम यही चाहते हैं कि किसी के मजहब में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । इसलिये सरकार को अलग अलग ट्रस्ट कायम करने चाहिये जिससे किसी को इस प्रकार का खतरा न हो कि शायद उनके सदस्य पूरे न पहुँच सकें और उनके सुझाव स्वीकार नहीं किये जावें ।

तीसरा मौजूदा जो कानून है उसमें इस प्रकार की धारा रखी गई है कि बोर्ड के समस्त सदस्य, राज्य सरकार द्वारा, शासकीय गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियुक्ति किये जायेंगे । इसमें मुझे शंका है । इस किस्म की शंका है कि इसमें प्रोविज़न है कि सरकार नियुक्त करेगी । जहां इस प्रकार से सरकार द्वारा नियुक्ति करने का प्रश्न आता है तो हमें यह विश्वास लेकर चलना पड़ेगा कि जिस नीति से यह चलना

( श्री लक्ष्मीचन्द )

चाहिये उस नीति और उद्देश्य से यह नहीं चलेगा। आज भी हम आखों से देख रहे हैं तो आगे तो सरकार इस बोर्ड में भी ऐसे आदमियों को नियुक्त करेगी जो अपने कृपा पात्र हों, उनके मानेता हों, इच्छुक हों। उन सब का सरकार एक एडवाइजरी बोर्ड नियुक्त करेगी। जहां तक मेम्बर्स को नियुक्त करने का सवाल है मुझे यह विश्वास है कि सरकार उस बोर्ड में सरकार की अंगुलियों पर नाचने वाले लोग होंगे और वह उन्ही को नियुक्त करेगी।

आज किसी भी सरकार के डिपार्टमेन्ट को लेकर देखिये। वहां आपको सरकार के इशारों पर ही नाचने वाले मिलेंगे। इसलिए मुझे शंका है कि सरकार क्यों नियुक्त करे। लोगों को अधिकार होने चाहिये कि वे ही नियुक्त करके भेजें। यदि सरकार को अधिकार देते हैं तो सरकार ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगी जो उनके कृपा पात्र हों और उनके इशारे पर नाचने वाले हों। सरकार को जब अच्छे सुझाव दिये जावेंगे दूसरों की और से तो सरकार के नुमाइन्दे उनको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो सुझाव मैंने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : श्री दयाकृष्ण विजय।

( अनुपस्थित )

**श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखे हैं मैं उनको मानते हुए उनके पक्ष में बोलता हूं और मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो सुझाव दिये हैं किसी हद तक वाकई में बिलकुल नेक है। इसका कारण यह है कि हमारे अन्दर अलग अलग धर्मों को जानने वाले हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Is he moving another amendment Sir ?

**श्री अध्यक्ष** : सपोर्ट में बोल रहे हैं।

**श्री अनोपसिंह** : I am supporting it.

**श्री पी० के० चौधरी** : You are supporting it partially.

**श्री अनोपसिंह** : Yes. I am supporting it.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : ( देवस्थान मन्त्री ) : I may inform the Hon'ble member that I will be prepared to accept the amendment. I think that will cut short the debate and the Hon'ble member will not stress, So far as the explanation of this clause is concerened, there is an amendment of Dr. Bahadur Singh and I will be prepared to accept amendment. But not the deletion.

**डॉ० बहादुरसिंह** ( धौलपुर ) : मेरा है। मूव कर दिया है।

**श्री अनोपसिंह** : मुझे इतना ही अर्ज करना था कि मैं यह मानता हूं कि अलग अलग सेक्टेरियन व्यूज आना और अलग अलग भावना होना उचित नहीं है।

( हीयर हीयर की आवाज )

# Page No 49



**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसीलिए मंजूर किया इसको डिलीट करना। मुझे आपकी भावना की जानकारी थी कि आप नैरो भावना नहीं रखते, विस्तार है आपकी भावना का।

**श्री अनोपसिंह** : इसका प्रेक्टिकल रुप देखेंगे तो मालूम हो जावेगा कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने निवेदन किया है कि यह अक्सर देखा गया है कि दो गुटों में सामन्जस्य और सहानुभूति कम रहती है। यह फेक्ट है। दिगम्बर है वे श्वेताम्बरों को नहीं मानते। दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों मिलकर हिन्दू रिलीजन को नहीं मानते है। सीट का रिजर्वेशन होगा उस हिसाब से सेक्टेरियन व्यूज होंगी....

**श्री पी. के. चौधरी** ( फुलेरा ) : आप दिगम्बर हैं या श्वेताम्बर ?

**श्री अनोपसिंह** : न दिगम्बर हूं और न ही श्वेताम्बर। जैन को हिन्दू में माना गया है। यदि जैन बोर्ड अलग बने और हिन्दू बोर्ड अलग बने तो नया पाकिस्तान लाने का खतरा पैदा हो जाता है।

( हीयर हीयर की आवाज )

डॉ० **बहादुरसिंह** : विचार सही है।

**श्री अनोपसिंह** : अलग अलग सेक्टेरियन व्यूज रही तो अच्छा नहीं रहेगा। प्रेक्टिकल हिसाब से देखें तो दिगम्बर श्वेताम्बर को नहीं मानते हैं और श्वेताम्बर दिगम्बर को नहीं मानते हैं और यदि दोनों को मिला कर रखा जाय तो हिन्दू नहीं मानते हैं। दिगम्बर श्वेताम्बर को और 'श्वेताम्बर दिगम्बर को नहीं मानता है और दोनों को मिलाकर हिन्दू नहीं मानते हैं तो रेसिप्रोकल बेसिस पर मानना चाहिये और उस बोर्ड को चलाने की नीति होनी चहिये। जब प्रेक्टिकल हिसाब से देखा जाता है तो माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा है उसमें कुछ तथ्य है और यह है कि इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं यह बात दूसरी है। अलग अलग सेक्टेरियन व्यूज को रखा जाना मैं उचित नहीं समझता हूं और यह भी उचित नहीं समझता हूं कि जैन अपने को हिन्दुओं से अलग माने। मैं इसको मानने लिए तैयार नहीं हूं कि वेदों से कोई जैन रीलिजन अलग है। उसका एक पार्ट है। जैन अपने को वेदान्त से अलग निकले हुए और ऐसा मान कर बैठ जांय यह मुमकिन चीज़ नहीं है। जो धर्म पिछले ८००,१००० वर्षों में निकले हैं वे सब वेदों की फिलोसफी पर निकले हैं। महावीर कोई विलायत से नहीं आये थे किन्तु उनकी पृष्ठभूमि वेदान्त ही थी। अहिन्सा धर्म को मानना पड़ा। उन्होंने महावीर धर्म चलाया वह वेदान्त की फिलोसफी में से ही निकला हुआ है। जो रूप था उसके आइडिया को बढ़या और इनीशियेट किया और उस हिसाब से एक अलग फिलोसफी निकली। यह कोई कह सकता है कि वेदान्त धर्म से यह खिलाफ है ? यह कोई नहीं कह सकता, किसी हालत में यह खिलाफ नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य ने सुझाव रखे हैं ताकि आपस में टंटा न हो। बोर्ड के अपने आपके ध्यान में आ सकता है तो मैं मानता हूं कि उनकी प्रेक्टिकल डिफिकल्टी को पूर्ण कर सकेगा। सेक्टेरियन व्यूज नहीं होनी चाहिये फिर भी माननीय सदस्य ने सुझाव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

**श्री अध्यक्ष** : एक्सप्लेनेशन हटाने का मतलब....

# Page No 50



**श्री पी. के. चौधरी** : I think Sir it is those who were pleading for removal of the explanation.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : There is already a provision of denomination. That will be represented in that body. I have to remove all this altogether otherwise I could add in part C. So the position is that Sec. 11 of this will be quite adequate, and each interest will be prescribed in that Board.

**श्री अध्यक्ष** : वह बाद में प्रेस्क्राइब करेंगे।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : That will be prescribed by the Rules.

**श्री अध्यक्ष** : एक्सप्लेनेशन हटाने से ऐसा हो सकता है कि सारे मेम्बर सिक्ख हो जावेंगे या जैन हो जावेंगे उस बोर्ड में।

**श्री पी० के० चौधरी** : He says that from amongst others, the interest to be represented shall among other. They will get weightage...

**श्री अध्यक्ष** : आपत्तिजनक बात क्या है ?

**श्री पी० के० चौधरी** : उसको रहने दीजिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : रूल्स में वो ही करना पड़ेगा। This explanation may be retained and in the No. 6 and 7 Parsis and Christian should be added.

**श्री अध्यक्ष** : कोई बाकी रह जावेगा तो "अमंग अदर्स" में आ जावेंगे।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Hindu religion in general together with any specified sect thereof यह हो जाय और फिर एवरी रिप्रेजेन्टिंग इच तो है ही उसमें। एक्सप्लेनेशन डिलीट कर दिया जाता है Even then the Government shall have to prescribe. प्रिन्सिपल एक्सप्लेनेशन में है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको रखा जाता है तो दो और इसमें एड कर दिये जांय। I will request the Hon'ble member to withdraw his amendment.

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : दिगम्बर जैन्स में तो कोई फर्क नहीं है। श्वेताम्बर जैन्स में तीन फिरके हैं बीस पन्थी और तेरापन्थी।

**डॉ० बहादुरसिंह** : बाईस पन्थी और तेरापन्थी सम्प्रदाय के लोगों को पूजा करने का प्रश्न नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : इसमें जो दर्ज हैं उनमें कम से कम एक नुमायन्दा एडवाइज़री बोर्ड में अवश्य होगा इससे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है।

**श्री सम्पतराज जैन** : यह स्पष्टीकरण नहीं रखना चाहिये। इससे गड़बड़ी ज्यादा होगी।

**श्री पी० के० चौधरी** : These are all Hindus speaking. You ask some Jain or Christian to speak.

**श्री अनोपसिंह** : They are all Hindus.

# Page No 51



**श्री अध्यक्ष** : श्री शिवचरणदास।

**श्री शिवचरणदास** (मांडल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो माननीय जगदीशप्रसादजी ने संशोधन पेश किया है उसको मानने से सारा झगड़ा मिट सकता है। हिन्दू शब्द इसमें रख दिया जाय। जैसी डेफीनिशन आपने अभी दे रखी है उसके हिसाब से हिन्दू धर्मों में श्वेताम्बर बौद्ध और सिक्ख भी आ सकते हैं। जैनों में दो सम्प्रदाय हैं–श्वेताम्बर और दिगम्बर। और हिन्दू के लिये हिन्दू शब्द की डेफीनिशन दे रखी है। वैसी हालत में इस डेफीनिशन की आवश्यकता नहीं रहती। हिन्दू शब्द में सभी आ सकते हैं। इसमें कोई झगड़ा पड़ने वाला नहीं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** ( देवस्थान मन्त्री ) : हिन्दू शब्द की डेफीनिशन तो डिलीट हो चुकी है।

**श्री शिवचरणदास** : इसके बाद सिक्ख शैव, वैष्णव लोग भी कहेंगे हमारा भी उल्लेख होना चाहिये। हिन्दू शब्द इसमें रख दिया जाता है तो किसी प्रकार की आपत्ति किसी को नहीं होगी।

**श्री अध्यक्ष** : आपकी ऐसी राय है कि एक्सप्लेशन को हटा दिया जाय।

**श्री पी० के० चौधरी** : The Hon'ble members should find out whether they are coming out of the minority community?

**श्री अध्यक्ष** ( श्री दामोदरलाल व्यास से ) : इन सारे संशोधनों का आप उत्तर दे दीजिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** ( राजस्व मंत्री ) : माननीय अध्यक्ष, जितने भी संशोधन हाउस में पेश किये गये हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड के संबन्ध में काफी सुझाव आये हैं और उन सुझावों में इस बात की कोशिश की है सरकार के हाथ में नोमीनेशन का प्रावधान न रह कर इस प्रकार का प्रोविज़न हो चुनाव होकर आये चाहे वह डायरेक्ट चुनाव हो या इन्डायरेक्ट चुनाव। कुछ माननीय सदस्यों ने एक्सप्लेनेशन पर एतराज किया।

जहां तक इलेक्शन का प्रश्न है जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा ट्रस्ट है उसके जितने ट्रस्टीज़ हैं उनके द्वारा चुनाव करा लिया जाय और उन सब को मिला करके बोर्ड का गठन कर दिया जाय। यह सुझाव उचित है लेकिन यह सुझाव दो तीन साल बाद कारगर हो सकता है इस पर विचार किया जा सकता है। आज स्थिति ऐसी है कि अभी तक तो यह भी पता नहीं कि कितने ट्रस्ट्स यहां हैं कौन कौन उनके ट्रस्टीज़ हैं। पहले जब हम इस विधेयक को अमल में ले आयेंगे उसके बाद सब से बड़ी जो आवश्यकता होती है वह है एडवाइज़री बोर्ड की स्टेट लेवल्स पर और रीज़नल लेवल पर इसको कायम करें। इसलिये जो सुझाव फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया उसको अमल में इस स्टेज पर लाना मुमकिन नहीं है। इसके लिये हो सकता है जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया जब सभी ट्रस्ट्स रजिस्टर हो जायेंगे और यह मालूम हो जायेगा उसके कितने ट्रस्टीज हैं क्या हालत उस ट्रस्ट की है, उसके बाद इस पर विचार किया जा सकता है। या कि माननीय सदस्य का जो अमेंडमेंट है वह

( श्री दामोदरलाल व्यास )

प्रीमेच्योर है इसलिये इसे स्वीकार नहीं करता। अतः उनसे निवेदन है कि वे अपने सुझाव को वापिस लेंगे।

इसके बाद सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव पेश किया है वह किसी भी हालत में स्वीकार करने लायक नहीं है। इलेक्शन के प्रिन्सिपल को किसी तरह से भी हम इससे इम्पलीमेंट नहीं कर सकते। इस वास्ते जब तक कि सभी चीजें अन् सेटल्ड हैं, अभी तक हमें यह पता नहीं कि इलेक्टोरल्स क्या होंगे, चुनाव करने वाले कौन होंगे, किनका चुनाव होगा तब तक हम इस प्रकार से चुनाव प्रणाली लागू नहीं कर सकते।

जहां तक डिलीशन ऑफ एक्सप्लेनेशन का सवाल है। हम यह चाहते हैं कि एड-वाइजरी बोडी जो बने उसमें तमाम जितने भी ट्रस्ट हैं, सभी के रिप्रेजेन्टेटिव होने चाहिये। और जिस कम्युनिटी, जिस रिलीजन का सवाल है पेश हो उसमें केवल उसी रिलीजन के लोगों को बहस में भाग लेने का उसमें वोट देने का बहस करने का अधिकार होना चाहिये। इसी मन्शा से धारा १५ में मैंने अमेन्डमेंट पेश किया है जो इस मन्शा को साफ करता है। इस एक्सप्लेनेशन को डिलीट भी कर दें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने यह भी संशोधन रखा है– जहां जहां भी वर्ड हिन्दू आया है उसको डिलीट कर दिया जाय। यह जो एक्ट है वह सारे ट्रस्ट्स पर एप्लाई होगा मुस्लिम वक्फ पर यह लागू नहीं होगा। ऐसी सूरत में एक्सप्लेनेशन डिलीट कर दिया जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। जहां तक क्लॉज़ ११ का संबन्ध है उसमें सब कम्युनिटीज के सभी ट्रस्ट्स के रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ का होना जरूरी है। अगर हम एक्सप्लेनेशन को रखते हैं तो उसमें पारसीज और क्रिश्चियन का भी समावेश कर देना चाहिये ताकि गलतफहमी पैदा न हो कि कुछ माइनोरिटीज़ को रख दिया है और कुछ को नहीं रखा है। जिन जिन माइनोरिटीज़ को हम जानते हैं उनका नाम तो दे ही दिया जाना चाहिये। अगर हम यहां नहीं लेते हैं तो रूल्स के अन्दर लाना पड़ेगा। किसी न किसी रूप में जरूर रखना पड़ेगा। माननीय सदस्य अगर चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन को डिलीट किया जा सकता है अगर रखा जाता है तो ६ और ७ में दो और एड कर देने चाहिये पारसीज़ और क्रिश्चियन्स।

**श्री अध्यक्ष** : और भी संशोधनों का उत्तर दे दें।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक शंका का क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूं। आप जिनको एड करना चाहते हैं तो उनका कम्पलसरी रिप्रेजेन्टेशन होगा। मान लीजिये किसी ट्रस्ट में जहां पारसी और क्रिश्चियन्स कोई ट्रस्ट नहीं है उस क्षेत्र में हम पारसी और क्रिश्चियन्स को क्यों रखें? उनको एडवाइज़री कमेटी में रखने से क्या लाभ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जो एडवाइजरी बोडी जिस स्टेट लेवल पर और रीज़नल लेवल पर बनायेंगे वैसी हालत में जिस जगह पर इन जातियों के ट्रस्ट्स नहीं हैं उनको भी अगर रखते हैं तो उसमें हर्ज क्या है। जब जिस ट्रस्ट का सवाल आयेगा जिस जाति विशेष के ट्रस्ट का सवाल आयेगा

( श्री दामोदरलाल व्यास )

उसी जाति के लोग उसमें भाग ले सकेंगे, वही निर्णय दे सकेंगे। एडवाइजरी बोडी में जनरल पालिसी के रूप में सब डिस्कशन कर सकते हैं। पर्टिकुलर कम्युनिटी का जब सवाल आयगा केवल उन्हीं कम्युनिटी के लोगों को निर्णय देने का अधिकार होगा।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : जैसा आप फरमा रहे हैं, वह प्रोवीज़न है कहां ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने इसमें अमेंडमेंट मूव कर दिया है आप मुलाहिज़ा फरमायें। धारा १५ पर अमेंडमेंट है। जब मैंने कल जवाब दिया था, उसमें भी इस बात को कहा था।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाज़ार, जयपुर) : किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में क्रिश्चियन या पारसी लोगों का ट्रस्ट नहीं। उसके लिये डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी बनाते हैं आपने लिख दिया कि:—

The interest to be represente shall among others, be the following namely, so and so. You have used here the word ' shall ' which means that these interests shall be there. I wanted to know whether it is an obligatory interest to be represented in that particular district. The use of the word ' shall ' has been made. It means that Christians and Parsis will have to be incorporated in the Committee. But suppose they are not there or there is no trust of their in that particular district, then it is unneessary to incorporate their names. Either the Government should specify... उनको ट्रस्ट हो तो लिया जावे। उनको ट्रस्ट नहीं हो तब तक उनका रिप्रेजेन्टेशन वहां नहीं होना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : अगर हो तो भी क्या ऐतराज है। अगर वे अपना पोइन्ट आफ व्यू रक्खेंगे तो गवर्नमेन्ट ज्यादा लिबरली काम करती है यह दिखेगा।

**श्री मूलचन्द डागा** ( पाली ) : कोई ऐतराज नहीं है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : और जैसा कि मैंने अर्ज किया यह एक्सप्लेनेशन रखने के बजाय ओमिट करने की राय दे दें तो ज्यादा अच्छा है। इसलिये कि अगर इस ट्रस्ट में जैसा माननीय सदस्य ने आपत्ति प्रकट की कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी डिविजन या डिस्ट्रिक्ट में आपके पास कोई पारसीज का ट्रस्ट न हो क्रिश्चियन का ट्रस्ट न हो। कहीं ये मिलें भी नहीं। तो इसको रखने से वे जरूरी हो जाते हैं उनको रिप्रेजेन्टेशन देना पड़ेगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** :This may be deleted.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : तो इसको डिलीट कर दिया जावे। धौलपुर का तो स्वीकार करता हूं। और तो मैं जवाब दे चुका एक माननीय सदस्य ने जो उन्होंने क्लॉज़ ११ ए, बी, सी पेश की हैं। ये ऐसी डिटेल की बात है जिनका अकसर रूल्स में प्रोविज़न किया जाता है इसलिये उनको स्वीकार नहीं करता।

**श्री अध्यक्ष** : उनका रूल्स बनाते वक्त आप ध्यान रक्खेंगे।

**श्री मूलचन्द डागा :** मैं जाना चाहता हूं कि हिन्दू , दिगम्बर, श्वेताम्बर डिलीट कर रहे हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जी हां ।

**श्री अध्यक्ष :** डिलीट करना ठीक होगा। ऐसी भावना है

**श्री मूलचन्द डागा :** इस पर जो बहस हुई और अभी तक हम इस निश्चय पर पहुँचे थे कि सबको रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये और अगर अब एकदम डिलीट करने का तै करते हैं तो कारण बताना चाहिये ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रैस्काइब कर देंगे यह बात रूल्स के अन्दर ।

**श्री मूलचन्द डागा :** जब रूल्स में प्रैस्काइब करेंगे और बिल में है तो क्या कारण है हटाने का इसे यहां से ।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इतनी बहस हुई तो उस सारी बहस को तो दोहराना मुश्किल है । आपको मालूम है डिलीट करने का कैसे फैसला किया गया । इसमें किसी प्रकार का डाउट करने की सम्भावना नहीं है । जो एप्रीहेन्शन है वह नहीं रहना चाहिये । बोर्ड में सब रिप्रेजेन्ट होंगे और इसके रिप्रे-जेन्टेशन के साथ यह अधिकार होगा कि जहां तक उनके धर्म से सम्बन्धित ट्रस्ट होगा उस धर्म की बात का निर्णय लेने का और उसमें मत देने का उन्हीं को अधिकार होगा ।

**श्री मूलचन्द डागा :** अध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं । एक बात की तरफ आपने कहा कि एप्रीहेन्शन नहीं होना चाहिये, एप्रीहेन्शन है ही नहीं । सवाल यह है पहले भी सुप्रीम कोर्ट के आधार पर अमेन्ड किया । अगर जहां पर जैन वैष्णव धर्म का सम्बन्ध है उसके धर्मा-वलम्बी मत देने को....

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मैंने यह पहले कहां कहा कि इस पर अमेन्डमेंट किया है । मैंने तो यह कहा था कि बिहार में बम्बई में ऐसा है और श्वेताम्बर दिगम्बर को अपना रिप्रेजेन्टेशन बोर्ड में कम्यूनिटी बेसिस पर करने का अधिकार है फिर वह भी अधिकार है ट्रस्ट है अपने रिलीज़न के निर्णय में मत देने का भी अधिकार है । मैंने यह नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हो गया है । इसको रखने से पेचीदगियां होती हैं । जैसे सतीशचन्द्रजी ने कहा कि इसमें बहुत सी डिफीकल्टी आ सकती हैं । जहां क्रिश्चियन पारसी का ट्रस्ट नहीं है वहां जबर्दस्ती उनको शामिल करना और बहुत से ऐसे इलाके भी रहे हैं जहां वे रहते नहीं तो इसको इस कारण से डिलीट करने का तै किया गया ।

**श्री पी. के. चौधरी :** यह तो स्टेट लेवल पर है । इसमें ऐतराज नहीं है ।

**डॉ० बहादुरसिंह :** पहला संशोधन स्वीकार कर लिया और बाकी का जो है उसको सदन से वापिस लेने की इजाज़त चाहता हूं ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि • सिवाय पहले के वापिस लेने की आज्ञा उनको दी जावे ।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई ।

**डॉ० बहादुरसिंह** : मैं संशोधन ३ को छोड़कर बाकी को वापिस लेता हूँ।

११ सब–क्लॉज़ १ ।

**श्री अध्यक्ष** : ११, सब–क्लॉज़ (१) में बहादुरसिंह जी का संशोधन स्वीकार किया जावे यह प्रश्न है।

( स्वीकृत )

संशोधन स्वीकार किया गया।

**श्री अध्यक्ष** : श्री जगदीश प्रसाद।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि श्री जगदीशप्रसाद का संशोधन स्वीकार किया जावे।

( अस्वीकृत )

संशोधन गिर गया।

श्री पी० के० चौधरी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : On a point of information Sir. यह एक संशोधन क्लॉज़ ११ पर जो था उसको अस्वीकार कर दिया हाउस ने।

**श्री अध्यक्ष** : वह तो पहले ही डिसाइड हो चुका है। उस पर वोट ले चुके हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जो फर्स्ट हो गया। उसको ले लिया। That is not only Dr. Bahadur Singh's amendment. There are two amendments-on one is of Dr. Singh and the other is of J. P. Mathur.

**श्री सतीशचंद्र अगवाल** : यह बात दूसरी है कि उनका अमेंडमेंट कह कर स्वीकार करें। पर दोनों को स्वीकार किया है डाक्टर का भी और श्री माथुर का भी।

**श्री अध्यक्ष** : फिर तो वोटिंग भी नहीं हो सकता। डॉ० बहादुरसिंहजी वाले पर पहले वोटिंग हो चुका है। यही माना जावेगा कि उनके ऊपर वोटिंग हुआ है।

**श्री सतीशचन्द्र अगवाल** : मेरा कहने का मतलब यह है कि एक को हटा दें, दूसरे को नहीं लें। यह तो ठीक नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : That is my stand. The House cannot reject the amendment. It will be presumed that it was not put to vote...

**श्री पी.के.चौधरी** : लास्ट पार्ट (डी)में(बी) I may be allowed to withdraw my amendment to part (d).

**श्री अध्यक्ष** : What about other ?

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री पी०के० चौधरी** : I withdraw my amendment ?

**श्री लक्ष्मीचंद** : मैं वापिस लेना नहीं चाहता।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री लक्ष्मीचन्द ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जावे ?

( अस्वीकृत )

संशोधन गिर गया ।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ११ स्वीकार किया जावे ।

( स्वीकृत )

संशोधित क्लॉज़ ११ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ १२

श्री जगदीशप्रसाद ।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : खंड १२ में मैंने यह रखा है । इसका उपखंड एक यह है : "The Board shall forward its views to the State Government regarding the performance by the Commissioner of his functions under this Act.' अब इसमें मेरा संशोधन इस प्रकार से है : Substitute the words "prescribe rules" for the word "forward its views to the State Government." अब इसमें जो प्रावधान है वह इस प्रकार से है । बोर्ड कमिश्नर्स के किस प्रकार के फंक्शन्स होंगे । इसके सम्बन्ध में रूल्स सरकार के पास भेजेंगे । इसमें अब आगे यह कहीं नहीं है कि सरकार उनका क्या करेगी । रिजेक्ट करेगी या अमेन्ड करेगी । इस प्रकार का किसी प्रकार का प्रावधान इसमें नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि इनको सरकार मान लेगी । इतनी एम्बीगुइटी है । इस प्रकार का जो बोर्ड स्टेट लेवल पर बनाया है उसके व्यूज की क्या कीमत होगी ।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : और फिर हमने माना है कि जो कमिश्नर है वह बोर्ड के ऊपर नहीं है । कमिश्नर की अपील बोर्ड के पास होती है । तो इस प्रकार से जो बोर्ड बनाया है तो उस बोर्ड को आखिर के अन्दर क्या अधिकार देना चाहते हैं । तो हम ने आज इस प्रकार का रिप्रेजेन्टेटिव बोर्ड बनाया है । सरकार द्वारा मनोनीत है उसका इलेक्शन के द्वारा चुनाव होगा नहीं तो उस स्थिति में सरकार ने उसके अन्दर झगड़ा पैदा हो इस प्रकार की वह स्थिति पैदा कर दी है । बोर्ड ने किसी सम्बंध में रूल बनाये, किसी सम्बंध में विचार अपने भेजे तो सरकार की यदि मर्जी होगी तो स्वीकार कर लेगी या उसको रिजेक्ट कर देगी । इसका कोई विधान नहीं है कि

१०. ४० म. पू.

( श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन ) :

कमिश्नर कहेगा कि जो बोर्ड की शिकायतें आई हैं वे ठीक नहीं हैं। कमिश्नर राज्य सरकार के पास जायगा और वे बातें राज्य सरकार द्वारा रिजेक्ट करायेगा क्योंकि इसके अन्दर कोई प्रावधान नहीं है ताकि जिससे झगड़ा पैदा नहीं हो । झगड़ा पैदा करने वाली स्थिति नहीं हो इसलिए स्पष्ट बात करें। आज डिसेन्ट्रेलाइजेशन की बात करते हैं और प्रत्येक बात में राज्य सरकार का हस्तक्षेप रहे या नहीं । बोर्ड के पावर्स दें या नहीं इस पर विचार करना चाहिए । तो रूल्स बोर्ड किस ढ़ंग से बनायेगा forwarding its views to the State Govt. तो इससे आगे जाकर किस प्रकार के [illegible] होंगे वह आज

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

देख सकते है । गवर्नमेंट की मर्जी होगी त मानेगी और मर्जी नहीं होगी तो नहीं मानेगी और मर्जा में आयेगा वह एमेंडमेंट करेगी । यह सारी स्थिति नहीं रहे तो बोर्ड को कौन-कौन से अधिकार दें, कमिश्नर के कौन कौन से पावर्स हैं, कौन कौन से फन्क्शन्स होंगे, आज इस बिल के अन्दर कुछ तो रख दें कि यह पॉवर्स कमिश्नर के होंगे । इसके अतिरिक्त कमिश्नर को कौन कौन से पावर्स देना है, कौन कौन से फन्क्शन्स कमिश्नर के होंगे यह बोर्ड तय करेगा, और इसके अन्दर हो जाय तो वह होगा कि Prescribe the Rules. व्यूज सरकार सेन्क्शन करेगी या रिजेक्ट करेगी यह बिल्कुल डेफिनिटनेट इस धारा के अन्दर हो उसके लिए इस प्रकार का संशोधन रखा है । "forward its views to the State Government. Preseribe rules के बजाय इस प्रकार की बात रख दी जाय त बिल्कुल अधिक स्पष्ट हो जायगा तो आगे जाकर झगड़ा उत्पन्न होने की स्थिति नहीं रहेग । इस लिए इस प्रकार से इन शब्दों को सब्स्टीट्यूट कर दिया जाय, इस प्रकार का मेरा संशोधन है ।

**श्री मूलचन्द डागा** ( पाली ) : श्री उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री जगदीश-प्रसाद ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । अलबत्ता मैंने तो पहले भी साफ कहा था कि एक मकसद और उद्देश्य था राजस्थान सरकार का कि जो ट्रस्ट बने हुए हैं उन ट्रस्टों में घोटालेबाजी होती है या जो संपत्ति का ठीक उपयोग नहीं होता है तो उसके बाबत में हमने ट्रस्ट कायम किये हैं और ट्रस्ट की जांच होनी चाहिए । उसके अलावा मैं तो आवश्यकता नहीं समझता था कि धर्म के मामलों में इस प्रकार के बोर्ड स्थापित करें और वह बोर्ड बने जो बोर्ड इन मामलों में हस्तक्षेप करे या जो समय समय पर राय दें, लेकिन जब बोर्ड को स्थापित करने की बात जब आ गई है और व्यूज लेते हैं कि फन्क्शन्स ऑफ दी बोर्ड क्या क्या होंगे या आपका ऐसा कहना है कि अगर सारे बोर्ड ने जो निर्णय दिया है और निर्णय देने के बाद जो अपनी राय जाहिर की वह अपनी राय या मत उन्होंने सरकार को दे दिया और सरकार ने उसको माने या उसका इम्प्लीमेन्टेशन हो या नहीं, और किसी तरह से वह इसमें कोई करे इतना डिस्क्रीशन दे दिया गया है कि Functions of the Board. The Board shall forward its views. तो इसमें इन्होंने कहा कि प्रेस्क्राइब्ड रूल्स जो कुछ हम चाहते हैं कि जो बोर्ड कुछ निर्णय पर पहुँचे , जो कुछ अपनी राय ले उस राय को सरकार के पास भेजने के लिए नियम हो जाने चाहिए, रूल्स हो जाने चाहिए, कुछ प्रोसीजर हो जाना चाहिए । मेरे ख्याल से उन्होंने भेजे अपने कोई व्यूज और किन्हीं व्यूज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा ? तो ऐसे मामले में प्रेस्क्राइब्ड रूल्स वर्ड्स काम में लाते हैं तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । और केवल सरकार अपनी जो इच्छा है वही व्यूज काम में लाये जायं तो मैं समझता हूँ कि यह जो उन्होंने विचार रखे हैं वह ठीक है, इसलिए यह वर्ड्स रीप्लेस करना चाहिए ।

**श्री लक्ष्मीचन्द** ( सांचोर ) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज़ १२ में मेरा एमेंडमेंट है । आप चाहें तो पढ़ दूं ।

**श्री उपाध्यक्ष :** It may be treated as moved.

( श्री उपाध्यक्ष )

[ संशोधन इस प्रकार है :—

Clause 12 be substituted as under :—

General powers and duties of the Board.

(1) General Superintendance of all Public Trusts shall be vested in the Board concerned. The Board shall do all things reasonable and necessary to ensure that such trusts are properly supervised and administered.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section ( 1 ) and subject to the other provisions of this Act, the powers and duties of the Board shall be—

(a) to give directions for the proper administration of the trusts in accordance with the law governing such trusts and the wishes of the founder in so far as such wishes can be ascertained and are not repugnant to law,

(b) from time to time to call for inspection reports, returns and other documents from the trustees,

(c) to cause inspection to be made of the properties and accounts,

(d) to take measures for the recovery of lost property of any trust,

(e) to institute an independent enquiry relating to the admistration of Trust funds,

(f) to safeguard the interest of the trustees and protect them from any outside interference, and

(g) to report to the State Govt. through the Devasthan Commissioner for any action against the trustees for the breach of any laws in force or any act of bad faith in respect of the trust."]

**श्री लक्ष्मीचन्द** : इसमें खास बात है कि जितने पावर्स हैं वह बोर्ड को होना चाहिए। गवर्नमेंट के हाथ में पावर्स नहीं होना चाहिए। बोर्ड उसकी हिफाज़त करे, सुरक्षा करे। सरकार को इतने ही पावर्स होने चाहिए कि स्टेटमेंट मंगा लिये, कोई गड़बड़ होती है तो चेक करने के पावर्स होने चाहिए, उसको देखने के पावर्स होने चाहिए। अगर किसी चीज़ की खामी है तो मंदिर की व्यवस्था करने में सब सुझाव देने का बोर्ड का अधिकार होना चाहिए कि खुद मंजूर करें, पास करें और खुद ही मंदिर को सुचारु रुप से चलायें। वह अधिकार उस बोर्ड को होना चाहिए न कि सरकार को सरकार को इतना ही अधिकार होना चाहिए कि सरकार यह देखती रहे कि बोर्ड उस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं करता है, उस पैसे का कहीं मिसयूज़ तो नहीं होता है, कहीं गबन नहीं होता है। अगर कहीं शंका हो तो चेक कर ले, देख ले। मगर सब पावर्स बोर्ड को होने चाहिए। बोर्ड को व्यवस्था करना है। मंदिरों की व्यवस्था जितनी अच्छी बोर्ड कर सकता है वह ठीक है। बोर्ड को अच्छे काम के लिए सुझाव भेज दे। अगर सरकार को पावर्स रहेगी तो जैसा कि आजकल होता है कोई जरुरी काम की आज्ञा चाही जाती है तो सरकार की टोकरी में वह कागज़ पड़ा रहता

( श्री लक्ष्मीचन्द )

है। मान लें कि कोई मंदिर जीर्ण हो रहा है और उसके मरम्मत की आवश्यकता है तो वह कागज़ सरकार के पास भेजा जाय तो मुमकिन है कि उसमें साल दो साल में वह सेन्क्शन आये तो मंदिर की हालत और बिगड़ जायगी। तो यह पावर्स बोर्ड को होने चाहिएं। सरकार की तो इतनी ही दस्तन्दाज़ी होनी चाहिए कि बोर्ड किसी प्रकार की गड़बड़ तो नहीं करता है। जहां कहीं उनको शंका हो तो उसकी देखभाल करें। मगर जहां तक सुझाव का प्रश्न है वह बोर्ड के अधिकार में होना चाहिए कि जो वह उचित समझे उस तरह से बोर्ड की व्यवस्था करे। जिस प्रकार से बोर्ड उचित समझे उसी टाइम बोर्ड उस काम को करे। तो उन कामों में जो टाइम लग सकता है वह नहीं लगेगा। सरकार की अगर अडंगाबाज़ी हुई तो मुमकिन है कि समय पर काम नहीं होगा। बोर्ड उसके आर्डर के इन्तज़ार में रहेगा। तो जो व्यवस्था ठीक चल रही है उसके बिगड़ने का अन्देशा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार कम से कम अपनी दसतन्दाज़ी रखे और सब कार्य बोर्ड ही सुचारु रूप से चलाये। ऐसा अधिकार उसके अन्दर होना चाहिए।

**श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष, सांचोर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखे हैं वे मैं समझता हूं बहुत हद तक सही है और उन्होंने जो शंकाएं यहां पर व्यक्त की है उन शंकाओं को मान लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। मैं मान सकता हूँ कि शायद राजस्व मंत्री जी भी इस बारे में ऐसे ही विचार रखते हों कि हम बोर्ड को कुछ अपने हक देना चाहते हैं, अपने खुद के रूल्स बनाने के हक देना चाहते हैं, फन्क्शन करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि आजकल के डेमोक्रेटिक एरा की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक, डिसेन्ट्रेलाइज़ेशन और प्रजातान्त्रिक पद्धति और उसके सिद्धान्त को करने की बात हो रही है, तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को कम से कम दस्तन्दाजी करने का मौका मिले। लोगों को जो कि इस बोर्ड में हों, जिस तरह से उनका गठन हुआ है उनको ज्यादा मौका मिले कि वे अपने हिसाब को, अपने धर्म के हिसाब से जो कुछ भी व्यवस्था करना चाहते हैं, उसमें गवर्नमेंट का दखल नहीं हो, और इस बात के लिए, मेरे खयाल से गवर्नमेंट को राजी हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट जो इस तरह के जो प्रजातन्त्र के सिद्धान्त हैं उनके ऊपर बोर्ड बनाने चली है तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार कम से कम अपना हाथ उसमें रखे। मानता हूं कि अगर कोई गड़बड़ है, किसी तरह की अव्यवस्था हो रही है या इस एक्ट के तहत किसी तरह की खामी पैदा हो रही है, या बोर्ड बनने के कारण में कोई गलती हुई है इस तरह की कोई ग्लेरिंग चीज मालूम हो कि कॉन्स्पीकुअसी गलत चीज़ हुई है तो ओवर ऑल पावर्स गवर्नमेंट को हैं, उसके सुपर्वीज़न के पावर्स गवर्नमेंट के पास हैं, गवर्नमेंट उनको यूज़ अवश्य करे। इतना नहीं होगा तो इस एक्ट का जो कुछ भी मकसद है वह पूरा नहीं होगा। यह मैं मानता हूँ कि बोर्ड द्वारा ओटोनोमस फंक्शन करने के लिये जो चीज होनी चाहिये, उसको जो हक होना चाहिये उसको सरकार यदि अपने हाथ में लेना चाहती है तो यह ठीक नहीं है। हर जगह यह है कि सरकार प्रेस्काइब करेगी, फंक्शन करेगी। इस प्रकार की चीज की व्यवस्था डेमोक्रेटिक देश में,

# Page No 60



*श्री श्रनोपसिंह*

प्रजातांत्रिक पद्धतियों पर करने जा रहे हैं तो फिर आइडियोलोजी से अलग हट कर चलने की बात होगी। इसलिये माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ और यह समझता हूँ कि राजस्व मंत्रीजी इसे स्वीकार करेंगे। यदि वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो यह उनकी मर्जी है। लेकिन हर जगह गवर्नमेंट का हाथ होता है तो ठीक नहीं है। आप के डिपार्टमेन्ट्स में जो गड़बड़ियां होती है वे गड़बड़ियाँ यहां पर मंदिरों में और ट्रस्ट में होंगी। आप दूरअंदेश की बात तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, ऐसी बात होगी।

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : जो संशोधन सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है मैं उसको स्वीकार नहीं करता। इसका कारण स्पष्ट है, जैसा कि सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि हर बात गवर्नमेन्ट के हाथ में होना और उसमें दखल देना ठीक नहीं है लेकिन यदि सेक्शन १२ को अच्छी प्रकार से मुलाहिज करेंगे तो पता चलेगा कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। किसी विषय पर बोर्ड एडवाइस करेगा उससे यदि असिस्टेन्ट कमिश्नर, देवस्थान विभाग सहमत नहीं है और डिसएग्री करता है तो जो सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड स्टेट लेवल पर है उसको मेटर रेफर किया जायगा और उसका फैसला मान्य होगा। जो फैसला ट्रस्टीज के द्वारा बनाये हुए बोर्ड ने किया है उसी को मान्यता दी जायगी। जो रीजनल बोर्ड का झगड़ा है उसका फैसला कमिश्नर या गवर्नमेन्ट नहीं करेगी बल्कि बोर्ड करेगा और वह बोर्ड उन्हीं लोगों का है जो विभन्न संप्रदायों और ट्रस्ट के लोग है। इसलिये सरकार ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा है। इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट यदि मंजूर कर लेते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। प्रेक्टीकली इसको ले नहीं सकते। इसलिये मैं सीकर से आनेवाले माननीय सदस्य और सांचोर से आनेवाले माननीय सदस्यों के अमेन्डमेन्ट्स को नामंजूर करता हूं और ओरिजिनल क्लॉज़ को पास किया जाय इसके लिये प्रार्थना करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री लक्ष्मीचन्द ने धारा १२ पर रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो श्रीजगदीशप्रसाद माथुर ने धारा १२ पर प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ १२ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२ स्वीकार किया गया।

### क्लॉज १३

**डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा में जो एक्सप्लेनेशन है उसको डिलीट करने का मेरा जो अमेन्मेडन्ट है उसको मैं मूव करता हूं और दूसरे अमेन्डमेन्ट को पेश नहीं कर रहा हूं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** ( राजस्व मंत्री ) : यह कांसिक्वेन्शियल है। धारा ११ में मैं स्वीकार कर चुका हूं इसलिये इस अमेन्डमेन्ट को भी स्वीकार करता हूं।

**उपाध्यक्ष** : You are not moving the amendment.

**डॉ० बहादुरसिंह** : दूसरे वाले को पेश नहीं कर रहा हूं। पहला मूव कर दिया।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव रखा है...

**श्री दामोदरलाल व्यास** : There are some other amendments. They may also be taken up.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : मेरा जो संशोधन एक्सप्लेनेशन को डिलीट करने का है उसको मूव कर रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : You are moving, which amendment ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : Explanation be deleted.

**श्री उपाध्यक्ष** : that has already been moved.

**श्री मूलचन्द डागा** : उपाध्यक्ष महोदय, जिस बिल की पहले पहल भूमिका बांधी गई और वख्त वख्त पर अमेन्डमेन्ट मूव किये गये मैं समझता हूँ यह बिल इस प्रकार से चल रहा है कि जो जिस वख्त दिमाग में विचार आया उसको जोड़ दिया गया। इससे बिल का सारा ओब्जेक्ट फ्रस्टरेट होगा, अभी नहीं तो थोड़े समय बाद। यह होगा कि सारा ओब्जेक्ट फ्रस्टरेट हो जायेगा। एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सोचता है लेकिन सारे दृष्टिकोण का ध्यान नहीं रखता है। हमने माना एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड उच्चत्तर मुकर्रर किया और उसके मेम्बर्स डिफरेन्ट धर्मावलम्बियों को बनाया, इसको डिफाइन नहीं किया एक आसान सा उत्तर यह दिया कि इसके लिये रूल्स बना देंगे, रूल्स बनायेंगे उस समय देखेंगे। मैं समझता हूँ रूल्स या उप-नियम कानून के अंतर्गत ही बनते हैं जब इस बारे में कानून ही नहीं होगा तो उप-नियम नहीं बन सकते। आपने इस तरह से बात को टाल दिया। आपने क्या किया सेक्शन १३ में रीजनल एडवाइजरी कमेटी में Regional Advisory Committees अब आपने वह कहा कि हम इसे हटाना चाहते है और यहां पर यह दे दिया कि हम हिन्दू, श्वेताम्बर जैन, दिगम्बर जैन, बुद्धिस्ट और सिख 'The State Govt. shall by notification in the official Gazette, establish a Regional Advisory Committee for the area within the jurisdiction of each Assistant Commissioner consisting of such numbers of member representing each interest as may be prescribed.'

मैं अब तक नहीं समझ पाया। आज यह हो रहा है कि हमारे किसी भी मजहब या धर्म पंथ या रिलिजन का जो आदर्श है, आचरण है उस मामले में कोई दूसरा धर्मावलम्बी इन्टरफियर कर सकता है, राय दे सकता है। मानलीजिये किसी डिविजन या क्षेत्र में किसी धर्म के ५, ७ ट्रस्ट हैं और एडवाइजरी बोर्ड बैठा है या रीजनल बोर्ड है और उनमें उस धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले काफी

# Page No 62



( श्री मूलचन्द डागा )

संख्या में नहीं हैं और उनकी जो राय है उस राय को उस ट्रस्ट को मानना जरूरी होगा। मैं समझता हूं कानून की दृष्टि से उनकी राय नहीं मानी जा सकती और न मानना वाजिब ही है। इसका मतलब यह है कि एक आप धर्मावलम्बी के मामले में दखल देने का अधिकार दूसरे धर्मावलम्बी को देंगे, ताकि वह अनुचित हस्तक्षेप करे। यह एक तरह से अनुचित चीज होगी। छोटे छोटे मामलों में एक दूसरे के बीच खींचा तानी और तनातनी होगी। आपने यह कहा कि किसी बोर्ड में सभी धर्मावलम्वी इकट्ठे होंगे और पर्टिकुलर धर्म के सम्बन्ध में प्रश्न पर उसी धर्म को मानने वाले लोगों को मत देने का अधिकार होगा। आपने एक बार यह कहा कि यदि बोर्ड स्थापित होता है तो उस बोर्ड में उस धर्म के अनुयायी ही अपने मत देने का अधिकार रखेंगे। लेकिन आज आपने एक्सप्लेनेशन को हटाकर नया संशोधन पेश कर दिया और कह दिया कि इसको हटा दिया जाय। तो मैं समझता हूं कि जो आप का पर्पज़ और ओब्जेक्ट है वह सारा का सारा फ्रस्टरेट होता है और सही माने में होता है। कभी कभी व्यक्ति जानबूझ कर नहीं लेकिन जिस संस्कार और भावना में पले हुए व्यक्ति हैं उसी के आधार पर विचार करेंगे। वे सभी दृष्टिकोण से और सभी की भावना को देखते हुए विचार नहीं कर सकते। मानव स्वभाव में कमजोरी है.......

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं क्लॉज़ १५ में जो अमेन्डमेन्ट किया है उस और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं यदि उसको देखते तो बात समझ में आजाती।

**श्री उपाध्यक्ष** : And also to the clause 11 where the explanation has been deleted.

**श्री मूलचन्द डागा** : इसमें सवाल था रीजनल एडवाइज़री बोर्ड का जो आप नहीं चाहते, फिर क्राइटेरिया क्या होगा? किसी भी सूरत में यह बिल कम्पलीट नहीं है।

११ म. पू.

यह आउट लाइन है, बेअर आउट लाइन है। यह भी प्रेस्क्राइब नहीं किया है कि कितने मेम्बर होंगे। क्या माननीय राजस्व मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उस हालत में किसी दूसरे धर्मावलम्बी की, जो उस पंत में, उस धर्म में विश्वास नहीं करता है, राय या आज्ञा उस बोर्ड को मान्य होगी, उसे मानना होगा। यह होना चाहिए कि नहीं। नहीं तो हम किसी तरह से कोर्ट में जायं, हम अपनी दौलत को बरबाद करें, आपस में तनातनी हो। इसमें आपत्ति नहीं हो सकती है, इसमें यह हो सकता है कि दिगम्बर, श्वेताम्बरी सब धर्मावलम्बी होंगे। मैं समझता हूँ इस बिल को बनाने में बहुत समय लगा होगा, बम्बई, बिहार के कानून की नकल की होगी, इधर उधर की बात सोची होगी तब जाकर यह बिल बनाया होगा। कई साल के प्रयत्न के बाद यह बिल रखा है। इसके विपरीत केवल चौबीस घंटे में दो घंटे में यह बात दिमाग में आ गई कि प्रतितिधियों का नामोनिशान मिटाते हैं, केवल एक बोर्ड हो जायगा। इसके लिए कोई रीजन्स नहीं हैं, इसके लिए आपके पास कोई ग्राउन्ड्स नहीं हैं, कोई कारण नहीं बताते हैं। केवल यह है कि बिल में टैक्निकल बातें हैं जो विधान सभा के सदस्यों के कम समझ में आती हैं। केवल कुछ समय में रद्दोबदल कर दी, अगर झगड़े हों तो कोर्ट में जाते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि

( श्री मूलचन्द डागा )

यह कांस्टिट्यूशन के खिलाफ है, इस बिल की सारी धारायें हैं वे बिल्कुल खिलाफ हैं। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और जो संशोधन रखा है, उसे नहीं माना जाय और जैसा है वैसा ही रखा जाय। अगर चाहें तो इसमें क्रिश्चियन और पारसी जोड़ दें। अन्यथा यह होगा कि क्लाज़ पास हो जायगा और जो आगे मुसीबत और झगड़े आने वाले हैं, वह समय बतायेगा। जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने संशोधन रखा है, उसके कारण कितनी मुसीबतें होंगी, कितने झगड़े होंगे यह समय बतायेगा

**श्री दामोदरलाल व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ११ में जो अमेंडमेन्ट है, उसके एक्स्प्लेनेशन को डिलीट करने के बाद क्लॉज़ १३ में जो एक्स्प्लेनेशन है....

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं क्षमा चाहता हूँ वह स्टेट लेवल पर था।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं समझ रहा हूं I will explain it.

माननीय सदस्य ने कुछ बातें बताई, मैं कल भी जवाब में बता चुका हूँ और आज भी जिस समय क्लाज़ ११ लिया गया था, उस समय एक्सप्लेन किया था और यह बताने की कोशिश की थी कि जो धर्म के मामले कमेटी के सामने आयेगें, तो जो बोर्ड के सदस्य होंगे, उनको निर्णय देने का अधिकार है। मैने निवेदन किया है कि क्लाज़ १५ में जो अमेंडमेंट पेश किया है, उसको आप देख लेते तो इतनी बहस करने की आवश्यकता नहीं होती। क्लाज़ १५ में जो अमेंडमेंट पेश किया है उसमें साफ लिखा है, उसको मैं बाद में सदन के सामने पेश करूंगा। उसमें साफ लिखा है : "No member of the board or a committee shall participate in the disscussion of or vote on a matter coming up upon the board or such committee, if such matter relates to a Hindu public trust representitng a particular religion and such member is not a person professing that religion." इसका मतलब साफ यह है कि जब बोर्ड के सामने, या कमेटी के सामने कोई मामला आयेगा और जो मेम्बर उस रिलीजन या कम्युनिटी का नहीं है, वह न बोर्ड को राय देगा और न पार्ट लेगा। यह साफ लिखा हुआ है। उसके बाद आपका एप्रीहेन्सन कहां तक जस्टीफाइड है। जब हम स्कीम को बदल रहे हैं, हिन्दू शब्द को निकाल कर सारी कम्युनिटी के लिए इसे लगा रहे हैं, तो बार बार आपको यह खयाल क्यों हो रहा है कि यह जैन श्वेताम्बर के लिए, दिगम्बर के लिए होगा। यह साफ है। इसलिए जो अमेंडमेंट पेश किया है आपने, ओमिट करने के लिए उसे मैं स्वीकार करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : डॉक्टर बहादुर सिंह।

**डॉ. बहादुरसिंह** : नहीं, एक ही है, जिसे स्वीकार कर लिया है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I have accepted that amendment on explanation.

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ. बहादुर सिंहजी ने क्लॉज़ १३ पेश किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

( श्री उपाध्यक्ष )

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३, संशोधनानुसार स्वीकार किया जाय।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : My amendment is not moved.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : His amendment was moved.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : No I mean.

**श्री उपाध्यक्ष** :Your amendment is indentical to that of Dr. Bahadur Singh so you could have supported it.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३, संशोधनानुसार स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

खंड १३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ १४।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४ स्वीकार की जाय।

( स्वीकृत )

खंड १४ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ १५।

श्री लक्ष्मीचन्द ।

**श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १५ के अन्दर मेरा एक छोटा सा अमेंडमेंट है।

[ संशोधन इस प्रकार है :—

Cluase 15 be substituted as under:-

"15. The Board shall frame its own rules for conducting business of the Board and for employing staff required therefor, and its, conditions of service and the removal of members thereof. The rules shall be approved by the State Government."]

वह इस किस्म का है कि रूल्स बनाने की पावर्स बोर्ड को होनी चाहिये। जो बिल सरकार ने पेश किया है, उसको इस धारा में लिखा हुआ है, राज्य सरकार द्वारा बनाये गये रूल्स के अनुसार बोर्ड का कार्य किया जायगा। इसमें जो राज्य सरकार लिखा हुआ है, वह नहीं होना चाहिये। बोर्ड को पॉवर्स होनी चाहिये, रूल्स बनाने की। एक तरफ तो आप बोर्ड को महत्व देते हैं कि बोर्ड ऐसा होगा, दूसरी तरफ रूल्स बनाने का अधिकार उसे न हो, यह कहां तक उचित है ? जहां तक रूल्स बनाने का सवाल है, बोर्ड के अन्दर अलग अलग सम्प्रदायों के प्रतिनिधि होंगे, अलग अलग सम्प्रदायों को मानने वाले होंगे, वे रूल्स बनाने वाले होंगे, वे जो रूल्स बनायेंगे, वे कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए अच्छे रूल्स बना सकते हैं न कि सरकार। इसलिए जो रूल्स बनाने का अधिकार है,वह सरकार को नहीं होना चाहिये, वह बोर्ड को होना चाहिये। यह मेरा सुझाव है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका भी आइडेन्टीकल है।

**डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : मैं पेश नहीं कर रहा हूं।

# Page No 65



**श्री मूलचन्द डागा (पाली)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं....

**श्री दामोदरलालव्यास** : मैं भी अमेंडमेंट पेश कर रहा हूं। आपका समर्थन तो है ही। क्लॉज़ १५, में जैसा मैंने अर्ज किया....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपका समर्थन प्राप्त नहीं है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जी हां, आप कुछ भी समझ लें। इनको इनका समर्थन प्राप्त है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज़।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : (1) Renumber the existing provision as sub-clause (1) of clause 15.

(2) Add the following new sub-clause:-

"(2) No member of the board or a committee shall participate in the discussion of or vote on a matter coming up upon the board or such commitee, if such matter relates to a Hindu public truct representing a particular religion and such member is not a person professing that religion." यह मेरा क्लॉज़ १५ में अमेंडमेंट है। इसको एक्स्प्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बार बार सदन में एक्स्प्लेन कर दिया है और माननीय सदस्य जानते हैं। एक अमेंडमेंट जो माननीय सदस्य ने पेश किया है, कि राज्य सरकार को रूल्स मेकिंग पॉवर्स न देकर बोर्ड को दे दी जाय, वह प्रेक्टीकेबल बात नहीं है। बोर्ड बनेगा, उसके पहले रूल्स बनाने पड़ेंगे राज्य सरकार को और यह बताना पड़ेगा कि किस तरह से बिजनेस कन्डक्ट करेंगे और किस तरह से कार्य करेंगे। अभी बोर्ड बना नहीं है और पॉवर्स दे दी गई है, यह कहां तक ठीक है। इसलिए सरकार को रूल्स मेकिंग पॉवर्स होनी चाहिये। आपने कहा With the approval of the State Government. What difference does it make. बोर्ड रूल्स बना कर स्टेट गवर्नमेंट की एप्रूवल ले ले या सरकार रूल्स बना दे Then it makes a little difference. मेरे ख्याल से रूल्स के बिना कार्य आमद नहीं होगा, जिस मन्शा से आप यह अमेंडमेंट लाये हैं। जहां राज्य सरकार का नाम आता है, माननीय सदस्य समझते हैं कि ऐसी कोई बात ली जा रही है, और उससे गड़बड़ी हो जायगी। आपने जो अमेंडमेंट पेश किया है, उसकी मन्शा इसमें है।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन पेश किया है, उसका मैं विरोध करता हूँ

( करतल ध्वनि )

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह बताना चाहता हूँ कि जैसा यह कहा गया है कि रिलीज़न पाइन्ट ऑफ व्यू से जो रिलीज़न का जो मसला आयेगा, उसमें वही व्यक्ति वोट दे सकेगा, वही व्यक्ति विचार प्रगट कर सकेगा, जो उस रिलीज़न का हो। मैं निवेदन करूंगा कि किसी रिलीज़न का एक व्यक्ति है तो क्या सारे राजस्थान का एक ही व्यक्ति का निर्णय माना जायगा, यह....

**डॉ० बहादुरसिंह** : गणपूर्ति का अभाव है!

# Page No 66



**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** ( किशनगढ़ ) : अगर जैन साम्प्रदाय का एक प्रतिनिधि है और वहां सारे जैन सम्प्रदाय के लिए मसला आता है तो उसको एक ही प्रतिनिधि तय करेगा, यह न्याय के विपरीत है....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कोरम नहीं है ।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : इस प्रकार का संशोधन रखा है तो फिर बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं थी...

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका माइक साथ नहीं दे रहा है, टर्न ले लिया है ।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : आप यह कह देते कि हम जिस व्यक्ति को मुकर्रर करेंगे वह फैसला दे देंगे । अगर बोर्ड बनाना चाहते हैं, और बोर्ड में बैठने वालों से राय नहीं लेना चाहते हैं तो बोर्ड में बैठे हुए सदस्य अपमानित होंगे और उनकी राय की कोई वकत नहीं होगी । इसलिए आपको इस सम्बन्ध में सोचना और विचारना है कि आया एक व्यक्ति सारी बातें कर सकेगा या नहीं । इसलिये इसमें ऐसा संशोधन आना चाहिये था कि अलग अलग धर्मावलम्बियों के अलग अलग बोर्ड बनने चाहिये जिससे कि हर एक धर्मवालों को अपने अपने वोट देने का अधिकार हो और उनकी राय की कोई वकत हो अन्यथा आपने इस प्रकार बोर्ड में लोगों को वोट देने का अधिकार दिया है वह उचित नहीं होगा ।

**श्री मूलचन्द डागा** : मेरा इसमें समर्थन है ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं आपका समर्थन मानता हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : The quorum is not present.

( गणपूरक घंटी )

**श्री दामोदरलाल व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है कि केवल धर्म का एक ही व्यक्ति होगा यह बात उचित नहीं है । मैंने जैसे अर्ज किया अगर आप इस क्लॉज़ को मुलाहिज़ा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस तरह की बात नहीं है । The number of persons representing each interest as may he prescribed it depends upon the Community. इस तरह के सदस्य होंगे । गवर्नमेंट खुद ध्यान रखेगी । गवर्नमेंट केवल एक ही आदमी पर सब कुछ छोड़ दे और सारा का सारा रिप्रेजेन्ट वह करे यह पोज़िशन इसमें नहीं है । इस तरह से ट्रस्ट की कितनी प्रोपर्टी है उसके अनुसार उनको अधिकार मिलेंगे इसलिये आपको किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है । पाली से आने वाले माननीय सदस्य का भी इसको समर्थन प्राप्त है ।

**श्री मूलचन्द डागा** : आप अपील के अधिकार दे दें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री लक्ष्मीचन्द ने Claus. १५ पर रखा है उसे स्वीकार किया जाए ।

( अस्वीकृत )

संशोधन गिर गया ।

( श्री उपाध्यक्ष )

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ पर जो संशोधन माननीय मन्त्री महोदय ने रखा स्वीकार किया जाए ।

( स्वीकृत )

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जावे ।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ १५ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ को स्वीकार किया जावे ।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ १६ स्वीकार किया गया ।

क्लॉज़ १७

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १७ पर मेरे कई एमेंडमेंट हैं । एक एक को मूव करूं या सब एक साथ सब को मूव कर दूं और फिर एक एक पर बोलता रहूँ ।

**श्री उपाध्यक्ष** : Taken as moved.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : इसमें (१) में "Within three months from the date of the application of this section to a Hindu public trust or from the date on which a Hindu public trust is created which ever is later, the working trustee therof shall apply to the Assistant Commissioner having Jurisdiction for the registration of such public trust." इसमें मैंने यह पेश किया है :

Substitute the word "three" by "six" and the word "may" for the word "may" for the word "shall" occurring in first and fourth line respectively. इसके बाद में Shal का May कर दिया जावे । हमने यह तै किया है कि प्रत्येक मठ और मन्दिरों को कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा । किसका होगा और किसका नहीं होगा उसको आगे जाकर एक्सप्लेन किया है मगर वह मंत्री महोदय की इच्छा पर होगा । मेरी यह मंशा है कि जिस ट्रस्ट को या जिस मठ के सम्बन्ध में राज्य सरकार अवश्य समझे कि इसके हिसाब में गड़बड़ी है या बद-इन्तजामी है उसको दूर करने के लिए राज्य सरकार उसके एकाउन्ट्स वगैरा चैक अप कराने चाहिये । इसलिए मैंने यह नया सब-सेक्शन एड करने के लिए लिखा है ; "Where in respect of a particular unregistered trust the State Govt. is satisfied that it is running inefficiently and there is chance of misappropriation of its funds or its properties, the State Govt. shall obtain a declaration to this effect from a court in the prescribed manner and thereupon the trust shall be rigistered in this Act." और वह ट्रस्ट या मंदिर या मठ जब राज्य सरकार को विश्वास हो जावे कि यहां पर पैसे का दुरुपयोग होता है या नहीं इसकेलिए भी राज्य पर यह बात नहीं छोड़ी जावे यह भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हेल्ड करेगी कि मंदिर है या मठ है इनएफिसियेन्टली रन कर रहा है, वहां पर मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है तो उसके लिये यह लाज़मी होना चाहिये कि वह रजिस्ट्रेशन

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

कराए। अन्यथा कई ऐसे मन्दिर हैं जिनकी आमदनी १०० रू० सालाना या २०० रू० सालाना है उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

**एक माननीय सदस्य :** उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर :** इस प्रकार की आवश्यकता पैदा होगी तो हमेशा झगड़े होंगे।

कोरम पूरा नहीं हुआ है तो मैं बैठ जाऊंगा

( कोरम घंटी )

इस प्रकार मन्दिर जिनकी आमदनी २०० या २५०रू० सालाना होगी उनको भी रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। और उसको रिटर्न देनी होगी। जिसकी आमदनी २०० या २५० रू० वार्षिक होगी उसको भी अपना हिसाब ऑडिट कराना होगा और इसके लिए उसको किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पास जाना होगा जिसकी फीस कम से कम ५० रुपये होगी। इस प्रकार से हमने अगर कम्पलसरीली रजिस्ट्रेशन की बात रखी, बड़ी परेशानी होगी। इसलिए कम्पलसरी शब्द हटा दिया जावे। बड़े बड़े मन्दिर जिनकी आमदनी ज्यादा है जैसे नाथद्वारा का मन्दिर है या इस प्रकार के दूसरे बड़े बड़े मन्दिर हैं उनकी आमदनी ज्यादा हो उनके लिए यह रजिस्ट्रेशन होना चाहिये और जिनकी आमदनी उचित नहीं है सिर्फ २०० या २५० रू० है तो उनके लिए यह उचित नहीं होगा। इस प्रकार धारा २ है "The Assistant Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, extend the period prescribed by sub-section ( 1 ) for the making of an application for registration by not more than three months. " इसमें तीन महीने हैं उसके स्थान पर ६ महीने कर दिये जावें। इसकी उपधारा ( ३ ) है वह सबसे बड़ी खतरनाक है "Each such application shall be accompanied by such fee, if any, not exceeding five rupees, as may be prescribed." इसके अनुसार प्रत्येक मन्दिर या मठ को पांच रूपये की फीस देनी होगी। यह सरकार ने कम्पलसरी किया है। सरकार कहती है कि हम किसी धार्मिक स्थानों से कुछ नहीं लेना चाहते हैं लेकिन यह ५ रूपयों का टैक्स है जो प्रत्येक मन्दिर को राज्य सरकार को देना होगा। यह फीस है जो कम्पलसरी टैक्स है। चाहे मन्दिर छोटा हो या बड़ा उसको अपने रजिस्ट्रेशन के लिये ५रू० देने होंगे। यह पांच रूपये सरकार ने क्यों रखे हैं। सरकार यह चाहती है कि धर्म के रूपये उन्हीं के उपयोग में आवेंगे सरकार उनको नहीं लेना चाहती। ठीक है आप जब कहते हैं कि हम पैसा ही नहीं लेना चाहते तो फिर यह क्यों रखा जाता है। मैं यह चाहता हूं कि यह हटा देना चाहिये। अब इसमें आगे आते हैं Each such application shall be accompanied by such fee, if any, not exceeding five rupees, as may be prescribed. सब-क्लाज (४) में सरकार ने रखा है कि इस प्रकार के पर्टीकुलर्स देने होंगे लेकिन सरकार ने इस प्रकार का प्रोविजन बढ़ा कर इसको डीलेट कर दिये हैं। मैं आपको प्रोविजों को पढ़ कर सुनाता हूं : "provided that the rules made may provide that in the case of any or all Hindu public trusts it

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

shall not be necessary to give the particulars of the trust property of such value and such kind as may be specified therein. "

राज्य सरकार को इस प्रकार का अधिकार होगा कि राज्य किसी मंदिर को पर्टीकुलरली या सब मंदिरों को, ट्रस्टों को, मठों को एक्जम्प्ट कर सकती है कि वे अपनी प्रोपर्टी की लिस्ट दें या नहीं। सरकार की किसी मंदिर पर कृपा हुई जैसे आज तक नाथद्वारा के मंदिर पर कृपा थी, तो उसको एक्जम्प्ट कर दे कि वह लिस्ट न दे चाहे मूवेबल प्रोपर्टी हो यह इम्मूवेबल प्रोपर्टी हो, रजिस्ट्रेशन उस मंदिर का हो जावेगा। लेकिन किसी मंदिर के साथ देखा कि महन्त है पुजारी है, राज्य सरकार की इच्छानुसार नहीं चलता है उसको तो पर्टीकुलर्स देने पड़ेगें। यह क्यों डिस्क्रिमिनेशन रखा जाय ? एक बात रखना चाहते हैं तो धारा ५६७ को डिलीट कर दें। ४ में रखा गया है कि : (4) The application shall be in such form as may be prescribed and shall contain the following particulars, namely :

उप-धारा (?) में यह लिखा है : (i) the origin (so far as known), nature and object of the Hindu public trust and the designation by which the public trust is or shall be known:

यह सब को देना पड़ेगा। the place where the principal office or the principal place of business of the Hindu public trust is situated,

यह सब को देना पड़ेगा। The names and addresses of the working trustee and the manager,

यह सब को देना पड़ेगा। The mode of succession to the office of the trustee,

यह भी सब को देना पड़ेगा। लेकिन आगे ५६७ में राज्य सरकार जिसको चाहे उसको दे और जिसको न चाहे उसको न दे यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो ? राज्य सरकार को इस प्रकार का हथियार देने का मतलब तो यह है कि जिन मंदिरो में भ्रष्टाचार चला भी तो सरकार उनको एक्जम्प्शन दे देगी क्योंकि वे उनके कृपा पात्र हैं। इसमें यह है : The list of the movable and immovable trust property and such description aud particulars as may be sufficient for the identification thereof, अगर देना है तो सब को दें। नहीं आइडेन्टिफिकेशन कैसे होगा कि कोनसी प्रोपर्टी है या नहीं। यदि डिस्क्रिमिनेशन कर दिया तो मंदिरों के आपस में झगड़े होंगे कि अमुक मंदिर पर तो राज्य सरकार की कृपा हुई इसलिए एक्जम्पट कर दिया और अमुक पर नहीं हुई इसलिए नहीं किया। क्लाज़ ६ : The approximate value of the movable or immovable property, यह भी मर्जी चाहे जिसको दे और न चाहें न दें। मंदिर या धार्मिक संस्थान है, इससे तो उनमें डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने की वस्तु होगी। यदि हम चाहते हैं कि सब के साथ समान रूप से व्यवहार करें तो इस प्रोविजो को हटा दें जैसा मैंने कहा 'डिलीट दी प्रोविजो'। यदि नहीं हटाते हैं तो ६, ७, ८ को हटा दीजिये। सारी धारा समझ में आजावेगी।

इसके बाद में Add a provision to clause (7) as follows :

"Provided that the Advisory

# Page No 70



( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

Board shall have the power to rescind or alter the orders made under sub-sec (7) in revision.

सब-सेक्शन (७) में राज्य सरकार ने केवल असिस्टेन्ट कमिश्नर को पावर्स दिये हैं जिनका आगे जाकर रिवीजन नहीं हो सकता है। इस प्रकार सब सेक्शन ७ है :

"(7) An appeal against the order of the Asstt. Commrr. before whom the application was filed first, given under sub section (6) may be filed within sixty days before the Commissioner and subject to the decision on such appeal, the order of the Assistant Commissioner under sub-section 6 shall be final."

असिस्टेन्ट कमिश्नर को जो अधिकार हमने पहले दिया है अपील करने का, इसमें सब-सेक्शन (६) है :

"No Assistant Commissioner shall proceed with any application for the registation of a Hindu public trust in respect of which an application for registration has been filed previously before any other Assistant Commissioner, and the Assistant Commissioner before whom the application was filed first shall decide which Assistant Commr. shall have jurisdiction to register the public trust." तो इसके अन्दर रजिस्ट्रेशन करने के सम्बन्ध में डिसीज़न हो गया है और प्रोपर्टी के सम्बन्ध में फाइनली बोर्ड को देना चाहिये। रिविजन के पावर्स उसके सामने होने चाहिये। उसको अधिकार होना चाहिये कि असिस्टेन्ट कमिश्नर ने छोड़ दी है और सब-सेक्शन (७) में उचित नहीं समझा है तो स्टेट बोर्ड में रिविजन के पॉवर्स रहे और इसी प्रकार सारी धारा में मेरे संशोधन हैं। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष :** डॉ० बहादुरसिंह।

**डॉ० बहादुरसिंह** ( धोलपुर ) : मैं मूव नहीं करना चाहता।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री दयाकृष्ण विजय।

( अनुपस्थित )

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर ) : उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मान लें।

**श्री सतीशन्द्र अग्रवाल :** कोनसा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** आपका समर्थन।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** उपाध्यक्ष महोदय, बोलने से पूर्व मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहूँगा कि ५) रुपया फीस वसूल की जावेगी वह किस फन्ड और किस अकाउन्ट में इसको क्रेडिट किया जावेगा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** That will be Devasthan Fund It will not go the State Exchequer. बोर्ड का देवस्थान फन्ड होगा वह फीस उस फन्ड में जावेगी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** इस कानून में कहीं प्रोविज़न नहीं है। ५) की फीस ली जावेगी, जैसा कि सीकर से आने वाले मान-

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

नीय सदस्य ने इसको टैक्स का नाम दिया है इस लेजिस्लेटिव बिल की बोड़ी में नहीं लिया कि किस फन्ड में यह फीस जमा होगी और न हीं प्रोविज़न किया है कि यह रुपया इकट्ठा है एक्स्क्लुज़िवली वह ट्रस्ट प्रोपर्टी होगी। जिस कार्य के लिए इकट्ठा है किया जावेगा उसमें खर्च किया ज़ावेगा । इस प्रकार का प्रोविज़न किसी सेक्शन में नहीं दिखाई देता है। यह जरूर लिखा है कि ५) रुपया फीस ली जावेगी और वह हर एक एप्लीकेन्ट को देना होगा। इसमें आपने यह कहीं नहीं प्रोविज़न पढ़ा होगा कि यह फन्ड होगा और इस चीज़ में यह खर्च होगा और उसीमें एक्स्क्लुज़िवली खर्च किया जावेगा। यह प्रोविजो इस बिल की बोडी में नहीं है। ऐसे ही इस चीज़ का प्रोविज़न किया तो यह फीस की तारीफ में नहीं आवेगा किन्तु टैक्स की तारीफ में आवेगा और जब इसको टैक्स मान कर चलेंगे तो, मैं समझता हूँ कि राजस्थान विधान सभा को अधिकार नहीं है कि टैक्स लगावे । सरकार टैक्स इम्पोज़ नहीं कर सकती है। यह बात सही है कि फीस और टैक्स में फाइन डिस्टिंक्शन है, एक फाइन लाइन ओफ डिमार्केशन है। यह लाइटली नहीं कहा जा सकता है, आसानी से नहीं कहा जा सकता है कि यह केवल फीस है और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि यह टैक्स नहीं है। यह डिस्प्यूटेड पोइन्ट है, झगड़े का पोइन्ट है, सवाल है, इसके लिये कुछ विशेष बातें हैं, डिसाइडेड और ट्रस्टिंग प्रिन्सिपल्स हैं जिनके आधार पर नहीं कहा जा सकता है कि यह फीस है या टैक्स है माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह बात देखें कि हमने इसको फीस का नाम दिया है। किसी चीज़ को फीस कह दें तो वह फीस नहीं हो जाती है। कैसे कह दें ? उसका इन्टरप्रिटेशन है, मतलब है, तात्पर्य है वह यह निकलता है कि यह टैक्स के रूप में है और टैक्स के रूप में यह इम्पोज़ नहीं किया जा सकता है। सवाल यह खड़ा होता है कि यह आया फीस है या टैक्स है ? टैक्स है या प्रिन्सिपल है, कौन से प्रिन्सिपल्स हो सकते हैं, टैक्स हो सकते हैं ? मैं उसको टैक्स कहूँ तो माननीय मन्त्री महोदय उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं वह डिसिज़न कोट करूं कि जो यह बताता है कि टैक्स और फीस में क्या डिस्टिन्कशन है। सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा पैदा हुआ। यह बहस की गई कि फीस लागू की गई या टैक्स ? सुप्रीम कोर्ट ने ओब्जेर्वेशन दिये हैं कि क्या चीज़ फीस है और क्या चीज़ टैक्स है। उन प्रिन्सिपल्स को इसमें एप्लाई करें और इस नतीजे पर पहुँचे कि फीस की तारीफ में आवेगा या टैक्स की तारीफ में आवेगा । मैं समझता हूं कि संशोधन को वापिस लेने और कोटेशन को और दूसरे कारणों को छोड़ते हुए यह फीस लगाई जानी चाहिये या नहीं यह स्पष्ट कर दिया जाय तो मैं समझता हूँ उसको विथ्ड्रा कर लेंगे कन्सीड कर लेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बम्बई पब्लिक ट्रस्ट बिल पर उसके सेक्सन ५८ पर जो कांट्रीब्युशन के बारे में था। उसमें यह था कि कन्ट्रिब्यूशन देना होगा। उसकी धारा ५७ में यह था कि जितना भी रुपया इकट्ठा होगा वह सब पब्लिक ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फन्ड में होगा उसमें क्रेडिट किया जायेगा । सुप्रीम कोर्ट के जज़ेज ने इस बिना पर हालांकि उसमें यह लिखा हुआ था एक्स्क्लुजिवली यह रुपया ट्रस्ट के मामले में काम आयगा। पब्लिक ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फंड जिसका

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

प्रावधान हमारे इस बिल में नहीं किया गया इसका क्या कारण है, यह तो मैं नहीं बता सकता। माननीय मंत्री महोदय ही बता सकते हैं उन्होंने इस प्रकार का प्रोविजन क्यों नहीं रखा। आप भी उसी तरह का पब्लिक ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंड के नाम से एक फन्ड रख सकते थे और जो पैसा इस तरह से आयगा उसमें वह क्रेडिट किया जायगा और ट्रस्ट की प्रोपरटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव व ट्रेविलिंग एक्सपेन्सेज़ होंगे उनके लिये काम में आयगी। इस प्रकार का प्रोवीज़न आप यदि इस बिल में रखते तो मुझे कहने की इतनी अवश्यकता नहीं होती। इसमें आपने जो पांच रुपया जो रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर रखा है उसे मैं लाइसेन्स फी नहीं मानता मेरे विचारों में मेरी राय में वह एक प्रकार का टैक्स होगा। और जहां तक टैक्स लगाने का सवाल है इस प्रकार टैक्स से लगाने का अधिकार सदन को नहीं है। इन सारे प्रोवीजन्स पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने अपने डिसीज़न में लिखा है जो बहुत इम्पोर्टेन्ट है वह मैं सदन के सामने रखता हूं: Tax 'A tax is undoubtedly in the nature of a compulsory exaction of money by a public authority for public purposes, the payent of which is enforced by law. But the other and equally important characteristic of a tax is that the impositition is made for public purpose to meet the general expenses of the State without reference to any special advantage to be conferred upon the payers of the tax. It follows, therefore, that although a tax may be any levied upon particular classes of persons or particular kinds of property, it is imposed not to confer any special benefit upon individual persons and the collections are all merged in the general revenue of the State to be applied for general public purposes. Tax is a common burden and the only return which the tax payer gets is participation in the common benefits of the State. Fees, on the other hand, payments primarily in the public interest but for some special service rendered or some special work done for the benefit of those from whom the payments are demanded. Thus in fees there is always an element of quid pro quo which is absent in a tax. It may not be possible to prove in every case that the fees that are collected by the Government approximate to the expenses that are incurred by it in rendering any particluar kind of services or in performing any particular work for the benefit of certain individuals. But in order that the collections made by the Government can rank as fees, there must be co-relation between the levy imposed and the expenses incurred by the State for the purpose of rendering such services. This can be proved by showing that on the face of the legislative provision itself, the collections are not merged in the general revenue but are not apart and appropriated for rendering the seservices. Thus two element are essential in order that a payment may be regarded as a fee. In the first place, it must be lvied in consideration of certain secrvies which individuals accept-

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

ed either willingly and in the second place the amount collected must be ear-marked to meet the expenses of rendering these services and must not go to the general revenue of the State to be spent for general public purposes."

मैं नहीं समझता कि जब इस बोम्बे एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान था ।उन्होंने बिल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक फन्ड कायम-किया था, सारा रुपया उसमें क्रेडिट होता था । इतना प्रोविज़न था कि एक्सक्लूजिवली वह ट्रस्ट के काम में आयगा । हमारे इस कानून में इस बात का कोई प्रोविजन नहीं है कि यह रुपया उसमें किस अकाउन्ट में रखा जायगा इसका रिएलाइजेशन किस प्रकार से होगा । पांच रुपया आपने फीस रखी है यह उस समय दी जायगी जिस समय रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थना पत्र दिया जायगा । वह फीस उस समय दी जायगी उस फीस का आप क्या करेंगे किस काम में वह आयगा । यह बात सही है कि माननीय मंत्री महोदय कहेंगे कि जहां तक असिटेन्ट कमिश्नर व कमिश्नर देवस्थान विभाग की तनख्वाह का सवाल है वह पे हम कन्सोलिटेड फन्ड में से करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि फीस के रूप में जो आप पांच रुपया वसूल करेंगे वह आप किस अकाउन्ट में क्रेडिट करेंगे । कौन सा अकाउन्ट आपने खोला है, कौन से फन्ड में उसको क्रेडिट करने का सोचा है, इसके बिना हम यह कैसे मान सकते हैं कि इसका पैसा जो आयगा एक्सकलुजिबली इसी के काम में लगाया जायगा ।

दूसरा टेस्ट हमारे सामने आता है उस फीस का कोरिलेशन होना चाहिये । वह बात क्या जितनी भी सर्विसेज़ रेन्डर करना चाहेंगे वह खर्चा मान लीजिये एक लाख रुपये का होता है क्या आप उसके बजाय दस लाख रुपया वसूल करेंगे ; तो इस स्थिति में भी इसका कोरिलेशन नहीं होता । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, जब इसका कोरिलेशन नहीं होता जो आइटम एक्सपेन्डीचर का आपने रखा है वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव फन्ड में से मीट ऑउट किया जायगा यह आपने लिखा नहीं तो हम किस आधार पर यह कह सकते हैं कि कोरिलेशन हो गया । बहरहाल आपने पांच रुपया मेक्जीमम लिमिट रखी है, क्यों नहीं आप एक ही रुपया रखते इसके लिये आपको ग्राउन्ड बताने होंगे । हमारा खर्चा इतने लाख रुपया है -इतनी सर्विसेज़ रेन्डर करेंगे इसलिए इतनी फीस लगानी जरूरी है । जब आपके खर्चे में और आपके लगाई हुई फीस में किसी प्रकार का कोरिलेशन नहीं तो वैसी हालत में यह माना जा सकता है कि मनचाहा आपने पांच रुपया रख दिया, आप दस रुपया भी रख सकते हैं । लेकिन आपकी तबियत चलने वाली नहीं इसके लिये कानूनी और वैधानिक आपत्ति है । वे सारी धारायें आपकी इच्छाओं पर कन्ट्रोल रखती है ।

दूसरी बात यह भी लिखी है कि कम्पलसरी होगा फीस देना जो नहीं देगा तो उससे जबरदस्ती वसूल की जायगी । वालिन्टियरी रूप से पेमेंट होता है उसके लिये प्रोविज़न कर दिया है । किसी प्रकार रुपया वसूल किया जायगा उसके लिये कानून की धारा ४८ मे बताया गया है । उसके अन्तर्गत वसूल करना है तो वह लेन्ड रेवेन्यू के एरियर्स की तरह वसूल किया जा सकता है । किसी व्यक्ति

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

ने फीस नहीं दी रजिस्ट्रेशन उसका नहीं हुआ तो मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि इस कानून के अन्दर, इस बिल के अन्दर रूल्स में आप इसका हवाला नहीं दे सकते रूल्स में प्रोविज़न कर देंगे यह नहीं कह सकते । बोम्बे पब्लिक के अन्दर पब्लिक ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फन्ड में जहां फीस को क्रेडिट किया जायगा उस तरह से यहां आप किसमें क्रेडिट करेंगे । आप कहेंगे कि हम भी ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन पर इसी को खर्च करेंगे । हम कानून की धारा जानना चाहते हैं जिसमें यह लिखा हो कि आप इसकी आमदनी को एक्सक्लुजिवली इसी काम के लिये खर्च करेंगे । आपके इस बिल में इस प्रकार की धारायें नहीं हैं, प्रोविज़न नहीं है तो मैं नहीं समझता कि जो आप फीस की तौर पर यह रुपया लेंगे वह फीस का रुपया न हो कर एक प्रकार वह टैक्स के रूप में होगा । और जहां तक टैक्स लगाने का अधिकार है वह इस सदन को नहीं है । उसमें वह मनी बिल बन जाता है वैसी हालत में गवर्नर या प्रेसीडेन्ट की मन्जूरी लेना आवश्यक हो जाता है ।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन कर देना चाहता हूं सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने सब-क्लॉज़ चार को डिलिट करने का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । हरेक ट्रस्ट के लिये जो रजिस्ट्रेशन के लिये दरखास्त दे उसको जो जो बाते आवेदन पत्र में पूछी जाय उस सब को लिखना जरूरी है । ताकि यह पता चल सके यह कौनसा ट्रस्ट है, कौन कौन इसके ट्रस्टी हैं इसमें इन हेरीटेन्स का राइट है या नहीं इसके पास कितनी मूवेबल और कितनी इम्मूवेबल प्रोपर्टी है यह सब जानकारी दरख्वास्त में मिलनी चाहिये । वैसी हालत में यह प्रोविज़ो रखने की क्या जरूरत ? मान लीजिये यहां पर एक हज़ार ट्रस्टस हैं उसमें से आप ६६५ को यह कहें कि आपको तो पूरी जानकारी देनी होगी और पांच को कहें कि आपको जानकारी नहीं देनी चाहिये । इस प्रकार के एक्जेम्पशन के प्रोविज़न रखने की क्या जरूरत । इस प्रकार के एक्जेम्पशन से क्या होगा कि कोई भी बड़ा ट्रस्ट है, बड़ा मन्दिर है जिसके पास लाखों रुपये की सम्पत्ति होगी उसके मूवेबल और इम्मूवेबल प्रोपर्टी में जबर्दस्त घोटाला होगया उस समय सवाल पैदा होगा यह प्रोपर्टी किसी की है ? उस समय प्रोपर्टी का डिसक्लोज़ नहीं हुआ होगा दरखास्त में बताया नहीं गया होगा कितनी प्रोपर्टी और कितनी लाख रुपये की जायदाद अमुक ट्रस्ट के अन्दर में है तो वैसी हालत में वहां का महन्त यह कहेगा कि यह तो मेरी व्यक्तिगत जायदाद है क्योंकि उसका रेकर्ड तो आपके पास नहीं होगा । वैसी हालत में क्या निर्णय होगा । मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ६६५ के लिये आपने जरूरी किया है, एप्लीकेशन में प्रोपर्टी मेन्शन करने के लिये तो बाकी के पांच को भी आपको नहीं छोड़ना चाहिये । कानून की नज़रों में सब आदमियों को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिये । हरेक आदमी को मौका मिलना चाहिये । किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिये । जिस प्रकार का भी नियम बनाया जावे सब के साथ समान रूप से लागू होना चाहिये । मूवेबल और इम्मूवेबल प्रोपर्टी की की सभी को लिस्ट देनी होंगी । लेकिन अगर हम कह दें कि हम जिससे चाहे उससे लें, न लें । इसका मतलब क्या है ? जिनमें हमारा कोई स्वार्थ होगा, हम कह

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

देंगे डिस्क्लोज़ करने की जरूरत नहीं, और जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होगा उसके लिये करेंगे इसके डिस्क्लोज़ की जरूरत है। और फिर किसी में अगर स्वार्थ न भी हुआ तो नया स्वार्थ पैदा करने की कोशिशें चलेंगी और यह स्वार्थ पैसे से भी पैदा किया जा सकता है। यह भी जान लेना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि इन सारे ट्रस्टों में बाद में जाकर जबर्दस्ती गड़बड़ गोटाले और भ्रष्टाचार हो सकते हैं और जिम्मेदार इसके होंगे आप। वे नहीं होंगे। आपने चूंकि एग्जम्प्ट किया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वे गम्भीरता से विचार करें कि आखिर इसके रखने की जरूरत क्या है सिवाय इसके कि आपके जिनमें स्वार्थ हों, या स्वार्थ पैदा किये जाने की कोशिश हो, उनकी जांच न हो और इसके लिये कोई अधिकार आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आप अधिकार रक्खें अपने हाथ में पर जब आप एक चीज़ को ऑब्लीगेटरी ड्यूटी बनाने जा रहे हैं तो फिर ये अधिकार नहीं रखने चाहिये। इसको डिलीट कर दें, नहीं तो यह आपकी नीयत पर शक करने का एक बहुत बड़ा कारण साबित होगा।

इसके साथ जो पहला मुद्दा फीस और लाइसेन्स के बारे में उठाया है इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा और वे इसका स्पष्टीकरण उस हल्के ढंग से न दें जिस तरह से कि वे दे देते हैं देने के नाम पर। वे कानून के सम्बन्ध की पूरी व्याख्या करेंगे ऐसी मुझे आशा है और सारे सदन को उससे सन्तोष देने की कोशिश करेंगे। इस भाव से नहीं कि सरसरी तौर से कोई चलता जवाब दे दें क्योंकि वे समझते है कि बहुमत उसके साथ है, पास तो हो ही जावेगा पर सबको सन्तोष कराने की दृष्टि से जवाब दें। इन शब्दों के साथ सीकर से आने वालों का मैं समर्थन करता हूँ।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़े दिन पहले हिन्दुस्तान के एक बहुत बड़े चिन्तक ने कहा था कि अब देश में इतने कानून पास हो रहे हैं कि उन पर कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक लगाना जरूरी है नहीं तो कानूनों का नाम ही याद रखना लोग छोड़ देंगे।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : उनका नाम क्या है ?

**श्री मूलचन्द डागा** : आप उनका नाम जानना चाहते है तो मैं नाम बताता हूं। श्री राजगोपालाचारी ने कहा था, इस पर ब्रेक की जरूरत है, बिना ब्रेक के यह हो रहा है कि हम रोज इतने कानून पास कर रहे हैं और करते करते जीवन की तह तक, सिरे तक ही नहीं, अन्दर तक पहुंचने लगे है और आत्मा तक पहुँच गये हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जनरल डिस्कसन नहीं है, क्लॉज़ पर डिस्कसन चल रहा है।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : मैं क्लॉज़ पर ही कह रहा हूं। आपका मकसद और ऑब्जेक्ट तो ठीक था पर पहुँचते पहुँचते उस घर के बर्तन भांड़े और छोटी मोटी चीजों तक भी पहुँचने लगे और यह करने लगे कि जिसकी १२०१) रुपये तक की आमदनी है उसको भी आप इसके नीचे

( श्री मूलचन्द डागा )

ला रहे हैं। कोई साधू और सन्त घर घर से आटा और सत्तू इकट्ठा करता है और इस तरह से अपना गुजर बसर करता है तो आज के इस जमाने में तो १२००) रुपया का तो वही हो जाता है। उस आटे को लाकर वह रोटी बनता है, अपने कुनवे का भरण पोषण करता है। उसके आगे आप कागज़ का नोटिस लेकर जावेंगे इसका क्या परिणाम होगा। कभी आपने यह भी सोचा है ? मैं एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स का उदाहरण दूँ। गांव गांव में इंगलिश में लिखे फार्म हरेक काश्तकार के पास आप पहुँचा रहे हैं और इसका परिणाम यह हो रहा है कि वह अंग्रेजी में लिखा कागज का टुकड़ा उनके लिये हव्वा बन रहा है। वे उन टुकड़ों के लिये वकीलों के पास मारे मारे फिरते हैं और वे वकील उन भोले भाले अनपढ़ किसानों से एक एक फ़ार्म के पचास पचास साठ साठ और सौ सौ रुपये लेकर भर रहे हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपको तो फायदा ही हुआ ।

श्री मूलचन्द डागा : कानून की यह मंशा कि आपका यह कानून की जिसकी आमदनी १२०१) साल है उस पर आप इसकी धाराएं लागू करेंगे । उसका बजट बनावेंगे उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। पांच रुपया फीस का उससे वसूल करेंगे। पहले पांच रुपया लें आप धर्मादा के नाम का और इस तरह से कन्सोलिडेटेड फण्ड में रुपया चाहते हैं। बम्बई में लेवी लगाई गई और इससे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा चलाने की योजना बनाई गई । आप जब कमिश्नर देवस्थान, असिस्टेन्ट कमिश्नर आदि का खर्चा करने जा रहे हैं तो पांच रुपये का सवाल आप छोड़ दीजिये। और यह पांच रुपया का पैसा लेकर वह साधु सन्त जो हनुमान जी का पुजारी है और जंगल में बैठा हनुमानजी की पूजा पाठ करता है और इस तरह के श्रद्धालु लोग जो उसको दे जाते हैं उससे अपना गुजर बसर कर लेता है। उससे अगर आप पांच रुपये मांगने जाओगे तो इसका मतलब होगा कि आप उस अनपढ़ के पास जावोगे और कहेगे कि यह फार्म भरकर दो और भी न जाने आप उससे क्या क्या मांगेंगे। कब पैदा हुआ यह ट्रस्ट, यह मूर्त्ति कब पैदा हुई, मन्दिर की स्थापना कब हुई। तो वह क्या बतावेगा आपको ? वह तो यही कहेगा कि मेरे बाप दादा कब पैदा हुए मुझे याद नहीं मैंने तो यह सोचा मेरी आत्मा में कोई बात पैदा हुई और मूर्त्ति स्थापित कर दी और काम शुरू कर दिया। अब आपने यह लिखा है :

"(iii) the names and addresses of the working trustee and the manager."

आपकी यह बात इस रूप में उन लोगों के पास गई नहीं कि वे काम करने वाले यह कहेंगे कि इससे तो दूर रहना ही ठीक है। फार्म भरना, राज में जाना वैरीफिकेशन कराना, फिजिकल वैरीफिकेशन कराना इस सारी झंझटों में वे नहीं पड़ेंगे। आपने कह दिया : "Eevry application made under sub-section (1) shall be signed and verified in accordance with the manner laid down in the Code of Civil Procedure......" वे भगवान की स्तुति याद करें या आपके इस सारे प्रॉसीज़र को याद करें। यह कम समझ की बात है। आपका मकसद इन पर हमला करना नहीं था। आपका मकसद तो यह था कि हिन्दू

# Page No 77



(श्री मूलचन्द डागा)

समाज में जिनमें मोटे मोटे मन्दिर हैं और जिनके धन का दुरूपयोग होता है वह न हो। अब वे छोटे छोटे लोग जिन्होंने कभी आपके इस बजट का नाम नहीं सुना, आपके एस्टीमेट अकाउन्ट का नाम नहीं सुना आप उनसे क्या आशा रखते हैं। आप बजट उनसे मांगिये जिनकी हजारों की आमदनी है। अब इसमें भी ऐसा है कि आप के अफसर वहां भी अपनी अफसरशाही जैसी आपके और महकमों में चलती है, सालों, बरसों और महीनों पहले प्लान बनाया गया काम भी समय पर नहीं हो पाता तो फर्ज करिये कोई ३१ मार्च का सम्मेलन धार्मिक ढंग का करने का सोचा और उसमें हज़ार रुपया खर्च करना तै कर लिया। अब उसमें नाम नहीं, निशान नहीं हजारों इकट्ठे हो गये धर्म के नाम पर और तै हुआ कि इस रुपये को इस काम में लगा दिया जावे। इसमें अब बोर्ड बैठा नहीं, मीटिंग बैठी नहीं, आपको पूछा नहीं तो यह सब होने का नहीं। यह रुक जावेगा। इस पर लोग करने वाले सोचेंगे कि किन किन की मन्जूरी लें, यह क्या आफत है, आपकी यह इल्लत कौन मोल लेगा। इससे धर्म के प्रति रुचि कम होगी लोगों की। मेरा मतलब यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि जैसा आपकी इस कानून से मंशा है जो आप समाज में धीरे धीरे प्रगति करना चाहते हैं, रूढियों और खराबियों को मिटाना चाहते हैं। मैं फिर इस मकसद के इन्टरेस्ट में निवेदन करूंगा कि आप इस कानून की इतनी तह तक पहुँचने की कृपा मत करिये। अगर यह प्रोविज़न डिलीट हो जाता है तो इसमें क्या ऐतराज हो सकता है। उन्होंने बड़ा अच्छा संशोधन दिया है। उसको मानना चाहिए। "Add a fresh sub-clause (2) reading as follows :-

'(2) Where in respect of a particular unregistered trust the State Government is .satisfied that it is running inefficiently and there is a chance of mis-appropriation of its funds or its properties, the State Government shall obtain a declaration to this effect from a court in the prescribed manner and thereupon the trust shall be registered in this Act."

तो साहब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसी तक सीमित रहिये। खामखां में चलते हुए छोटे मोटों पर यह बन्धन न डालिये। अगर कोई अपने ढंग का काम करता है, कोई मन्दिर बनाता है अपनी संस्कृति का प्रसार करता है, प्रचार करता है एक जगह लोग इकट्ठे होते हैं और संस्कृति और धर्म की बात करते हैं तो इसमें बाधक नहीं बनिये। इस तरह की बाधाएं उपस्थित न करिये। जो पढ़े लिखे नहीं होते उनमें धर्म के प्रति श्रद्धा होती है। वे मन्दिर की स्थापना करते हैं। छोटी छोटी जातियां अपना अपना मन्दिर बनाती हैं, धर्म और संस्कृति की बात सुनना चाहते हैं इसमें आपका यह कानून बाधक बनेगा। इसे आप न करिये। उन छोटे मोटे की भी आमदनी १२००) रुपये तो आजकल के दिनों में हो ही जाती है उन सब को भी इस झमेले में न घसीटिये।

ये सारे जो क्लॉजेज़ हैं parts (iii), (iv), (v), (vi) of sub-clause (4) of Clause 17. अब ये जितने क्लॉजेज़ हैं उनको आपको डिलीट कर देने चाहिये। जो बड़े हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है जिनमें छोटे लोगों को परेशानी न हो उनको

# Page No 78



( श्री मूलचन्द डागा )

आप रजिस्टर करिये। सब कुछ करिये। यही आपका मकसद भी है। यह आप निश्चित समझिये कि अगर आपने इन छोटे मोटों पर हाथ डाला तो धर्म और संस्कृति की प्रगति नहीं होगी, रुढि और कुरीतियों से जो आप छुड़ाना चाहते हैं वह आपका मकसद हासिल नहीं होगा। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे हटेंगे।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सीकर से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश किये हैं उसका मैं विरोध करता हूं, खास तौर से सीकर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो कुछ आपत्ति पेश की है वह खास तौर से ५)रु० की फीस लगाई है उसके ऊपर, और भी कहा है कि वह रुपया किस में खर्च होगा, किस तरह से जमा होगा, कोई फण्ड होगा या गवर्नमेंट के एक्सचेकर में वह रुपया जायेगा, उसके लिए कह रहा हूँ कि बम्बई का जो एक्ट बना है उसका प्रोविज़न है उसके लिए जिक्र किया है और सुप्रीम रूलिंग्स के पेसेजेज़ साइट करके बतलाये, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब मैंने पहले बिल पेश किया था तो उस बिल के अन्दर हूबहू वही प्रोविज़न इनसर्ट किया था। उसमें यह प्रोविजन था कि यह जो हिन्दू ट्रस्ट हैं उनके लिये एडमिनिस्ट्रेटिव फण्ड कायम किया था, जिस तरह कि बम्बई में प्रोविज़न किया गया था। हमने बम्बई की स्कीम को इन्सर्ट किया था। उस वक्त जब यह सदन में आया था तो कई माननीय सदस्यों ने एतराज किया इस बात पर कि जो कन्ट्रीब्यूशन ट्रस्ट को देने का बिल में प्रोविज़न है वह राजस्थान में रख लेने का बड़ा विरोध किया था। उस स्कीम में तो यहां तक था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फण्ड सेन्ट्रल फण्ड की तरह का होगा उसमें से ट्रस्ट के जो खर्चे हैं, इखराजात हैं, वे सब इस फण्ड में से खर्च किये जायं। उस स्कीम का असेम्बली में विरोध किया गया था। तो माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जब उस बिल को पेश किया गया तो डिलीट कर दिया गया था। अब जब कि नया बिल पेश किया गया तो उन प्रोविजन को यहां पर नहीं रखा। अब रहा सवाल इस बात का कि ५)रु० रखे गये हैं उसके लिये आपने फरमाया है कि यह फीस नहीं है, टैक्स है। रजिस्ट्रेशन की फीस टैक्स नहीं होती है it is only fee. और हर जगह यह फीस मानी गई है। इस बिल के अन्दर गवर्नमेंट ने सब एप्रूव कर लिया है उसके बाद में पेश किया गया है। जहां तक ५ रुपये का सवाल है तो ५ रुपये फीस मुकर्रर नहीं की गई है It is, fees if any, which may not exceed Rs. 5/. कोई फीस लगेगी, रजिस्ट्रेशन की तो गवर्नमेंट लगायेगी अन्डर प्रेस्काइब्ड रूल्स वह ५ रुपये से ज्यादा नहीं लगेगी।

अब रहा सवाल इस बात का कि इस तरह का रुपया कहां जायग। इसका प्रोविजन बिल में नहीं रखा गया है तो आपकी आज्ञा से एक एमेंडमेंट इतना सा मैं कर देता हूँ। इसका प्रोविज़न नहीं है। After the words 'five rupees' insert the words and to be utilised for such purposes तो मतलब यह है कि and to be utilised for such purposes... तो जो कुछ क्लॉज़ है वह इस तरह से होगी "(3)

# Page No 79



( श्री दामोदरलाल व्यास )

Each such application shall be accompanied by such fee, if any, not exceeding five rupees and to be utillised for such purposes as may be prescribed" तो इस तरह से माननीय सदस्य का यह जो खयाल है कि......

**श्री उपाध्यक्ष** : 'as may be prescribed' means 'prescribed under the rules'?

**श्री दामोदरलालव्यास** : 'Yes Sir. That goes without saying. Prescribed means prescribed under the rules

**श्री उपाध्यक्ष** : Then how can we feel that it will not be contrary to the provisions of the constitution?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : It will not be against the constitution because these purposes will be definitely related to this Act. The money will not go to the State exchequer. when we say that it will not go to the consolidated fund and rules are to be prescribed for these purposes, then it will not be contrary to the provisions of the Constitution. Contrary to the constitution होने के लिए the only objection the Hon'ble Member has taken is that it does not bear the assent of the Governor, but as I have already submitted the Governor has given his assent so far as this Bill is concerned.

**श्री मूलचन्द डागा** : क्लॉज़ १० के अन्दर कहा है कि सारे एक्सपेन्डीचर इसी कन्सोलिडेटेड फण्ड से होगा तो फिर मालूम नहीं हुआ कि प्रेसक्राइब्ड रूल्स के अन्दर में इस फण्ड को कहां उपयोग में लायेंगे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर और उनके स्टाफ की सारी तनख्वाह इस फन्ड से नहीं चार्ज होगी। लाखों का खर्चा इस ५)रू० की फीस से जो इस बिल के मुताबिक पेमेन्ट होगा उससे सारे डिपार्टमेंट का खर्चा निकल सकता है क्या ? लाखों रूपयों का खर्चा उसमें से होगा, सब खर्चा कन्सोलिडेटेड फण्ड से होगा। आपके जो बोर्ड बनेंगे रीजिनल लेवल पर बनेगें इसका खर्चा वह कहां से किया जायगा इसके रूल्स प्रेस्क्राइब्ड कर दिया जायेंगे The purposes will be ofcourse consistent with this Act कन्सोलिडेटेड फण्ड में जाने के लिए यह कोई फण्ड नहीं है।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : My amendments.........

**श्री दामोदरलाल व्यास** : All other amendments moved by Hon'ble Mamber from Sikar, I refuse to accept them. For example in subclause (1) he has suggested that 'three' should be substituted by 'six', but this is not necessary because in the sub-clause (2) it is provided that the Assistant Commissioner may extend the period according to the circumstances of the case and that discretion he will exercise on sufficient cause being shown to him. Therefore extention of time from three months to six months is not necessary. Secondly he says that the word 'shall' may be substituted by the word 'may'. I submit Sir that it

( श्री दामोदरलाल व्यास )

is not necessary. Sometimes even if 'may' is inserted, it will have the force of 'shall'. Besides we cannot have a discretionary thing like this that he may or may not. इसलिए 'shall' को हटाकर'may' रखने का कोई मकसद नहीं है। कमिश्नर वगैरह के एज़ीक्यूशन में नहीं है। और बाकी जो बहुत से....

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : एगजेम्शन दिया है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I am just coming to that. Please don't make hur ry.

The other amendment moved by the Hon'ble Member pertains to details to be given in the application. I think they are very necessary. As long as the trustee does not disclose the whole properties of the trust, nature of the trust, purposes of the trust and names and addresses etc., the registration will not be complete.

Another amendment of the Hon'ble Member is for deleting the proviso to sub-clause (4). He says that the Government should not be given powers to exampt any trust from giving particulars of the trust property. The Hon'ble Member is already aware that we have taken certain powers in this Bill so that small religious or charitable institutions should not be put to any hardship. They are necessary and I respectfully beg to refase to accept any of the amendments moved by the Hon'ble Member

**श्री उपाध्यक्ष** : The constitutional position raised by Hon'ble Shri Jagdish Prasad Mathur is remedied in the light of the present amendment moved by the Hon'ble Minister and, therefore, I rule out the point raised.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन....

**श्री रामकरण सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष, कोरम पूरा नहीं है और क्लॉज़ेज पास की जा रही हैं।

(गणपूरक घंटो के पश्चात् पुनः )

१२ मध्याह्न

**श्री उपाध्यक्ष** : When the Government business is going on I think it is the bounden duty of the whips to be very vigilent and conscious of their duties to see that the quorum is complete.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १७ पर माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है ( संशोधन ) उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

( श्री उपाध्यक्ष )

प्रश्न यह है कि क्लॉज १७ संशोधित रूप से स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १७ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बनी।

१२. १ म० प०

(श्री अनूपसिंह, सभापति, पदासीन )

क्लॉज १८

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर :** [Substitute the words "ninty days" for the words 'Sixty days'] सभापति महोदय, क्लॉज १८ में मेरा संशोधन है। Clause 18 (2) reads like this :--

" (2) The Assistant Commissioner shall give in the prescribed manner public notice of the inquiry proposed to be made under sub-section (1) and invite all persons having interest in the Hindu public trust under inquiry to prefer within sixty days objections, if any, in respect of such trust."

सभापति महोदय, यह क्लॉज प्रोपर्टी से संबन्धित है आगे चल कर लम्बा चौड़ा झगड़ा पड़ने वाला है। यह प्रोपर्टी मंदिर, मठ या ट्रस्ट की है या नहीं इसकी जांच आदि के लिये ६० दिन का जो टाइम दिया है वह कम है। इतना लम्बा चौड़ा इनवेस्टीगेशन होता है उसके लिये इतना टाइम कम है इसलिये इसको बढ़ा कर ९० दिन का कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। यह एक नोमिनल अमेन्डमेंन्ट है, आशा है मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** सभापति महोदय, ज प्रस्ताव माननीय मित्र ने पेश किया है उसको मैं स्वीकार नहीं करता, मैं इसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं समझता। ९० दिन की मियाद ६० दिन के बजाय कर दी जाय, ठीक नहीं है। ६० दिन ही काफी है। ओन मेरिटस भी सफिशियेन्ट टाइम है रजिस्ट्रेशन, इन्कवायरी, अपील आदि के लिये। इस प्रकार से मियाद बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री सभापति :** (श्री जगदीश प्रसाद माथुर से) क्या आप अपना संशोधन वापस लेते है ?

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर :** जी नहीं।

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि क्लॉज १८ पारित की जाय।

**श्री गिरधारीलाल (नोखा) :** पहले माननीय सदस्य का संशोधन है।

**श्री सभापति (श्री अनोपसिंह) :** प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ मूल रूप में स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

# Page No 82



( श्री सभापति )

क्लॉज़ १८ मूल रूप में स्वीकार की गई ।

क्लॉज़ १९

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९ स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १९ स्वीकार की गई ।

क्लॉज़ २०

**डा० बहादुरसिंह** : मैं अपना अमेन्ड-मेन्ट मूव नहीं कर रहा हूं ।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २० पारित की जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २० स्वीकार की गई ।

क्लॉज़ २१

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१ पारित की जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१ स्वीकार की गई ।

क्लॉज़ २२

डॉ० बहादुरसिंह ।
( अनुपस्थित )

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२ पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २२ स्वीकर की गई ।

क्लॉज़ २३

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३ पारित की जाय ।

**श्री गिरधारी लाल (नोखा)** : On a point of order sir. सभापति महोदय, आज तक यह व्यवस्था रही है कि चेयर की ओर से बिल या धारा पारित की जाती है तब खड़े होकर की जाती है । मैं उचित समझता हूँ कि आज तक की व्यवस्था को कायम रखा जाय ।

**श्री सभापति** : Not necessary.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३ पारित की जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २३ स्वीकार की गई ।

क्लाज २४

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : सभापति महोदय, खंड २४ इस प्रकार से है :

"24. Further inquiry by Assistant Commissioner. If, at any time after the entries or amended entries are made in the register under section 21 or section 23, it appears to the Assistant Commissioner that any particular relating to any Hindu public

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

trust, which was not the subject matter of the inquiry under section 18 or sub- section (2) of section 23 as the case may be, has remained to be inquired into the Assistant Commissioner may make further inquiry in the prescribed manner......" मेरा इसमें संशोधन यह है कि 'May' शब्द के बजाय 'shall' कर दिया जाय। यह आवश्यक संशोधन हैं । मान लीजिए ट्रस्ट के संबंध में एन्टरीज रेकार्ड की गई और ६ महीने बाद जानकारी मिली कि कुछ जेव-रात या प्रोपर्टीज हैं जो एन्टरीज़ के बिना रह गई हैं या महंत या पुजारी द्वारा छिपाली गई हैं और इसका बाद में पता लग जाता है तो हमने इस प्रकार की धारा रखी है कि फरदर इन्क्वायरी बाइ असिस्टेन्ट कमिश्नर मे बी मेड । फरदर इन्क्वायरी की आवश्यकता है या नहीं, इसमें 'May' शब्द को रख कर डिस्क्रीशनरी पॉवर दे दी है। मरजी हो तो इन्क्वायरी करे नहीं तो नहीं करे । "... the Assistant Commissioner may make further inquiry." 'May' शब्द रखने से इन्क्वायरी करें या नहीं करें इस प्रकार की दुविधा हो जायगी । 'Shall' शब्द रख देने से लाजमी तौर पर इन्क्वायरी करके एन्टरी करनी पड़ेगी । जैसे नाथद्वारा में संपति मिली और एवेन्टरी नहीं बनाई गई क्योंकि प्रोविजन नहीं था। यदि डिस्क्रीशनरी रखते हैं तो किसी को छोड़ सकते हैं किसी को रख सकते हैं। इसलिए असिस्टेन्ट कमिश्नर को इस प्रकार की पॉवर न दें । 'may' ओब्लीगेटरी है। लेकिन 'shall' कर दिया जाता है तो लाजमी तौर पर करनी पड़ेगी। कोई माइनर है उसके लिए इन्क्वायरी करे या नहीं लेकिन यदि shall रहता है तो ओवर लुक नहीं किया जा सकता। इसलिए यह जरूरी है कि shall कर दिया जाय। क्लॉज़ १८ में लिस्ट दी जाती है तो एन्ट्रीज़ की जाती है यह कम्पलसरी है हर किसी को देनी ही पड़ेगी। वहां जिस प्रकार कम्पलसरी हैं, इस धारा में कम्पलसरी कर दिया जाय। अगर फिर मिल जाय तो एन्ट्री कर दी जाय, इस प्रकार छोड़ा नहीं जाय। इसलिए मेरा अमेंडमेंट है कि शब्द 'may' की बजाय 'shall' कर दिया जाय।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सभापति महोदय....

**श्री गिरधारीलाल** : सभापति महोदय ...

**श्री दामोदरलाल व्यास** : बोलेंगे आप ? इसमें कुछ भी नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल** : आप मान लें तो बोलने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री सभापति** : आप बोलिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप बोलियेगा।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : कानून पर कन्विन्स कर देंगे तो मान लेंगे।

**श्री गिरधारी लाल** : कन्विन्स का विषय नहीं है।

**श्री सभापति** : बोलिये ना।

**श्री गिरधारीलाल** (नोखा): सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने धारा २४ में संशोधन रखा है कि 'may' की जगह 'shall' शब्द रखा जाय, मैं उसका समर्थन....

**डॉ० बहादुरसिंह** : जनसंघ में शामिल हो रहे हैं ?

**श्री गिरधारीलाल** : सभापति महोदय, वर्तमान सरकारी मशीनरी के सम्बन्ध में हम सब जानते हैं कि आज की जो मशीनरी है सरकार की, उसमें कहां तक ईमानदारी के साथ काम करने की योग्यता है और कहां तक मशीनरी ईमानदारी के साथ जनता के साथ व्यवहार करती है । यह हम सब जानते हैं । हम एक कानून पास करने जा रहे हैं और उस कानून में, हमारे जो पब्लिक ट्रस्ट हैं, उनको पंजिन करने जा रहे हैं, उनको पंजिन करने के लिए प्रावधान रखा है । पंजिन करने के बाद जो पब्लिक के ट्रस्ट होंगे, उनकी ओर से एक सूची दी जायगी और उस सूची में जो प्रोपर्टी है उसकी लिस्ट दी जायगी । सभापति महोदय, उसके बाद में अगर किसी प्रकार की प्रोपर्टी मिलती है तो अगर इस धारा में ये शब्द रखते हैं, तो जो वर्तमान सरकारी कर्मचारी है, उससे वे अनुचित फायदा उठा सकते हैं । इससे कुछ ट्रस्टों को, कुछ पब्लिक ट्रस्टों को इससे वंचित भी किया जा सकता है, उनको छूट भी दी जा सकती है और जो सरकारी कर्मचारी हैं वे पब्लिक ट्रस्ट के साथ मिल कर नाजायज फायदा उठा भी सकते हैं । यह उचित नहीं होगा । कोई कानून हम जब पास करते हैं, मेरे खयाल में कानून की भाषा ऐसी सरल होनी चाहिये कि उससे दो अर्थ न निकलें । अगर हम कानून इस तरह का बनाते हैं जिससे दो अर्थ निकलते हैं तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी पुराने अंग्रेजों के जमाने से आदत पड़ी हुई है, जो नौकरशाही के जीते जागते नमूने हैं, वे नाजायज फायदा उठा सकते हैं । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार आयन्दा कानून पेश करे, उनमें और इस कानून में भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करे, जिसके दो अर्थ निकलते हों, जो लचीली हो । मैं समझता हूँ माननीय मंत्रीजी को कोई एतराज नहीं हो सकता है और माननीय मंत्री इस सुझाव को मानेंगे । इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्वमंत्री): माननीय सभापति जी, जो अमेंडमेंट माननीय सदस्य ने पेश किया है, उनकी भावना की तो कद्र करता हूं । वे चाहते हैं कि असिस्टेन्ट कमिश्नर, देवस्थान को डिसक्रिशन नहीं होना चाहिये, ऐसे मामलात में, जहां बेईमानी से, बदनीयति से, किसी तरह केन्सलेशन आफ प्रोपर्टी हुआ हो, तो उस पर एक्शन जरूर लेना चाहिये, मेरी मन्शा है, एक्शन जरूर लेना चाहिये इसमें शक नहीं है । जो कानून बनता है, माननीय सदस्य ने कानून में जिस प्रकार इन्टरप्रिटिशेन किया है,मैं निवेदन करूंगा कि'may'शब्द को इसमें लेंगवेज के लिहाज से रखा गया है । इसका मतलब'shall'शब्द से है 'May' shall always have the meaning of 'shall' अब'may' शब्द लिखते हैं तो,ठीक है, इसके वेरीयस इन्टरप्रिटेशन हो गये हैं । यह कानूनी मसला है । मैं कहता हूँ कि 'may' का मतलब यह नहीं है कि असिस्टेन्ट देवस्थान कमिश्नर के डिस्क्रिशन में रहे कि किसी को छोड़ देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा । यह फ्रेजोलोजी आफ ला है, इसलिए 'may' शब्द रखा है have the meaning of 'shall' इसलिए इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है । मैं माननीय सदस्य से कहता हूं कि यह संशोधन स्वीकार करने लायक नहीं है ।

( श्री दामोदरलाल व्यास )

कानून बनाते वक्त हमें लेंगवेज का ध्यान रखना पड़ता है, यह नहीं कि 'shall' शब्द रखते जांय। 'may' शब्द है, इसका फोर्स आफ मीनिंग वही होगा, जो इन्टेन्शन है।

**श्री सभापति** : आप इसको वापिस लेते हैं ?

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : No Sir.

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय।

( अस्वीकृत )

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लाज़ २४ मूल रूप में स्वीकार की जाय।

( स्वीकृत )

खंड २४ विधेयक का अंग बना।

खंड २५, २६, २७, २८ व २६। प्रश्न यह है कि ये धारायें पारित की जायं।

( स्वीकृत )

खंड २५, २६, २७, २८ व २६ विधेयक का अंग बने।

खंड ३०

**श्री दामोदरलाल व्यास:** My amendment सभापति महोदय, खण्ड ३० में मैं इस प्रकार का अमेंडमेंट पेश करता हूं कि जो मौजूदा खण्ड है, उसके बजाय दूसरा खण्ड निम्नलिखित सब्सटीट्यूट कर दिया जाय :

"30. Investment of Hindu public-trust moneys ... (1) Where any property belonging to a Hindu public trust consists of money and such money cannot be applied immediately or at any early date to the purposes of the said public Trust, the working trustee thereof shall be bound, notwithstanding a direction to the contrary contained in the instrument of trust, if any, to deposit the money in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 ( Central Act II of 1934 ) or in a Postal Savings Bank or in a co-operative Bank registered under the Rajasthan Cooperative Societies Act, 1953 (Rajasthan Act VI of 1953) or to invest it in public securities.,

Provided that such money may be invested in the first mortgage of immovable property situated in India if the property is not lease hold for a term of three years and the value of the property exceeds by one half the mortgage money :

Provided further that the Assistant Commissioner may, by general or special order, permit the working trustee of any Hindu public trust or class of such trusts to invest such money in any other manner.

(2) Nothing in sub-section (1) shall affect any investment or deposit already made before the commencment of this Act in accordance with a

( श्री दामोदरलाल व्यास )

direction contained in the instrument of trust :

Provided that any interest or dividend received or accruing from such investment or deposit on or after the commencement of this Act or any sum realised on the maturity of the said investment or deposit shall be applied or invested in the manner prescribed in sub-section ( 1 )."

सभापति महोदय, मैंने इस क्लॉज़ में जो अमेंडमेंट पेश किया है, उसका मकसद केवल यह है कि जो ट्रस्ट का मनी है, जो सरप्लस फंड है, वह इमीजियेटली बहुत से काम में नहीं आ सकता, उसका इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाय। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट पेश किया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में, उसको तो स्वीकार करना था। अब इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाय, यह इस धारा के अन्दर दिया गया है, पहले रिजर्व बैंक, शिड्यूल्ड बैंक्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोस्टल सेविंग बैंक में कर सकते हैं। उसके साथ ही प्रावीजन रखा है, कोआपरेटिव बैंक और जो राजस्थान कोआपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है। यह भी प्रावीजन में है कि इम्मूवेबल प्रोपर्टी के फर्स्ट मॉरगेज पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बशर्ते कि मारगेज मनी प्रोपर्टी की आधी वेल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह शर्त दी गई है, यह जो प्रोविजन है इन्वेस्टमेंट का, उसमें करना जरूरी है कि आज जो ट्रस्ट हैं, उनमें होता क्या है कि ट्रस्टीज़ अपने रिश्तेदारों को कर्जा देकर उसको डेड लोन बना देते हैं, वह वापिस वसूल नहीं हो सकता और ट्रस्ट का मतलब, जिससे वह क्रियेट किया गया है, वह खत्म हो जाता है, लोग रुपया हजम कर सकते हैं। इसलिए यह जरूर है कि ट्रस्ट के मनी का मनी है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट का प्रोविज़न होना चाहिए। वैसे भी इन्डियन ट्रस्ट एक्ट है, उसके सेक्शन २० को देखा जाय, उसमें प्रोविज़न है कि ट्रस्ट के रुपये का किस तरह इनवेस्टमेंट होगा, बैंक्स, कोओपरेटिव बैंक आदि में। वह रिपीट करके हमने सहूलियत दी है कि प्राइवेट बिल्डिंग पर लोन देना चाहे तो वह दे सकता है विथ दी कन्डीशन कि आधे से ज्यादा नहीं होना चाहिए मॉरगेज की मूल रकम का। यह प्रावीजन इस दृष्टि से रखा गया है कि जो ऑलरेडी ट्रस्ट क्रियेट हो चुकी हैं, उनके ऊपर पाबन्दी नहीं लगाई तो ट्रस्टीज़ को डिफीकल्टीज पेश हो जायगी। इन्वेस्टमेंट आफ ट्रस्ट के अन्दर में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसमें पाबन्दी नहीं लगाई, लेकिन जो रकम से इन्ट्रस्ट आयेगा, जिस तरह सब-सेक्शन का प्रोविजन है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्रोविज़न रखा है। मैं समझता हूं यह उसमें लिखा है, यह करना आवश्यक था। इसमें जो संशोधन रखा है, उस संशोधन को आप स्वीकार करेंगे।

**श्री सभापति** : श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री के उत्तर को सुनने के बाद मेरा सारा क्लॉज़ ही बदल जाता है। लेकिन जो पहलेवाली (३) धारा में था वह भी रखा। इसके सम्बन्ध में मेरा अमेंडमेंट है। मेरे दो एमेंडमेंट थे। मैं मेरा एमेंडमेंट पेश करता हूं -- (1) Delete the words "with the approval of the

# Page No 87



( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

Asstt. Commissioner" and the words "as the Asstt. Commissioner sufficient' occurring at the end.

(2) Delete the proviso. यह रुपयों का जहां तक इन्वेस्टमेंट का प्रश्न है और इस सम्बन्ध में जितनी बातें माननीय मन्त्री महोदय ने उल्लेख की है वे बातें काफी पर्याप्त हैं क्योंकि यह पैसा ऐसा है जिसको किसीभी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें इन्ट्रेस्ट चाहिये । आपने बताया कि उन संस्थाओं को दिया जावे जो इस प्रकार की हो जिसमें वह धन डूबेगा नहीं । लेकिन इस प्रोविज़न के आधार पर ट्रस्टी ने कमिश्नर को बना दिया है । तो ऐसा होगा की कोई एसिस्टेन्ट कमिश्नर को राज़ी करके रुपया किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं । नहीं है तो अगर वे ट्रस्टी किसी तरह से एसिस्टेन्ट कमिश्नर को राजी करके धन बिजनेश में दें या किसी को उधार दे दें ते दे सकते हैं । 'मे' का अर्थ'शेल' से है । अगर यह बात कहेंगे तो भी अगर इसके लिये चैक नहीं होगा तो इस बात पर कि यह आदमी अच्छा है और रिजनएबल है इसको पैसा दे दिया जावेगा तो नहीं डूबेगा, दे दिया जा सकता है । मैं यह कहूंगा कि आपका खास मकसद यही है कि पैसा किसी को उधार दिया जावेगा तो यह देख लिया जावेगा कि वह पैसा डूबेगा नहीं । अगर वह पैसा किसी को नहीं दिया जाता है तो वह पैंसा समाज के पास पड़ा रहता है तो वह किसी व्यक्ति के पास नहीं है । समाज के पास है । इसलिये इस प्रोविज़ो को हटा दिया जावे यही मेरी मंशा है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मेरे इस क्लॉज़ में दो एमेंडमेंटस हैं । [संशोधन इस प्रकार हैं :— In clause 30,delete the words 'or shall with... fsuficient' and also delete the proviso to the new clause ] इस क्लॉज़ को रिप्लेस माननीय मन्त्री महोदय ने नये क्लॉज़ में किया है । लेकिन ओरिजनल क्लॉज़ में प्रोविज़ो को डिलेट करने का था । मैं यह भी मूव करता हूं कि In the new Clause, 1st & 2nd proviso may be deleted. का है उसको हटा दिया जावे । यहां फस्ट एन्ड सेकिन्ड प्रोविज़ो कोहटा दिया जावे । सभापति महोदय, यह जो क्लॉज़ ३० है ट्रस्ट के फन्ड को हम किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके लिये है । जहां तक इसके इन्वेस्टमेंट का प्रश्न है हमने रखा है कि कोई बैंक में रख सकते हैं, सिक्योरिटीज़ के रूप में जमा करा सकते हैं । इसका मतलब यही नहीं कि गवर्नमेंट शेयर्स सर्टिफिकेट हो लेकिन पब्लिक सिक्योरिटी की डेफिनेशन जो दी है उसमें गवर्नमेंट को ऑथेरिटी रहती हैलेकिन पब्लिक कन्सर्न नहीं है उसको गवर्नमेंट डिफाइन कर सकता है । पब्लिक सिक्योरिटी को डिफाइन किया है वह क्या होगा :

'A Security expressly authorised by an order which the State Government makes in this behalf.' चाहे किसी भी सिक्योरिटी को चाहे वह पब्लिक प्राइवेट कम्पनी की हो उसको भी अधिकार होता है for the purpose of this Act इस एक्ट के लिये पब्लिक सिक्योरिटी कर सकते हैं । यानी धनराशि के इन्वेस्टमेंट के लिये काफी वाइड स्कोप रखा गया है । अगर यह प्रोविजन नहीं रहे तो यह नहीं है कि इसका नेरो स्कोप रहता है । ऐसी बात नहीं है इसका तो बहुत वाइड स्कोप रहता है।

( श्री पी. के. चौधरी )

यह बिल इसलिये ला रहे हैं कि हमारे सामने कोई शिकायत आती है कि फंड्स का मिसयूज हो रहा है तो इसको रोकने के लिये ला रहे हैं तो गवर्नमेंट को यह देखना होगा कि नीचे इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें ऐसे कोई लूप हॉल नहीं रह जावे जिससे इन्वेस्टमेंट इनसिक्योर हो जावें। यह देखना है कि जो प्रोविजो में है but in the first mortgage in the immovable property मेरा यह निवेदन है कि हम इम्मूवेबल प्रोपर्टी में दे सकते हैं they have provided उस प्रोपर्टी की कमी तय है। जितनी उसकी कीमत है या जितना रुपया लेगा उससे ५० प्रतिशत उसकी कीमत ज्यादा होगी। अगर १५०) रु० की प्रोपर्टी हो तो उस पर हम १००) दे सकते हैं। मगर मैं यह कहूँगा कि इसकी वेल्यूएशन के आंकने में बड़ी दिक्कत रहती है। अगर आप किसी का मकान लेकर रुपया देते हैं तो उसकी कीमत उसने काफी लिख दी है मगर वह कीमत आती नहीं है it is a very difficult job. जमीन का भी वही हाल हो सकता है। मैं नहीं समझता कि यह कोई भी साउन्ड बिजनेश मैन इसको पसन्द नहीं करेगा। जहां तक लेन्ड का प्रश्न है। लेन्ड की कीमत बहुत कम आवेगी और लेन्ड को मोरगेज रखाने में बड़ी दिक्कत आवेगी। मकान पर ट्रस्ट कब्जा कर सकता है लेकिन जमीन अगर मोरगेज रखी है और मान लें holder of the land पैसा नहीं देगा तो आप क्या करेंगे। आप जमीन पर कब्जा करेंगे। लेकिन आज हमारा टीनेन्सी एक्ट है It is a very risky job. उसके अनुसार ट्रस्ट वाले बेच नहीं पावेंगे और रुपया वसूल नहीं कर पावेंगे दूसरी डिफिकल्टी बिल्डिंग्ज में आती है। आप उसकी सही वेल्यूएशन नहीं कर पावेंगे। यह एक रिस्की जॉब है। रहा यह कि कमिश्नर इसका वेल्यूएशन करेगा। मैं यह कहूंगा कि कमिश्नर कोई इस मामले में एक्सपर्ट नहीं है जो एग्जेक्ट वेल्यूएशन करा सकेगा। इसलिये इसमें मिसयूज का बहुत बड़ा स्कोप रहेगा। जिन कम्पनियों में फिक्स इन्ट्रेस्ट मिलता है शेअर्स में जैसे टाटा कम्पनी है, यदि आपको डिविडेन्ड मिलता है तो he pays a very high dividend 12 percent 10 percent. उसके शेअर को डिक्लेअर कर सकते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि मोरगेज लेकर पैसा देना कहां तक उचित होगा। To lend money on interest, it leads to a bad taste. तो मेरे खयाल से जो मोरगेज देकर पैसा देने का प्रोविज़न है It is no good taste then. और इसमें मनी इन्वेस्टमेंट सेफ नही रहेगा क्योंकि आपने वेल्यूएशन को ५० पर्सेन्ट ज्यादा रखा है। लोग मकान गिरवी रख कर पैसा ले लेंगे It will be very difficult to make a correct assessment of the value. तो आपके पास इन्सिक्योर होगा। दूसरा प्रोविजो है उसमें कहा गया है: "Provided that the Assistant Commissioner may, by general or special order, permit the working trustee of any public trust or class of public trusts to invest such moneys in any other manner."यह इतना सिर्फ नहीं है कि किसी पर्टीकुलर वर्किंग ट्रस्ट को या किसी क्लास को या किसी ट्रस्ट को, जो आज तक तरीका है इन्वेस्टमेन्ट हैं और जो बताया गया है, पब्लिक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें, बैंक में रखें। फर्स्ट प्रोविजो में यह रखा है कि इम्मुवेबल प्रोपर्टी पर कर्जा दे दें उससे

( श्री पी. के. चौधरी )

मंत्री महोदय सेटिस्फाई नहीं है Besides this it may be... वह मेनर क्या हो सकता है which should be a profitable manner. यह तो नहीं है कि डेड स्टाक बना कर रख दें । उसमें आवेगा, माननीय सभापति, बिजनेस और वह यह होगा कि जैसे गल्ला खरीद लिया और भाव बढ जावे तो बेच दें Then the money will be utilised for speculating purposes. जो सेकिन्ड प्रोविजो है वह रह जाता है तो यह स्कोप दे दिया जाता है कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए करें या स्पेकुलेटिव पर्पज़ के लिए करें । मान लीजिये कि अनाज स्टाक कर लिया । हन्डरेड पर्सेन्ट सिक्योरिटी ट्रस्ट पर छोड़ दी जिसको सिक्योर करने के लिए गवर्नमेन्ट कन्ट्रोल बैठा रहता है इस कारण कि पब्लिक सिक्योरिटी रहे और कान्फिडेन्स रहे । यदि यह प्रोविज़न रहते हैं तो मैं जैसा बताऊं कि एक बर्तन है पानी के लिए नीचे उसके तीन चार छेद कर दिये, इससे सारी सिक्योरिटी security will be full of loopholes. ये लूपोल रहती है इसलिए मेरा निश्चित मत है कि प्रोविजो में एक्जम्प्शन रखते हैं तो इससे सारी सिक्योरिटी के जो क्लाजेज हैं उन सारे के सारे का पर्पज़ ही डिफीट हो जाता है और उनको नहीं रखना चाहिये । मैं महसूस करता हूं कि इन्वेस्टमेन्ट का जितना तरीका रखा गया है वह सफिसियन्ट है, काफी हैं, इनफ है which you don't require any further channels of investment. जो सोल्यूशन आपने दोनों प्रोविजो रखी है They are most risky channels. उसकी जिम्मेदारी सरकार पर आवेगी, गवर्नमेन्ट बदनाम होगी और देश में तरह तरह की बातें लोग करेंगे । किसी रिलीज़न के या ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज़ हैं, जिस व्यक्ति ने प्रजेन्ट किया है उसके मन में यह सिक्योरिटी होनी चाहिये कि गवर्नमेन्ट ने कन्ट्रोल करना मंजूर कर लिया है हमारे ट्रस्ट के फन्ड्स को, इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनकी इनकम को they will be in safe hands. यह महसूस होना चाहिये लेकिन प्रोविज़ो रख देते हैं उनके साथ पढ़ कर किसी व्यक्ति में कान्फिडेन्स नहीं आ सकता है कि उसके फन्ड्स they are in safe hands under the control and supervision of the Government. क्योंकि इनहोंने लूप होल्स रखे हैं और एक्जम्प्शन देने का अधिकार रखा है असिस्टेन्ट कमिश्नर के पास and we don't consider the Assistant Commissioner to be sufficiently well versed in such affairs. जिसमें कहा सिक्योरिटी होती है । मकान के असेस्मेन्ट के लिए असिस्टेन्ट कमिश्नर को कतई मैं एक्सपर्ट मानने के लिए तैयार नहीं हूं । इसलिए मेरा निवेदन है कि इन प्रोविजो को डिलीट कर दिया जावे जिससे काफी सिक्योरिटी होगी और लोगों में काफी कान्फिडेन्स होगा ।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** ( बैराठ ) : माननीय सभापति ...

**श्री सभापति** : सपोर्ट करते हैं ?

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : जी हां ।

माननीय सभापति महोदय, धारा ३० पर जो जगदीश प्रसादजी माथुर का अमेन्डमेन्ट आया है उसका मैं समर्थन करता हूं । एक तरफ तो इस में सरकार ने यह तय कर दिया है कि जितना मंदिरों में पैसा इकट्ठा होगा या बचत होगी उसको बैंक में सेविंग सर्टिफिकेट्स में या सिक्योरिटी में रखा जावेगा

# Page No 90



( श्री मुक्तिलाल मोदी )

और एक तरफ कमिश्नर को पॉवर दिया है । ये दो साथ साथ सरकार ने इस क्लॉज़ में तय किये हैं वह उचित नहीं है क्योंकि कमिश्नर को पावर्स देने से माननीय मंत्री जी भी इस बात को जानते है कि ३० लाख रुपया देवस्थान विभाग से दिया, उसकी हाय तोबा असेम्बली में मची...

डॉ० बहादुरसिंह : कौनसे क्लॉज़ में आता है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : इस क्लॉज़ में आता है ?

श्री सभापति : आप आरम्भ रखिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो माननीय सभापति कमिश्नर को पावर्स दिये गये हैं कि प्रोपर्टी गिरवी रखना । माननीय सभापति, हम लोग बनिये हैं, एक पैसे की चीज़ देते हैं और बदल्ले में दो पैसे की चीज़ ले सकते हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह : यही व्यवस्था यहां है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : हजार दो हजार रुपये रिश्वत के दे देते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य स्वीकार कर रहे हैं कि हजार दो हजार रुपये रिश्वत के दे देते हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : हजार दो हजार रुपये रिश्वत के दे देते हैं और ज्यादा वेल्युशन करा लेते हैं । मैं नहीं करता हूं ऐसा तो दूसरे भाई तो कर लेते हैं ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : कोरम नहीं है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सभापति महोदय, यह बात कह रहा हूं वह सही कह रहा हूँ....

(गणपूरक घंटी)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : बार बार बुलाना पड़ता है । सभापति महोदय, ऐसा पांच बार हो चुका है । १२।। भी बज चुका हैं इसलिए सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो जाय ।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोरम हो गया है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय की ओर से भी पार्टी विहप को आदेश दिया था कि कोरम पूरा रखना चाहिये । इसको स्वीकृत नहीं करना चाहते तो कार्यवाही को स्थगित करिये ।

श्री सभापति : मोदीजी आरम्भ रखिये । कोरम हो गया ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : गिरवी रखने का ट्रस्ट को अधिकार दिया गया । जहां जहां ट्रस्ट बने हैं करोड़ों रुपया खा गये हैं । राजस्थान में एक दो ट्रस्ट मंदिरों के बने हुए हैं, लाखों रुपया का घोटाला है । उदाहरण के तौर पर बताऊं कि महावीरजी का ट्रस्ट है, यह जैनियों का मंदिर है । इन ट्रस्टियों से लाखों रुपया बाकी है । तो ऐसी हालत में वे ट्रस्ट के लोग उस पैसे को अपने पर्सनल काम में लेते हैं और बिल्डिंग को गिरवी रखने का प्रोविज़न

( श्री मुक्तिलाल मोदी )

रख दिया है फिर तो यह पैसा किसी हालत मे बचेगा नहीं। गिरवी की बात को हटा देना चाहिये। सीधा ही यह करना चाहिये कि जो पैसा बचेगा गवर्नमेन्ट सिक्योरिटी होगी उसकी और इसके सिवाय दूसरी चीज़ में रखना ही नहीं है। माननीय मंत्रीजी इस बात को जानते हैं यह तो सुना होगा कि ऐसा लोग कर सकते हैं। मैं तो पर्सनली भी जानता हूं सभापति महोदय आज हर आदमी पैसे के लिए सब कुछ कर सकता है। पैसा बहुत ही बुरी चीज़ है। इसलिए इस बिल के अन्दर इस तरह का अधिकार दे देंगे तो इससे और भी ज्यादा खराबी होगी। बनिस्बत इन दिनों के इतना हो रहा है तो ये अधिकार दे देंगे तो और भी अधिक हो जावेगा। इसलिये ये दोनों चीजें इसमें से हटा देनी चाहिये। गिरवी रखने का और कमिश्नर साहब को पावर्स देने की जो धारा है वह सब हटा देनी चाहिये। उसकी जगह गवर्नमेन्ट सिक्योरिटी कर दी जाय यही इस धारा में रखा जाना चाहिये यही मेरा निवेदन है। इस प्रकार से श्री जगदीशप्रसादजी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन श्री जगदीश प्रसाद जी ने रखा है उन दोनों का मैं समर्थन करता हूं। इसका पहला मकसद यह था कि ट्रस्ट की जो प्रोपर्टी के उपयोग करने का अधिकार देने के बाद भी आप यह चाहते हैं कि सरकारी अधिकारियों को यह अधिकार दिया जाय कि ट्रस्ट की प्रोपर्टी है उसका उपयोग भी उनकी आज्ञानुसार किया जाय। उनकी इजाज़त ली जाय प्रोपर्टी का उपयोग करने के लिये। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसी बात होती है कि धर्म के मामले में अभी तक रूढ़ियां चली आ रही हैं कई धार्मिक सस्थायें या ट्रस्ट यह चाहते हैं उनकी पर्टीकुलर प्रोपर्टी पर्टीकुलर काम ही आय। जब ऐसी बात होती है। ज्यादा ट्रस्टीज़ तो उस प्रोपर्टी में इन्टरेस्ट लेते नहीं एक दो आदमी लेते हैं वैसी हालत में वे चाहते हैं कि यह प्रोपर्टी पर्टीकुलर काम में लाई जाय तो जैसा कि आपका अमेन्डमेन्ट है उसके अनुसार The Assistant Commissioner may by general or special order, permit the working trustee of any Hindu public trust or...

मैं समझता हूँ इस प्रकार का सेक्शन रखने का मतलब क्या है जब कि पहले रख दिया था "...shall be invested in public securities or shall, with the approval of the Assistant Commissioner, be kept with any banker or person acting as a banker who has given such security for the safe custody and repayment......" जैनियों में एक शर्त है वह शर्त यह करते हैं कि अपनी पूंजी अपने धर्मावलम्बियों में बांटना चाहते हैं। चाहे उसका किसी प्रकार का ब्याज भी न आये रकम भी वापिस न आये इसकी परवाह न करते हुए भी अपने धर्मावलम्बियों में वह पूंजी लगाना चाहते हैं। वैसी हालत में वे कर नहीं सकेंगे। मैं चाहता हूं कि इस मामले में मकसद केवल यह होना चाहिये उस दौलत का उपयोग दूसरे किसी पर्पज के लिये न हो। इस मामले में असिस्टेन्ट कमिश्नर को बीच में डालना धर्म की जो प्रेक्टिसेज़ हैं, जो भावना है उस पर एक प्रकार से कुठाराघात होता है। मान लीजिये

( श्री मूलचन्द डागा )

जैनी लोग बिल्डिंग आदि बनवाने में विश्वास नहीं करते । वे चाहते हैं इसके बजाय १००.बकरों को छुड़ाने में यह रकम व्यय की जाय उनके सोचने का एक स्पेसिलाइज्ड तरीका है। मैं चाहता हूँ कि इस मामले में मकसद यह होना चाहिये, इस प्रकार के धन का उपयोग दूसरे पपर्ज के लिये न हो । इस मामले में असिस्टेन्ट कमिश्नर को बीच में डाल कर धर्म की प्रेक्टिसेज़ है, धर्म की जो भावना है उसको ठेस नही पहुंचानी चाहिए। स्पेशल ऑर्डर्स द्वारा उसमें रद्दोबद्दल करना यह मुनासिब नहीं होगा। फिर यह कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ बात जायगी। जैन धर्म के लोगों को ही लीजिये जो मकान बनाने में विश्वास नहीं करते वे यह नहीं चाहते कि ट्रस्ट के रुपये से बड़े बड़े मकान या इमारतें खड़ी न करें हम चाहते हैं कि १० हज़ार बकरों को ही छोड़ दिया जाय और आप चाहते हैं कि इसका दूसरी तरह से उपयोग हो....

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : भैंसे नहीं छोड़ेंगे।

**श्री मूलचंद डागा** : आप हमारी फिलोसोफी को नहीं समझ सकते "...shall be invested in public securities or shall, with the approval of the Assistant Commissioner be kept with any banker or person acting as a banker who has given such security for the safe custody and repayment..." यह कोई जरूरी नहीं । धर्म के नाम पर जमानत देना कई लोग उचित नहीं समझते। आज नहीं दस साल के बाद भी जो लोग इस प्रकार की दौलत लेना जरूरी नहीं समझते ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप प्रोवीजो को सपोर्ट कर रहे हैं या क्या ?

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं विरोध कर रहा हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि सब ट्रस्टीज़ की इच्छाओं पर छोड़ दिया जाय।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : एक तरफ तो यह कहा जाता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाय, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि ट्रस्टीज़ की इच्छा पर रखा जाय। आप अब ट्रस्टीज़ की इच्छा पर रखना चाहते हैं तो आप मेरे प्रोविज़ो को सपोर्ट कर रहे हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** : यह जो प्रोवीजो दिया है उसका मकसद यह होगा "Provided that the Assistant Commissioner may by general or special order, permit the working trustee of any public trust or class of public trusts to invest such moneys in any other manner."

"...shall be invested in public securities or shall, with the approval of the Assistant Commissioner, be kept with any banker or person acting as a banker who has given such security for the safe custody and repayment on demand of the moneys so deposited as the Assistant Commissioner may in each case think sufficient." तो कह सकते है पहले जो ऊपर प्रोविज़ो दिया है उसमें आपने असिस्टेन्ट

( श्री मूलचन्द डागा )

कमिश्नर को पावर्स दिये हैं। उस पावर्स के बाद प्रोविज़ो की आवश्यकता नहीं रहती।

**श्री सभापति** ( डॉ० बहादुरसिंह से ): आपको अमेंडमेंट पेश करना है।

**डॉ० बहादुरसिंह** : मैं अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सभापति महोदय, मैंने जो अमेन्डमेंट पेश किया है उस पर कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति की है। जो मैंने दो प्रोविज़ो रक्खे मोरगेज के लिये और दूसरा प्रोविज़ो है जिसमें देवस्थान के असिस्टेन्ट कमिश्नर को पॉवर्स दी है। विसाइड्स दी इनवेस्टमेंट इसके अलावा भी वे इजाज़त दे सकते हैं इस पर एतराज़ किया गया है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे ट्रस्टस हैं जिन ट्रस्टस का काम केवल व्याज पर ही चलता है, सूद की इन्कम पर चलता है। यह बात मानी हुई है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में सूद कम मिलता है। इसके अलावा इस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें सूद ज्यादा मिलता। लेकिन जहां तक रुपये की सेफटी का सवाल है ज्यादा सुरक्षित तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रहता है मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इनवेस्ट करना ज्यादा सेफ है। इसमें ज्यादा खुला हुआ दायरा नहीं छोड़ना चाहिये। ट्रस्टीज़ पर यदि छोड़ दिया जाता है वह आगे जाकर डेट में डूब सकता है। इसमें ट्रस्टीज़ के मर्जी पर छोड़ने का सवाल नहीं है।

इस प्रकार के विचार पहली विधान सभा में भी जब इस क्लॉज़ पर विचार हो रहा था उस वक्त भी ये ही बातें जाहिर की गई थीं। उसके ऊपर जो कुछ भी माननीय सदस्यों ने विचार प्रगट किये उसके अनुसार उन्होंने यह कहा कि बहुत से ट्रस्टस् ऐसे जिनकी आमदनी और खर्चा सूद पर चलता है। अच्छा व्यापारी जो होता है वह अपनी आमदनी को देख कर ही खर्च करता है। अगर यह प्रोविज़न कर दिया जाय तो इनवेस्टमेंट सेफ रहता है तो कोई हर्ज नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दो प्रोवज़ो मैंने एड किये हैं और स्टेट्स में भी इसी प्रकार के प्रोविज़ो हैं। ट्रस्ट के अमाउन्ट को खर्च करने की ट्रस्टीज़ को छूट हो इस के बावजूद भी कुछ डिसक्रीशन देवस्थान डिपार्टमेंट को होना चाहिये ताकि उसका इनवेस्टमेंन्ट ठीक तरह से किया जा सके। देवस्थान विभाग के असिस्टेन्ट कमिश्नर के डाइरेक्टिव देने का सवाल नहीं है। ट्रस्ट करना चाहे तो परमिशन से कर सकता है। डिपार्टमेन्ट देखेगा यह इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के इन्टरेस्ट में है या नहीं इससे इन्कम भी ज्यादा होती है या नहीं और यह सिक्योर भी है या नहीं। इन सब बातों पर ट्रस्ट विचार करके आज्ञा मांगता है तो आज्ञा दे देगा। बम्बई में भी यह प्रोविजन रक्खा है और यह इसी बात को ध्यान में रख कर रक्खा है। ट्रस्ट पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हुए छूट होनी चाहिये इन बातों को ध्यान में रख कर वह अपना मनी इन्वेस्ट कर सके।

यदि असिस्टेन्ट कमिश्नर को पॉवर देने में ऐतराज हो तो देवस्थान कमिश्नर कर दें ताकि ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति उसकी जांच कर सके कि इनवेस्टमेंट सेफ और साउन्ड हो। इसलिये अगर माननीय सदस्य चाहें तो

( श्री दामोदरलाल व्यास )

मैं इस क्लाज़ में बजाय यह सेकन्ड प्रोवीज़ो जो है कि "Provided further that the Assistant Commissioner..." इसके बजाय यह कर दें। "Provided further that the Commissioner of Devasthan Department...."

**श्री पी० के० चौधरी** : गवर्नमेंट कर दीजिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : That will be very difficult. Giving powers to the Government will be making the work more difficult because there would be thousands of trusts and the Government cannot devote so much time. We should rely on the Devasthan Commissioner that he will exercise all caution and prudence and there should be no apprehension in the minds of the Hon. Members. So if Hon. members like, the words 'Devasthan Commissioner' may be inserted for 'Assistant Commissioner.' सिक्योर्ड डैट में तो ऐतराज नहीं होना चाहिये। डैट किसको मोरगेज करेगा प्रोपर्टी पर करेगा। तो मोरगेज वेल्यू उस वक्त की डिटरमिन नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि वह वेल्यू आगे इतनी नहीं गिर सकती कि ५० प्रतिशत तक रह जावे। ऐसा वक्त आने वाला नहीं है। इसलिये यह हमें एन्टीसिपेट नहीं करना चाहिये। आज का भी जो प्रिन्सिपल है वह भी यह है। यह तो मिनिमम है वह कहा है। ट्रस्ट से यह उम्मीद की जाती है। They will keep in their minds the interest of the trusts and they will see that money is safe.

**श्री सभापति** : तो प्रश्न यह है....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : 'असिस्टेन्ट कमिश्नर' के बजाय 'कमिश्नर' कर दिया जावे।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** ( बैराठ ) : इसमें गवर्नमेंट की सेंक्शन का भी कर दें तो क्या हर्ज है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : रशिया और चीन में तो ऐसा है ही नहीं।

( हंसी )

**श्री सभापति** : वे फिर सुन लेंगे आपकी बात।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३० में जो संशोधन माननीय राजस्व मन्त्री जी ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जावे।

( स्वीकृत )

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

प्रश्न यह है कि माननीय श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने जो संशोधन रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

( अस्वीकृत )

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री पी० के० चौधरी।

**श्री पी० के० चौधरी** ( फुलेरा ) : I beg leave to withdraw.

**श्री सभापति :** क्या सदन की यह अनुमति है कि उनको ( श्री पी. के चौधरी ) अपना संशोधन वापिस लेने दिया जाय ।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई ।

**श्री पी० के० चौधरी :** I withdraw my amendment.

**श्री सभापति :** श्री पी० के० चौधरी। डॉ० बहादुरसिंहजी आप ?

**डॉ० बहादुरसिंह ( धौलपुर ) :** मैंने तो पेश किया ही नहीं ।

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि क्लाज़ ३० संशोधित रूप में स्वीकार की जावे ।

( स्वीकृत )

क्लाज़ ३० संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना ।

**डॉ० बहादुरसिंह :** अब एडजोर्न करिये साहब । It is only 5 minutes now.

**श्री सभापति :** सदन की कार्यवाही अब ४ तारीख को प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

( तदनन्तर सदन की कार्यवाही १२ बज कर ५५ मिनिट पर सोमवार दिनांक ४ मई, ५६ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई । )

## संक्षिप्त-विवरण

( शुक्रवार, १ मई, १६५६ )

स्कम्भ

**तारांकित प्रश्नोत्तर** ६३३२

भण्डारी बन्ध में डोली ग्राम का डूबना।

आमेर स्थित भारमलजी की छतरी में सफेदी कराने के कारण उसमें चित्रकारी का लुप्त हो जाना।

सींगटोली बांध ( लालसोट ) की टूट-फूट।

कैली के पुरा से कोटड़ी, हिन्डौन की खराब सड़क।

गवर्नमेंट सचिवालय में ऑर्गेनाइजेशन एण्ड मेथड विभाग।

पशु मेले को हटाना।

सैन्ट्रल चम्बल प्रोजेक्ट कन्ट्रोल बोर्ड की सिफारिशों की अभिपूर्ति।

अनुसूचित तथ पिछड़ी जातियों के अध्यापकों की अनुपात रूपेण नियुक्तियां।

माउण्ट आबू में मकानात के वृक्षों पर सरकारी हक।

मोहनपुरा ( सांगानेर ) में खाद प्रशिक्षण शिवर।

स्कम्भ

श्री गांधी बहुधन्धी सहकारी समिति, बदनोर में गबन।

राजस्थान के बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति।

गोविन्द देवजी के मन्दिर में चोरी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्क चार्ज बेसिस पर रखे कर्मचारी।

संस्कृत विद्यालय मचकुण्ड, धौलपुर में वस्तुओं का अभाव।

लालसोट-सवाई माधोपुर सड़क पर पुल।

कोटपुतली, कन्या पाठशालाओं में अध्यापिकाओं की कमी।

कंवलेश्वर (इन्द्रगढ़) के मेले मे ट्रक दुर्घटना।

सितोड़ ( सवाई माधोपुर ) में पुलियाए।

भरतपुर में 'गुड़ियाघरों' की समाप्ति।

भीलवाड़ा बस-दुर्घटना।

जयपुर शहर की सड़कों की मरम्मत।

# Page No 97



स्कम्भ

पीपलदा ( बोली ) में मिडिल स्कूल का प्रारम्भ ।

राजस्थान केनाल पर खर्चा ।

बून्दी ज़िले में नए ब्लॉक ।

**विधायी कार्य**

**राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १६५८** ६३६२

उपरोक्त विधेयक पर खंड २ से विचार आरम्भ हुआ ।

येखंड २,११,१३,१५,१७ व २० संशोधित रूप में स्वीकार किये गये ।

स्कम्भ

खंड ३ से १०,१२,१४,१६ व १८ से २६ बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए ।

**सोमवार, दिनांक ४ मई, ५६ की कार्य सूची ।**

१ राजस्थान टिनेन्सी ( छठा संशोधन ) विधेयक, (५८ प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थान हेतु समय की वृद्धि )

२ राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधयक ५८

( खंडशः विचार—विमर्श )

## परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ का उत्तर देखिये )

**भरतपुर जिले में जिस २ जाति के उम्मीदवार गत दो वर्षों में लिये गये उनकी सूची।**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १. ब्राह्मण | १४५ | ८. बनिया | ६७ | १५. कायस्थ | १५ |
| २. राजपूत | १६ | ९. जाट | २६ | १६. गुजर | २ |
| ३. नाई | ५ | १०. चमार | १४ | १७. मुसलमान | ४ |
| ४. खत्री | १२ | ११. लुहार | १ | १८. गडरिया | १ |
| ५. खाति | ३ | १२. सुनार | १ | २६. तमोली | २ |
| ६. ठाकुर | १ | १३. ईसाई | १ | २०. सिक्ख | २ |
| ७. कलार | १ | १४. धोबी | २ | | |

———

# परिशिष्ट २

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३३१ का उत्तर देखिये )

## GOVERNMENT OF RAJASTHAN EDUCATION 'C' DEPARTMENT

| Sl. No. | Name | Place | Amount | Yr. of sanction | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SAINIK SCHOOL, DEHRADUN | | Rs. 1,200/-P. A. | | |
| | Shri Harmat Singh Dhillon | | | 57-58 | Amount P. M. for 10 months. |
| 2. | Shri N. K. Sharma | | | 57-58 | |
| 3. | Shri Vinod Batra | | | 57-58 | |
| 4. | Shri Ajey Ram | | | 57-58 | |
| 5. | Shri Arvind Nath Misra | | Rs. 100/-P. M. | 58-59 | |
| | Physical Disability | | Rs. 25/-P. M. for 10 months. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | TECHNICAL SCHOLARSHIP | | | | |
| | Balwant Rajput Collage Agra | | Rs. 50/-P. M. for 10 months. | | |
| 1. | Shri Narendra Singh Parihar, | | M. Sc. (Prev.) | 58-59 | |
| | BENARAS HINDU UNIVERSITY BENERAS | | Rs. 50/- P. M. | | |
| 1. | Shri Vijai Kumar Sharma (Eng) | | | 58-59 | |
| 2. | Shri Ashwini Kumar | | | 58-59 | |
| | INDIAN SCHOOL OF MINES & APPLIED GEOLOGY DHANBAD | | | Rs. 50/- P. M. | |
| 1. | Shri Satya Prakash Dadoo (Mining) | | | 58-59 | |
| 2. | Shri Mohan Singh Seth | | | 57-58 | |
| 3. | Shri Anand Swaroop Agrawal | | | 57-58 | |
| | BIRLA VISHWAKARMA MAHAVIDYALAYA VALLABH VIDYANAGAR VIA ANAND | | | | |
| | | | Rs. 50/-P. M. | | |
| 1. | Shri Raj Kumar (Eng) | | | 58-59 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | BIRLA INSTITUTE OF TECHNICAL MESRA RANCHI | | | Rs. 50/-P. M. | |
| 1. | Shri Laxmi Lal Singatwaria Udaipur IIYr. | | | 58-59 | |
| | COLLEGE OF MINING & METALLURGY, B. H. V. Benares | | | Rs. 50/-P. M. | |
| 1. | Shri V. S. Surana | | | 57-58 | |
| | DEPTT. OF CHEMICAL TECHNOLOGY, MATUNGA ROAD BOMBAY | | | Rs. 50/-P. M. | |
| 1. | Shri Kastoor Chand Kabra | | | 57-58 | |
| 2. | Shri Y. R. Loonkar | | | 57-58 | |
| | LUKHDHIRJI COLLEGE OF ENGINEERING MORVI | | | Rs. 50/-P. M. | |
| 1. | Shri T. B. Tahilani Ajmer | | | 57-58 | |
| | INDIAN INSTITUTE OF TECHNICAL KHARAGPUR | | | Rs. 50/-P. M. for 10 months | |
| 1. | Shri Krishna K. Khadaya | | | | |
| 2. | Shri Krishna Kumar Ahuja | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Shri Jaswant Singh | | | | |
| 4. | Shri Prakash Chandra Bhargava | | | | |
| 5. | Shri Bhupendra Singh | | | | |
| 6. | Shri Amar Das Dewan | | | | |
| | COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNICAL JADAVPUR UNIVERSITY CALCUTTA | | | Rs. 50/- P. M. for 10 months. | |
| 1. | Shri Mahesh Beharilal | | | | |
| | M. G. M. MEDICAL COLLEGE ? INDORE | | | Rs. 50/- P. M. for 10 months | |
| 1. | Shri Pramod Chandra Sogani | | | 57-58 | |
| 2. | Shri Premkrishna Chandak | | | 57-58 | |
| | INDIAN SCHOOL OF SOCIAL STUDIES NEW DELHI | | | Rs. 200/- P. M. for 12 months | |
| 1. | Sh.i Deo Sharma August | 58-59 for Ph.D. Degree Rajasthan Servant. | | Ist. Yr. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | SPECIALISED COURSES | | Rs. 25/- P. M. for 10 months | | |
| | Chartered Accountancy | | | | |
| 1. | Shri Inder Kumar Gupta | | Bombay | 58-59 | |
| 2. | Shri Ramesh Candra Mehta | | Calcutta | 58-59 | |
| | LIBRARY TRAINING | | Rs. 25/- P. M. | for 10 months | |
| 1. | Shri Deep Singh — 58-59 | | Shrimati Hansa Mehta Library, Baroda | | |
| 2. | Miss C. Padmanabham | — 58-59 | Delhi | | |
| 3. | Shri G. D. Bhargava | | | 58-52 | |
| | TATA INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES BOMBAY | | Rs. 25/- P. M. for 10 months | | |
| 1. | Shri Man Mohan Dayal | | | 58-59 | |
| 2. | Shri Ramesh Chandra Trivedi | | | 58-59 | |
| | TRAINING CENTRE FOR THE ADULT STUDENTS DEHRADUN | | | | |
| | | | Rs. 25/- P. M. for 10 months | | |
| 1. | Shri Dwarkesh Lal Bhatt. | | 58-59 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | TEXTILE ENGINEERING, CENTRAL TECHNICAL INSTITUTE GWALIOR | | | | |
| 1. | Shri Suraj Prakash Agrawal Ist Yr. Textile Engineering. | | | Rs. 25/- P. M. for 10 months<br>58-59 | |

# परिशिष्ट ३

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३४२ का उत्तर देखिये )

## सड़कों की सूची जो निर्माण विभाग के अन्तर्गत है।

१. अजमेर आगरा सड़क

२. दिल्ली सड़क

३. टोंक सड़क

४. लोडीयन सड़क

५. चांदपोल से रेल्वे स्टेशन सड़क

६. भगवन्तसिंह सड़क। सवाई रामसिंह हाईवे से रेजीडेन्स तक।

७. जकोब रोड। रेजीडेन्सी से रेल्वे क्रोसिंग से नाटाणी का बाग तक।

८. सवाई मानसिंह हाईवे।

९. लिंक रोड सवाई मानसिंह हाईवे, व सवाई रामसिंह हाईवे, के बीच।

१०. चांदपोल सड़क से तीसरी चौपड़ तक।

११. किशनपोल बाज़ार अजमेरी गेट रोड, से ब्रह्मपुरी होती हुई आमेर रोड तक।

१२. जौहरी बाज़ार सड़क

१३. सिरढोढी बाज़ार सड़क

१४. मोती कटला सड़क आमेर सड़क तक

## शुद्धि–पत्र

( १ मई १९५९ )

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ६३३३ | अन्तिम से ५ | श्री भिखा भाई | श्री भीखा भाई |
| ६३३६ | १९ | inaudidle | inaudible |
| ६३३८ | ९ | Deparment | Department |
| ६३३९ | ५ | Suggestings | Suggestions |
| ६३३९ | अन्तिम से १४ | sustainig | sustaining |
| ६३३९ | ,, ,, ८ | clreks | clerks |
| ६३४० | ११ | Schemse | schemes |
| ६३४० | २० | disposalt | disposal |
| ,, | २१ | resut | result |
| ,, | अन्तिम से १० | difficiencies | defficiencies |
| ६३४३ | १२ | Goveenment | Government |
| ६३४३ | अन्तिम से ११ | मोहनलाल सुखाड़िया | श्री मोहन लाल सुखाड़िया |
| ,, | ,, ,, ९ | Examime | Examine |
| ६३४३ | १ | मोहनलाल सुखाड़िया | श्री मोहन लाल सुखाड़िया |
| ,, | ५ | Cosntructive | constructive |
| ६३४६ | ७ | will lhelp | will help |
| ,, | १९ | adequte | adequate |
| ६३४८ | ८ | यह शुरू स्कीम शुरू | यह स्कीम शुरू |
| ६३५३ | ८ | इन्पोर्टेन्स | इम्पोर्टेन्स |
| ६३५३ | अन्तिम से ३ | श्री नाथूराम मिधार्ा | श्री नाथूराम मिर्धा |
| ६३५४ | १ | श्री नाथूराम मिधार्ा | श्री नाथूराम मिर्धा |
| ६३५४ | ८ | श्री श्रीमानसिंह | श्री श्रीमानसिंह |
| ६३५५ | ६ | Supplemantar | Supplemanfary |
| ६३५५ | अन्तिम से ६ | को हरा भरा रखें | आबू को हरा भरा रखें |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ६३५५ | अन्तिम | करना करना चाहती | करना चाहती |
| ६३५७ | ६ | श्री भैवरलाल कालाबादल | श्री भैरव लाल कालाबादल |
| ६३५७ | अन्तिम से६ | श्री प्रभुदयाल पुरोहित | श्री प्रभुलाल पुरोहित |
| ६३५८ | अन्तिम | सर्सेन्टिटी | सर्टेन्टी |
| ,, | ,, | विघान | विधान |
| ६३५६ | १ | श्राय | श्राप |
| ,, | १० | inconsistant | inconsistent |
| ,, | १७ | अर्तर्गत | अन्तर्गत |
| ६३६० | २ | जवानी | जुबानी |
| ६३६६ | अन्तिम से ६ | इन्स्टिटट्यूट | इन्स्टिटयूट |
| ६३६७ | ३ | School or Social | School of Social |
| ६३७० | १७ | (अलकेरा सु) | (अकलेरा सु) |
| ६३७३ | अन्तिम से ७ | की कमी है ५८ से चली | की कमी ५८ से चली |
| ,, | अन्तिमसे३व२ | (श्री पूमन चन्द विश्नोई) | (श्री पूनमचन्द विश्नोई) |
| ,, | १६ | (पीपल्द सु) | (पीपल्दा सु) |
| ,, | अन्तिम से ७ | चटना | घटना |
| ६३७६ | अन्तिम से २ | श्री जुगलकिशोर चर्वेतुदी | श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी |
| ६३७७ | १६ | बेकर | बेकार |
| ६३७८ | १ | प्र० संख्या १३१४ | प्र० संख्या १३४१ |
| ६३७८ | ३ | (कृपया आगे देदिये) | (कृपया आगे देखिये) |
| ६३८१ | ६ | पक्पी | पक्की |
| ६३८१ | १३ | कि | की |
| ६३८१ | अन्तिम से ७ | रिवाहज्ड | रिवाइज्ड़ |
| ६३८२ | ४ | प्रभात | प्रपात |
| ६३८४ | अन्तिम से ३ | वगैहर | वगैरह |
| ६३८६ | ,, ,, ४ | यात्रयों | यात्रियों |
| ६३८७ | ४ | दिनांक १.४० बजे | १.४० बजे दिन के |
| ६३८८ | ३ | किया जा सकता | किया जा सकता है |
| ६३६२ व ६३६३ | शीर्षक | राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक ५८ | तारंकित प्रश्नोत्तर |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ६३६४ | २१ | मशा | मंशा |
| ६३६५ | १५ | मठाघीश | मठाधीश |
| ६३६५ | २० | रिलीजिस | रिलीजियस |
| ६३६६ | ११ | सारे क्लॉज़ के की | सारे क्लॉजेज़ की |
| ,, | १४ | में | मैं |
| ,, | १७ | scetor | Sector |
| ,, | १७ | afteor | after |
| ,, | १७-१८ | the companies | the word companies |
| ,, | १८ | accepet | accept |
| ,, | अन्तिम | Prep ırde | Prepared |
| ६३६७ | १२ | Gsvernment | Government |
| ,, | १३ | Cosideration | consideration |
| ,, | १५ | Moratgage | Mortgage |
| ,, | अन्तिम से ७ | षदस्य | सदस्य |
| ६३६८ | ७ | Perhapes | Perhaps |
| ,, | १७ | quoram | quorum |
| ६४०० | २३ | interation | intention |
| ६४०० | अन्तिम से ३ | in pendent | independent |
| ६४०५ | ७ | sea | Seal |
| ६४०६ | ३ | nuember | number |
| ६४०६ | ८-९ | electora lbody | electoral body |
| ६४०७ | १६ | stitutued | situaed |
| ६४०७ | अन्तिम से ५ | Soction | Section |
| ६४०९ | १० | cauced | caused |
| ६४१० | २१ | कांटिट्युशन | कॉन्स्टिट्युशन |
| ६४१२ | ४ | गउस | उस |
| ६४१२ | अन्तिम से४-५ | territorie | territories |
| ६३१३ | ८ | amongest | amongst |
| ६४१६ | २२ | श्री दामोदर लल व्यास | श्री दामोदरलाल व्यास |
| ६४१७ | अन्तिम से ७ | व्ययस्था | व्यवस्था |

(४)

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ६४२० | १ | (श्री पी० के० चौधरी) | (श्री पी० के० चौधरी) |
| ६४२० | १२ | Goverment | Government |
| ,, | १३ | offical | official |
| ६४२१ | ६ | truts | trusts |
| ६४२१ | अन्तिम से४ | करेक्टर | करेक्ट |
| ६४२१ | १३ | इवोतव | इवोल्व |
| ६४२३ | ७ | renumbecd | renumbered |
| ६४२३ | अन्तिम से३ | publich | Public |
| ६४२५ | ५ | गंढ | ढंग |
| ६४२६ | २३ | बड़्या | बढ़िया |
| ६४३४ | १० | वास्त | वास्ते |
| ६४३६ | २० | represente | represented |
| ६४३६ | अन्तिम से२ | unneessary | unneessary |
| ६४३६ | ,, ,, ८ | डॉ बहादुसिंह | डॉ बहादुरसिंह |
| ६४४१ | १ व ६ | श्री सतीशाचन्द्र अगवाल | श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल |
| ६४४४ | १ | त | तो |
| ,, | १४ | डेफिनिटनेट | डेफिनेट |
| ६४४४ | १७ | Preseribe | Prescribe |
| ,, | १८ | जाय त | जाय तो |
| ६४४६ | २३ | कॉन्स्पीकुअसी | कॉन्स्पीकुअली ? |
| ६४५३ | १६ | बद्धिस्ट | बुद्धिस्ट |
| ६४५५ | अन्तिम से१० | घटे | घंटे |
| ६४५५ | ,, ,, ६ | प्रतितिधियों | प्रतिनिधियों |
| ६४५७ | ४ | discussion | discussion |
| ६४५७ | ८ | representitng | representing |
| ६४५८ | १० | indentical | identical |
| ६४५६ | २ | cluase | clause |
| ६४६० | अन्तिम से११ | truct | trust |
| ६४६० | ,, ,, ६-८ | relig on | religion |
| ६४६३ | ,, ,, ४ | cllaus | clause |

# Page No 110



| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ९४६४ | अन्तिम | therof | thereof |
| ९४६५ | ६–७ | Occurring | Occuring |
| ९४६५ | ८ | Shal | s all |
| ,, | २३–२४ | inefficieciently | inefficiently |
| ९४६६ | शीर्षक | १ नई,५६ | १ मई ५६ |
| ९४६६ | १२ | कोरम घंटी | कोरम घंटी |
| ९४६६ | १९ | चार्टड | चार्टर्ड |
| ९४६९ | १४ | aud | and |
| ९४७० | १० | commrr | commissioner |
| ९४७० | २३ | registation | registration |
| ९४७१ | ४ | रिविजेन | रिविजन |
| ९४७४ | अन्तिमसे १० व ११ | payent | payment |
| ९४७४ | ,, ,, ७ | impositition | imposition |
| ९४७४ | अन्तिम | may be any levied | may be levied |
| ९४७५ | अन्तिम से ६ | seservices | services |
| ९४७५ | ,, ,, २ | lvied | levied |
| ,, | अन्तिम | secrvies | services |
| ९४७९ | २४ | मेम्शन | मेन्शन |
| ९४८० | ७ | स्यार्थ पैसे | स्वार्थ पैसे |
| ९४८० | १० | गोटाले | घोटाले |
| ९४८३ | अन्तिम से ९ | Eevry | Every |
| ९४८६ | २ | ररिस्टर | रजिस्टर |
| ९४८८ | ४– ५ | utillised | utilised |
| ९४८८ | ८–९ | presoribed | Prescribed |
| ९४८९ | २२ | Mamber | Member |
| ९४९० | ८ | एज़ीक्यूशन | एग्ज़ीक्यूशन |
| ९४९० | अन्तिम | refase | refuse |
| ९४९१ | १७ | vigilent | vigilant |
| ९४९३ | ३ | ज प्रस्ताव | जो प्रस्ताव |
| ९४९५ | ३ | स्वीकर | स्वीकार |

# Page No 111



| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ६४६७ | ४ | दी जाती—ज | दी जाती है तो.एन्ट्रीज़ |
| ६४६७ | ५ | कन्पलसरी | कम्पलसरी |
| ६४६७ | १० | sha | shall |
| ६४६८ | शीर्षक | हिन्दू सावजनीन | हिन्दू सार्वजनीन |
| ६४६८ | १२-१३-१४ | पंजिन | पंजियन |
| ६५०५ | ४ | fsuficient | sufficient |
| ६५०७ | शीर्षक | प्रन्यास विधेयक ५६ | प्रन्यास विधेयक ५८ |
| ६५१२ व ६५ १३ | शीर्षक | ६११२ व ६११३ | ६५१२ व ६५१३ |
| ६५१३ | ७ | ट्रस्टींज | ट्रस्टीज़ |
| ,, | १६ | हहले | पहले |
| ६५१३ | अन्तिम से २ | प्रोक्टिसेज | प्रोक्टिसेज |
| ६५२५ | ८ | उपस्थान | उपस्थापन |